वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2020-21

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

1. प्रेषण पत्र ..... i - ii

2. निदेशक मण्डल iii

3. संगठन तालिका iv

4. निगम के संपर्क सूत्र v

5. निगम के प्रमुख अधिकारी vi

6. संक्षेपाक्षर vii

7. विशेषताएं ..... viii - xi

8. निबीप्रगानि का विहंगावलोकन 1-6

9. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण 7-18

10. निदेशकों की रिपोर्ट 19-29

11. परिशिष्ट सारणियाँ 30-58

12. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 59-61

13. तुलन पत्र और लेखे 62-77

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

केंका.निबीप्रगानि. सवि सं. एस28/01.01.016/2021-22 28 जून, 2021

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई 400 001

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

i. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे और
ii. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या
(एम रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008
दूरभाष: 23084121 **ई-मेल:** dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008
Phone: 23084121 **E-mail:** dicgc@rbi.org.in

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

केंका. निबीप्रगानि.सवि. एस29 /01.01.016/2021-22 28 जून, 2021

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

i. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
ii. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

2. ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) की सामग्री (अर्थात तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या
(एम रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008
दूरभाष: 23084121 **ई-मेल:** dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008
Phone: 23084121 **E-mail:** dicgc@rbi.org.in

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष

डॉ. एम. डी. पात्र **उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31.03.2020 से)

निदेशक

श्री पम्मि विजय कुमार **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (05.03.2020 से 31.05.2021 तक)
डॉ. शशांक सक्सेना **परामर्शदाता** **वित्त मंत्रालय** **आर्थिक मामले विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (12.06.2008 से 05.11.2020 तक)
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा **संयुक्त सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (06.11.2020 से)
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला **अध्यक्ष** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (08.03.2019 से 17.06.2020 तक)
डॉ. गोविंद राजुलु चिंतल **अध्यक्ष** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (13.07.2020 से)

संगठन तालिका

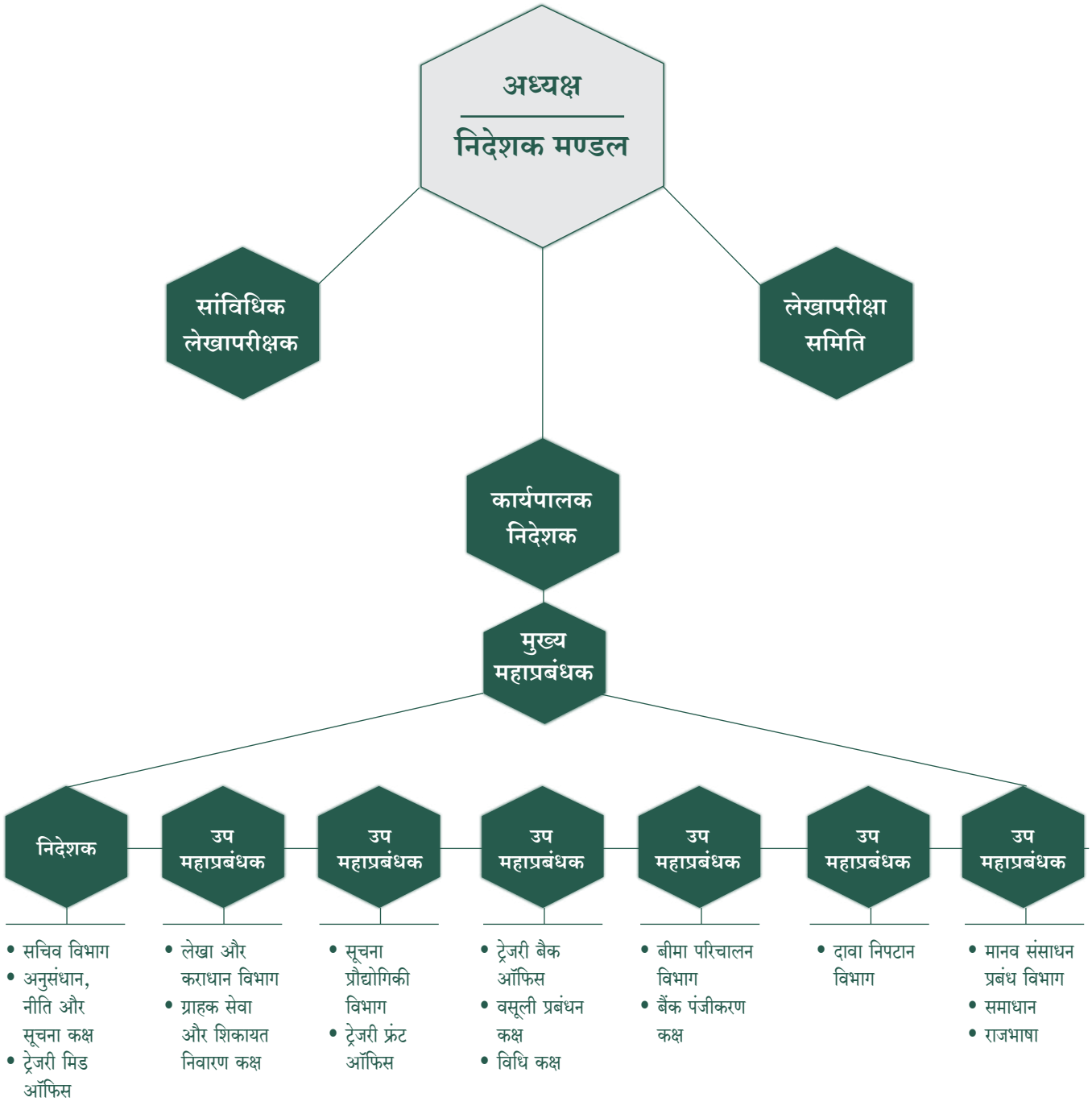
अध्यक्ष
निदेशक मण्डल
सांविधिक लेखापरीक्षक
लेखापरीक्षा समिति
कार्यपालक निदेशक
मुख्य महाप्रबंधक
निदेशक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
• सचिव विभाग
• अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष
• ट्रेजरी मिड ऑफिस
• लेखा और कराधान विभाग
• ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण कक्ष
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
• ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
• ट्रेजरी बैक ऑफिस
• वसूली प्रबंधन कक्ष
• विधि कक्ष
• बीमा परिचालन विभाग
• बैंक पंजीकरण कक्ष
• दावा निपटान विभाग
• मानव संसाधन प्रबंध विभाग
• समाधान
• राजभाषा

निगम के संपर्क सूत्र

टेलीफोन

022-2308 4121	सामान्य
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2302 1624	दावे
022-2306 2162	आरएमसी
022-2301 1991	आरटीआई
022-2301 9570	ग्राहक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक भवन
2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई 400 008.
भारत

(i)	मुख्य महाप्रबंधक	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(ii)	निदेशक	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(iii)	उप महाप्रबंधक	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204
(iv)	उप महाप्रबंधक	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8243
(v)	उप महाप्रबंधक	shoda@rbi.org.in	022-2302 8201
(vi)	उप महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 1146
(vii)	उप महाप्रबंधक	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
(viii)	उप महाप्रबंधक	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 8206

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाइट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी*

कार्यपालक निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक
श्री वी. जी. वी. चलपती

सचिव और निदेशक
श्री एम. रामय्या

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्री एम. रामय्या

उप महाप्रबन्धक
श्री दीपक नारंग
श्री मंगेश वाई सोरते
श्री शरिक होदा
श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि
श्रीमती संगीता ई.
श्री सी. एम. सैमुएल

बैंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखा परीक्षक
मै. एनबीएस एंड कं.
सनदी लेखाकार
14/2, वेस्टर्न इंडिया हाउस
सर पी. एम. रोड, फोर्ट
मुंबई 400 001, भारत

*1 अगस्त, 2021 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एआई	: ग्रहण करने वाली संस्था
एएस	: लेखा मानक
एएसआईएफ़आई	: वित्तीय उद्योग के संरचनात्मक सुधार पर अधिनियम
सीए	: चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीबीके	: सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या
सीडीआईसी	: कनाडा जमा बीमा निगम
सीडीआईसी	: केंद्रीय जमा बीमा निगम
सीईएसटीएटी	: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	: क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ	: ऋण गारंटी निधि
सीजीएस	: क्रेडिट गारंटी योजना
सीपी	: मूल सिद्धांत
सीपीपीवाई	: पिछले वर्ष में समान स्थिति
डीएफ़ए	: डोड-फ्रैंक एक्ट
डीआईए	: जमा बीमा अधिनियम
डीआईसी	: जमा बीमा निगम
डीआईसीजे	: जापान का जमा बीमा निगम
डीआईएस	: जमा बीमा प्रणाली
डीआईसीजीसी	: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	: जमा बीमा निधि
डीपीए	: जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम
डीएसआईबी	: घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक
ईडी	: कार्यकारी निदेशक
यूरोपीय संघ	: यूरोपीय संघ
एफ़सीआरसी	: वित्तीय संकट प्रतिक्रिया परिषद
एफ़डीआईसी	: संघीय जमा बीमा निगम
एफ़आईएमएमडीए	: भारतीय निश्चित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ
एफआरए	: वित्तीय समाधान प्राधिकरण
एफ़आरडीआई	: वित्तीय समाधान और जमा बीमा
एफएसबी	: वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएससी	: वित्तीय सेवा आयोग
एफएसआई	: वित्तीय स्थिरता संस्थान
एफएसएलआरसी	: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफएसएस	: वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा
जीएएपी	: आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
सकल घरेलू उत्पाद	: सकल घरेलू उत्पाद
जीएफ	: सामान्य निधि
जीएफसी	: वैश्विक वित्तीय संकट
जीओआई	: भारत सरकार
जीएसटी	: वस्तु और सेवा कर
आईएडीआई	: अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ
आईएएसएस	: इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन
आईसीएआई	: इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
आईएफआर	: निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व
आईएमएफ	: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
जेएफएसए	: जापान वित्तीय सेवा एजेंसी
केए	: प्रमुख गुण
केडीआईसी	: केन्या जमा बीमा निगम
केडीआईसी	: कोरिया जमा बीमा निगम
एलएबी	: स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एमडीआईसी	: मलेशियाई जमा बीमा निगम
नाबार्ड	: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पी एंड ए	: परचेज एंड एसम्पशन
पीडीआईसी	: फिलीपींस जमा बीमा निगम
पीआईडीएम	: पेरबदानन बीमा जमा मलेशिया
भुगतान बैंक	: भुगतान बैंक
आरबीआई	: भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएस	: सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरओ	: क्षेत्रीय कार्यालय
आरआर	: आरक्षित अनुपात
आरआरबी	: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	: रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
आरटीआई	: सूचना का अधिकार
लघु वित्त बैंक	: लघु वित्त बैंक
एसआईएफ़आई	: व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान
एसएलजीएस	: लघु ऋण गारंटी योजना
टीएएफ़सीयूबी	: सहकारी शहरी बैंकों पर कार्यबल
यूटी	: केंद्र शासित प्रदेश

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ 100 करोड़ में)

वर्ष के अंत में$		1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2017-18	2018-19	2019-20#	2020-21
1.	**पूँजी***	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2.	**निक्षेप बीमा**									
(i)	निक्षेप बीमा निधि**	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	814.3	937.5	1,103.8	1,299.0
(ii)	बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,109	2,098	2,067	2,058
(iii)	निर्धारणीय जमाराशियाँ@	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,12,020	1,20,051	1,34,889	1,49,678
(iv)	बीमाकृत जमाराशियाँ@	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	32,753	33,700	36,961 (68,715)	76,213
(v)	खातों की संख्या कुल (करोड़ में)	0.77	3.41	15.98	35.43	64.95	194.09	217.40	235.00	252.63
(vi)	पूर्णतः संरक्षित खातों कि संख्या (करोड़ में)	0.60	3.28	15.81	33.95	61.95	177.50	200.00	216.10 (231.00)	247.80
(vii)	योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	-	0.01	0.03	1.8	14.9	50.8	51.2	52.0	57.6

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009 - 10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं।

$ 1992 - 93 के बाद से मार्च के अंत के अनुसार।

कोष्ठक में दिए आंकडे ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर के अनुमान से संबंधित हैं।

विशेषताएं - II : निक्षेप बीमा

(₹ 100 करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
राजस्व विवरण							
प्रीमियम आय	175.17	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29
निवेश आय	96.5	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32
निवल दावे	9.93^	0.54	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	265.55	154,86	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89
करोत्तर राजस्व अधिशेष	193.32	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96
तुलन पत्र							
निधि शेष (बीमांकिक)	122.75	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07
निधि अधिशेष	1,176.29	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46
दावे संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	0.04	2.22	2.52	3.14
निष्पादन मैट्रिक्स							
1.डीआइसीजीसी में दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या@	7	11	11	12	23	28	25
2. बैंक कस पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या@$	500	508	1,425	2,075*	634	269	4,856
3. कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत	0.20	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24
इसमें से: कुल प्रीमियम आय की तुलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	0.10	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृत की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

^ इसमें से ₹1,023.16 करोड़ दावों का निपटान है और ₹30.3 करोड़ प्रावधानों के प्रत्यावर्तन के कारण है।

* 2003 में एक बैक के विपंजीकरण के करण तीव्र बढ़ोत्तरी, इसके दावे का 2017 में निपटान हुआ है।

$ दिनों की गणना के लिए अपीलीय प्रधिकारी (वित्त मंत्रालय) और न्यायालय के आदेश को आधार माना गया है। दावों की प्राप्ति में विलंब मुख्यतः वित्त मंत्रालय के समक्ष अपील/विधिक मामले हैं।

विशेषताएं - III

चार्ट I : बीमाकृत और पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

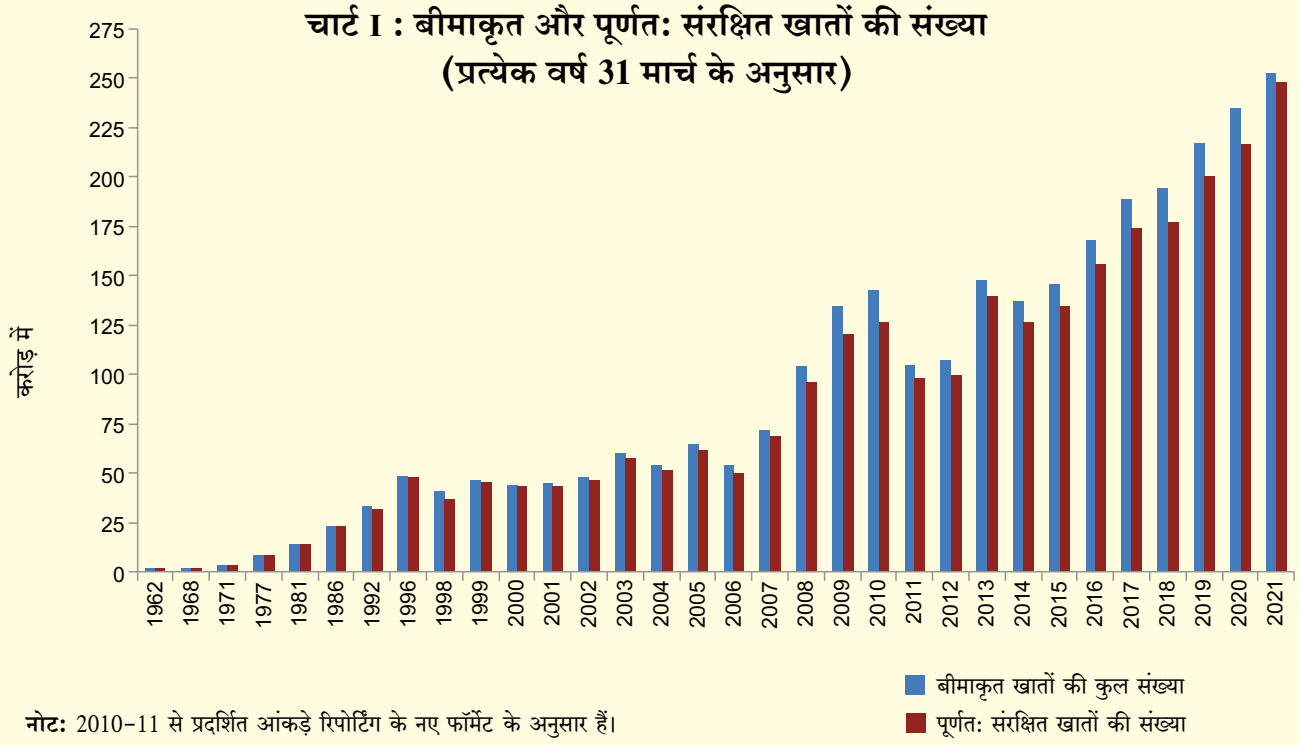

नोट: 2010-11 से प्रदर्शित आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

विशेषताएं - IV

चार्ट II : कुल निर्धाणीरणीय /बीमा बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

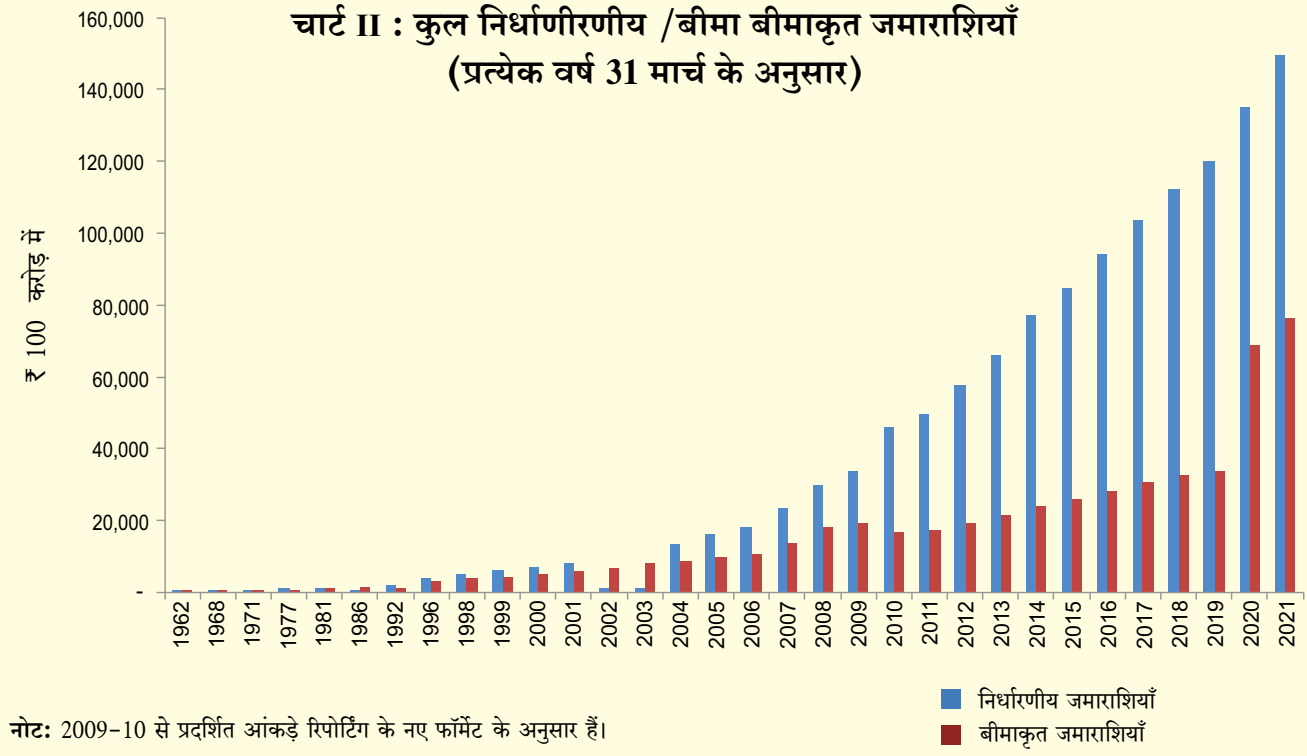

नोट: 2009-10 से प्रदर्शित आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

विशेषताएं - V

चार्ट III : बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार
(31 मार्च 2021)

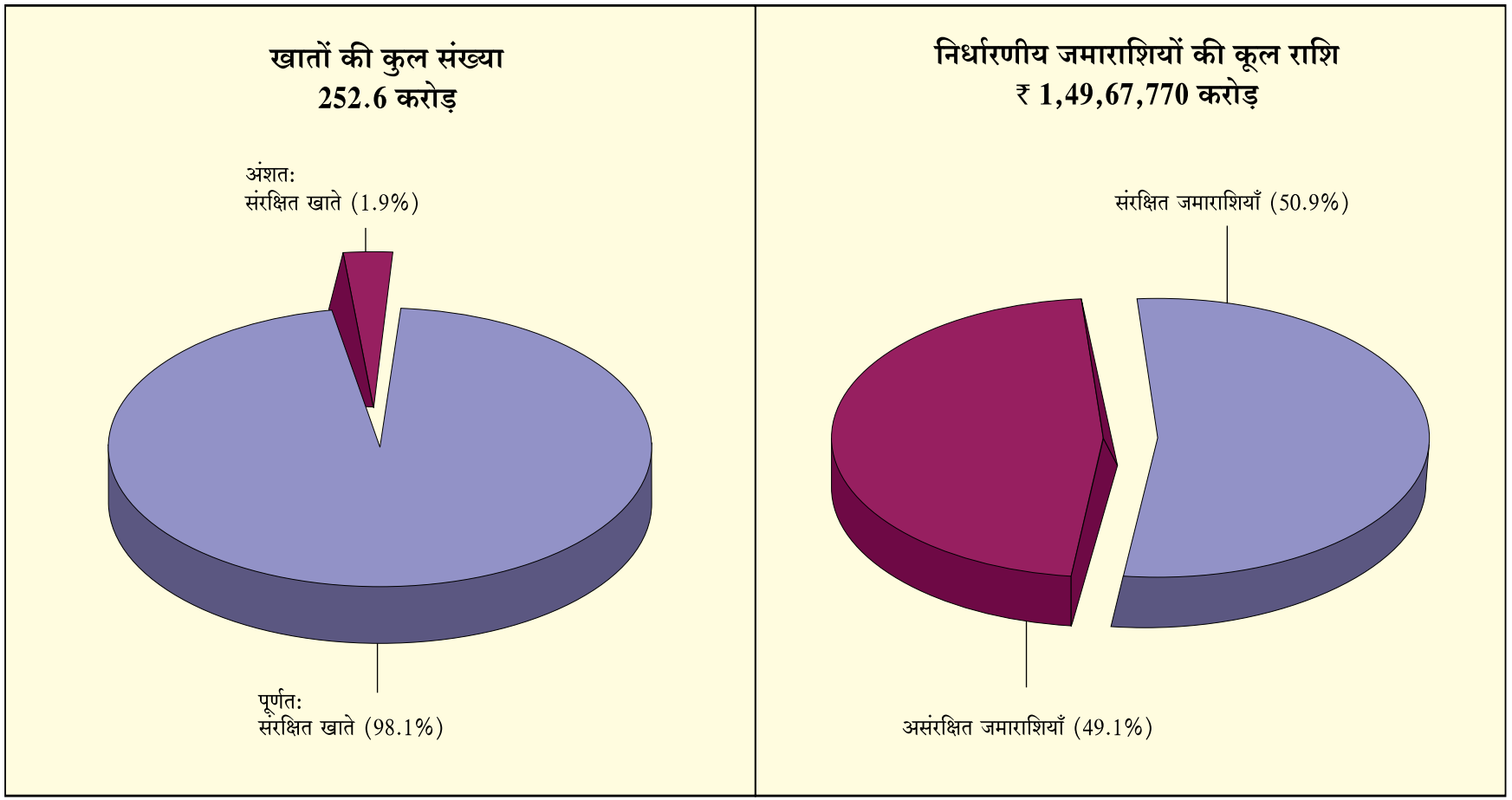

नोट: 1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।
2. ₹5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आकड़े ₹76,21,251 करोड़ है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

1. परिचय

निबीप्रगानि के कार्य ''निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961'' (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए ''निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961'' के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी, अत: अप्रैल 2003 में योजना का संचालन बंद कर दिया गया और निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य रहा है।

2. इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए और निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा सुरक्षा (कवर) कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ''पात्र सहकारी बैंकों'' [पैरा 3(ii)देखें] का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे ''निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961'' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

3. संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्य बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंकों को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनःनिर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

4. बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।

(iii) डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13(ए) के अंतगर्त प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक क्रेडिट बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से 3 माह के अंदर निगम उसका पंजीकरण करेगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

5. बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर ''समान क्षमता और समान अधिकार'' में मूलतः ₹1500 तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
4 फरवरी 2020	₹5,00,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 जनवरी 1962	₹1,500/-

₹5 लाख तक बढ़ा हुआ कवर उन बैंकों पर लागू होता है जिनका 4 फरवरी 2020 से लाइसेंस रद्द हुआ हो/जो विपंजीकृत किए गए हों।

6. सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

7. बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक(छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष(छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1 अप्रैल 2020	0.12
1 अप्रैल 2005	0.10
1 अप्रैल 2004	0.08
1 जुलाई 1993	0.05
1 अक्टूबर 1971	0.04
1 जनवरी 1962	0.05

8. पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से

चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

9. बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अनुसार निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

10. दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय

गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)] से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यतः निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

11. निपटाए गए दावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

12. निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) जमा बीमा निधि (डीआइएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यतः निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है।

निगम 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम,1961 मे यथा परिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही निगम और 1 अक्टूबर 2011 से प्रीमयम आय पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

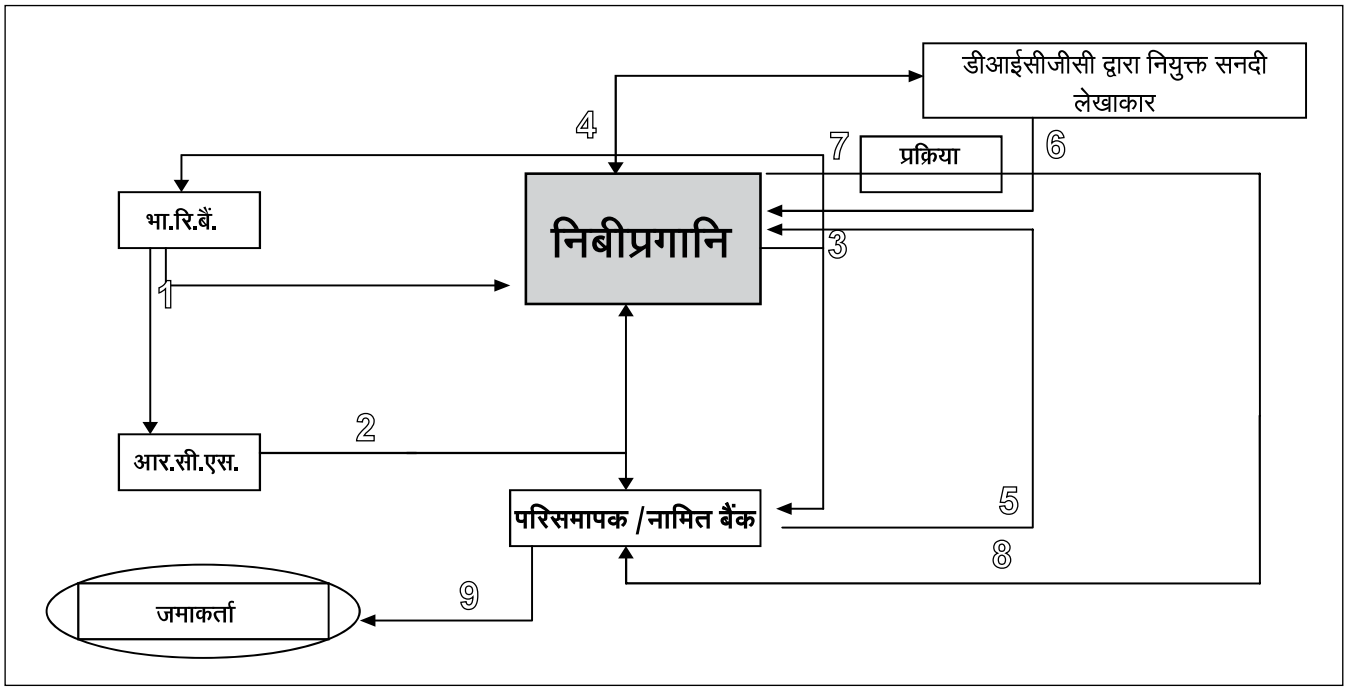

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता हे और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।
4. दावा सूची के सत्यापन, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के अनुपालन तथा परिसमाप्त बैंक के लेखों के सत्यापन के लिए डीआइसीजीसी ने भारत के 5 विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5 सीए फर्मों का पैनल बनाया है। डीआईसीजीसी बैंक की दावा सूची और रिकार्ड पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए एक परिचय सत्र आयोजित करता है।
5. परिसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग - क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित और भाग-ख अनट्रेसेबल/केवाईसी अनुपालित नहीं) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म (एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर समाधान के तहत) में डीआईसीजीसी को सूची प्रस्तुत करता है।
6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंकों के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग - ख सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन किया जाता है परिसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
8. लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए परिसमापक के खाते के नाम पर बैंक खाते में जारी की जाती है।
9. नामित बैंक एनईएफ़टी/डीडी के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में जमा बीमाकर्ताओं की समाधान शक्तियां

जमा बीमा की भूमिका विफलता की स्थिति में कवर की गई सीमा तक भुगतान करके बैंक जमाकर्ताओं को विश्वास दिलाने से बदलकर विफल वित्तीय संस्थानों के समाधान में सक्रिय समर्थन प्रदान करने वाली हो गई है। वित्तीय सुरक्षा कवच के स्तंभों को मजबूत करने के लिए जमा बीमाकर्ताओं द्वारा समाधान अग्रणी के रूप में संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों की जमानत के लिए सार्वजनिक निधियों के अभूतपूर्व स्तर का सहारा, विशेष रूप से जिन्हें 'विफल होने के लिए बहुत बड़ा' माना जाता है, ने भी अधिकारियों को एक मजबूत समाधान ढांचा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। एशियाई वित्तीय संकट के बाद से एक समाधान व्यवस्था के निर्माण के पीछे जमा संरक्षण महत्वपूर्ण शब्द बन गया। फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस (एफ़डीआईसी) अधिनियम में संशोधन, 2009 में यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय सेवा मुआवजा योजना, 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डोड-फ्रैंक अधिनियम का अधिनियमन, और यूरोपीय संघ बैंक रिकवरी और रिज़ॉल्यूशन निर्देश 2014 वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) के बाद लिए गए प्रमुख कदम थे। जबकि बैंक की विफलता पर बीमित भुगतान को पूरा करने के लिए जमा बीमा कवर को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया था, इस क्षेत्र के सभी 28 देशों के लिए एक सामान्य ढांचे ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समाधान प्राधिकरणों की स्थापना/मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। 2011 में जी-20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रमुख विशेषताओं (केए) को अपनाना, बाद में 2014 में संशोधित करना भी एक प्रमुख पहल[1] थी। वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं के केए उन मूल तत्वों को निर्धारित करते हैं जिन्हें एफएसबी एक प्रभावी समाधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है। जमा बीमाकर्ताओं ने अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया, जमाकर्ताओं और हितधारकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपनी भूमिका और मिशन को तेज किया, दिवालिया होने से पहले बैंकों का समाधान करने की उनकी क्षमता प्राथमिक उद्देश्य बन गई। सीमा पार वित्तीय प्रवाह और बैंकिंग उत्पादों में वृद्धि, वित्तीय प्रणाली और जमा बीमा की भूमिका के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। जमा बीमाकर्ताओं की आरक्षित निधि को बीमित बैंकों, सरकारी/केंद्रीय बैंकों और उधारों के माध्यम से पर्याप्त रूप से सहायता मिली, जिससे जमा बीमाकर्ता बढ़े हुए कार्यक्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली अपनी देनदारियों को पूरा कर सके।

2. जमा बीमा प्रणाली के लिए प्रमुख सार्वजनिक नीति उद्देश्य जमाकर्ताओं की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता में योगदान करना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स द्वारा 2014[2] में अपडेट किए गए मूल सिद्धांत (सीपी) के मुख्य सिद्धांत हैं:

(i) जमा बीमाकर्ता के पास प्रभावी आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बैंक की विफलताओं और अन्य घटनाओं के जोखिम और वास्तविक रूप से प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। सिस्टम-व्यापी संकट तैयारी रणनीतियों और प्रबंधन नीतियों का विकास सभी सुरक्षा-नेट प्रतिभागियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। जमा बीमाकर्ता को सिस्टम-व्यापी संकट की तैयारी और प्रबंधन से संबंधित चल रहे संचार और समन्वय के लिए किसी भी संस्थागत ढांचे का सदस्य होना चाहिए जिसमें वित्तीय सुरक्षा-नेट प्रतिभागियों को शामिल किया गया हो;

[1] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2014), वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था के लिए प्रमुख गुण, अक्टूबर।

[2] जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ (2014), प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए आईएडीआई मूल सिद्धांत, नवंबर।

(ii) जहां जमा बीमाकर्ता समाधान प्राधिकरण नहीं है, उसके पास अपने कानूनी ढांचे के भीतर, परिसमापन के अलावा अन्य सदस्य संस्थानों के समाधान के लिए अपने धन के उपयोग को अधिकृत करने का विकल्प है। ऐसी स्थितियों में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: (क) जमा बीमाकर्ता को सूचित किया जाता है और समाधान निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है; (ख) जमा बीमाकर्ता की निधियों का उपयोग पारदर्शी और प्रलेखित है, और स्पष्ट और औपचारिक रूप से निर्दिष्ट है; (ग) जहां एक बैंक का समाधान परिसमापन के अलावा एक समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, समाधान के परिणामस्वरूप एक व्यवहार्य, विलायक और पुनर्गठित बैंक होता है, जो उसी दायित्व के संबंध में अतिरिक्त वित्त पोषण का योगदान करने के लिए जमा बीमाकर्ताओं के जोखिम को सीमित करता है; (घ) अंशदान उन लागतों तक सीमित है जो जमा बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत जमाकर्ताओं के भुगतान में अपेक्षित वसूलियों के परिसमापन नेट में अन्यथा खर्च किए गए होंगे; (ड) हल किए गए संस्थानों के पुनर्पूंजीकरण के लिए योगदान का उपयोग नहीं किया जाता है जब तक कि शेयरधारक के हितों को शून्य और बीमाकृत नहीं किया जाता है, असुरक्षित लेनदार कानूनी दावा प्राथमिकता के अनुसार पैरी पासु नुकसान के अधीन होते हैं; (च) जमा बीमाकर्ता की निधियों का उपयोग एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधीन है और परिणाम जमा बीमाकर्ता को वापस रिपोर्ट किए जाते हैं; और (छ) जमा बीमाकर्ता की निधियों का उपयोग करने वाली सभी समाधान कार्रवाइयां और निर्णय पूर्व समीक्षा के अधीन हैं; तथा

(iii) एक प्रभावी विफलता समाधान व्यवस्था को जमा बीमाकर्ता को जमाकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करने और वित्तीय स्थिरता में योगदान करने में सक्षम बनाना चाहिए। कानूनी ढांचे में एक विशेष समाधान व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।

3. मूल सिद्धांतों में समाधान ढांचा निम्नानुसार जमा बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कतिपय अनिवार्य मानदंड भी निर्दिष्ट करता है:

- जमा बीमाकर्ता के पास अपने अधिदेश के अनुरूप अपनी समाधान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिचालन स्वतंत्रता और पर्याप्त संसाधन हैं;
- समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी बैंक शक्तियों और विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से समाधान योग्य हैं;
- जहां समाधान के लिए कई सुरक्षा-जाल सहभागी जिम्मेदार हैं, कानूनी ढांचा उन प्रतिभागियों के उद्देश्यों, अधिदेशों और शक्तियों के स्पष्ट आवंटन के लिए प्रदान करता है, जिसमें कोई भौतिक अंतराल, ओवरलैप या असंगतता नहीं है। समन्वय के लिए स्पष्ट व्यवस्था की गई है;
- समाधान और जमाकर्ता संरक्षण प्रक्रियाएं जमाकर्ता को प्रतिपूर्ति तक सीमित नहीं हैं। समाधान प्राधिकरणों के पास प्रभावी समाधान उपकरण हैं जो महत्वपूर्ण बैंक कार्यों को संरक्षित करने और बैंकों का समाधान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें वरिष्ठ प्रबंधन को बदलने और हटाने, अनुबंधों को समाप्त करने, संपत्ति और देनदारियों को स्थानांतरित करने और बेचने, ऋण को इक्विटी में बदलने और/या एक अस्थायी ब्रिज संस्थान स्थापित करने की शक्तियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- उपलब्ध समाधान विधियों में से एक या अधिक अपेक्षित वसूली के परिसमापन जाल में अन्यथा अपेक्षित की तुलना में कम लागत पर समाधान के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है;
- समाधान प्रक्रियाएं एक परिभाषित लेनदार पदानुक्रम का पालन करती हैं जिसमें बीमित जमाराशियों को नुकसान साझा करने से बचाया जाता है और शेयरधारकों को पहला नुकसान होता है;

- समाधान व्यवस्था जमाकर्ताओं के साथ उनकी राष्ट्रीयता या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करती है;
- समाधान व्यवस्था गैर-व्यवहार्य बैंकों के समाधान से संबंधित निर्णयों को उलटने के उद्देश्य से कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षित है। रिज़ॉल्यूशन एक गैर-व्यवहार्य बैंक के लिए निपटान योजना और प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाधान में बीमाकृत जमाराशियों का परिसमापन और प्रतिपूर्ति, संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण और/या बिक्री, अस्थायी ब्रिज संस्थानों की स्थापना, और ऋण को अव्यवहार्य संस्था की इक्विटी में लिखना और/या रूपांतरण शामिल हो सकता है। समाधान में समाधान शक्तियों के प्रयोग के साथ-साथ समाधान में एक फर्म के कुछ हिस्सों के लिए दिवाला कानून के तहत प्रक्रियाओं को लागू करना भी शामिल हो सकता है। एक क्षेत्राधिकार के समाधान व्यवस्था में कई समाधान प्राधिकरण शामिल हो सकते हैं। जमा बीमाकर्ता को सौंपी गई विशिष्ट समाधान शक्तियां जमा बीमाकर्ता के अधिदेश के आधार पर भिन्न हो सकती हैं; तथा
- समाधान व्यवस्था जमाकर्ताओं के बीच अपनी निधि तक पहुंच खोने और चयनित समाधान विकल्प (जैसे जमाकर्ता प्रतिपूर्ति) के कार्यान्वयन के बीच की अवधि को यथासंभव कम रखती है।

4. आईएडीआई ने जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश को समाधान शक्तियों[3] के संदर्भ में अधिदेश में संशोधनों के परिणामस्वरूप मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 32 जमा बीमा प्रणालियों के एफएसआई और आईएडीआई सर्वेक्षण के अनुसार, असफल बैंक की बीमाकृत जमाराशियों और अन्य देनदारियों का 80 प्रतिशत से अधिक फंड ट्रांसफर दूसरे बैंक को हुआ, जिसने असफल बैंक की देनदारियों को अपने हाथ में ले लिया। जमा बीमाकर्ताओं ने एक असफल बैंक के एक ब्रिज बैंक के माध्यम से मजबूत बैंक के साथ विलय/समामेलन में सहायता करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण का भी उपयोग किया।

68 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता विफलता को रोकने के लिए समाधान के तहत बैंकों को या तनावग्रस्त बैंकों को किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं - या तो पूंजी या तरलता सहायता या दोनों । 32 डीआईएस के पूरे नमूने में से, 14 डीआईए के पास जमा बीमाकर्ता और समाधान प्राधिकरण के रूप में दोहरा अधिदेश है और उनमें से अधिकांश देयता हस्तांतरण और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दोनों के लिए जमा बीमा प्रणाली (डीआईएस) संसाधनों का उपयोग करते हैं। डीआईएस से अलग एक बैंक समाधान निधि, सर्वेक्षण में प्रतिनिधित्व किए गए क्षेत्राधिकारों के केवल 40 प्रतिशत से अधिक में उपलब्ध है। डीआईएस का एक बड़ा हिस्सा परचेज एंड एसम्पशन (पी एंड ए) लेनदेन के माध्यम से एक विलायक बैंक को गतिविधियों के हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए धन प्रदान कर सकता है। डीआई (50%) सदस्यों को या तो एक निवारक उपाय[4] के रूप में दिवाला को रोकने के उपाय के रूप में पूंजी प्रदान करते हैं। वित्तीय सहकारी समितियों के लिए कुछ क्षेत्राधिकारों में एक अलग समाधान ढांचा प्रचलन में है। यूरोपीय संघ में बैंकों का समाधान करने में जमा बीमा निधि का उपयोग, अलग समाधान शुल्क और केन्द्रीय बैंक/सरकार का समर्थन भी मौजूद है।

[3](i) पे बॉक्स, जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमित जमा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।
(ii) पे बॉक्स प्लस, जहां जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि कुछ समाधान कार्य (जैसे, वित्तीय सहायता)।
(iii) नुकसान कम करने वाला, जहां बीमाकर्ता कम से कम लागत समाधान रणनीतियों की एक श्रृंखला से चयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है।
(iv) जोखिम न्यूनीकरण, जहां बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन/प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों का एक पूर्ण सूट, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निरीक्षण जिम्मेदारियां शामिल हैं।

[4] पैट्रिजिया बाउदिनो, रयान डेफिना, जोस मारिया फर्नांडीज रियल, कुमुदिनी हाजरा और रूथ वाल्टर्स (2019), 'बैंक विफलता प्रबंधन - जमा बीमा की भूमिका', नीति कार्यान्वयन संख्या 17 पर एफएसआई अंतर्दृष्टि

समाधान ढांचे में जमा बीमाकर्ताओं की भूमिका: क्रॉस-कंट्री अनुभव

कनाडा

5. कनाडा जमा बीमा निगम (सीडीआईसी) कनाडा का संघीय जमा बीमाकर्ता है और इसके सदस्य संस्थानों के लिए समाधान प्राधिकरण है। सीडीआईसी में कई समाधान उपकरण हैं जिनका उपयोग किसी सदस्य संस्था की संभावित विफलता के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जिसमें एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक[5] भी शामिल है। समाधान उपकरण इस प्रकार हैं:

(i) परचेज एंड एसम्पशन या संपूर्ण बैंक अधिग्रहण: इस उपकरण का उपयोग तब किया जा सकता है जब संकटग्रस्त संस्थान के लिए एक अधिग्रहणकर्ता उपलब्ध हो और संस्थान के शेयरधारक बिक्री के लिए सहमत हों, लेकिन इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सीडीआईसी से कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

(ii) जबरन बिक्री: सीडीआईसी एक पुनर्गठन लेनदेन को पूरा करने के लिए संस्थान का नियंत्रण ले सकता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं: संस्थान के सभी शेयरों की बिक्री और अधीनस्थ ऋण, किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ एकीकरण या संस्था की सभी/भाग संपत्ति/देनदारियों की बिक्री ।

(iii) ब्रिज बैंक: बैंक को सीडीआईसी के अस्थायी नियंत्रण में रखा गया है और सीडीआईसी कुछ संपत्तियों, देनदारियों (न्यूनतम सभी बीमित जमा सहित) और महत्वपूर्ण कार्यों को एक ब्रिज बैंक को हस्तांतरित करता है, जो अस्थायी रूप से सीडीआईसी के स्वामित्व में है।

(iv) बेल-इन: 2016 में, कनाडा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (सीडीआईसी) अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि कॉर्पोरेशन के समाधान टूल में बेल-इन पावर जोड़ा जा सके। यह उपकरण केवल कनाडा के छह सबसे बड़े बैंकों के संबंध में उपयोग के लिए है, जिन्हें घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी)[6] के रूप में जाना जाता है। बेल-इन पावर एक उपकरण है जिसका उपयोग सीडीआईसी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए कर सकता है जो कुछ ऋण को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करके विफल हो रहा है या विफल होने वाला है।

(v) परिसमापन और भुगतान: बीमाकृत जमाराशियों का परिसमापन और प्रतिपूर्ति, जिसके तहत बैंक को अदालत की निगरानी में परिसमापन के तहत बंद कर दिया जाता है और जमाकर्ताओं को बीमित जमा की प्रतिपूर्ति की जाती है।

vi) एजेंसी समझौता: सीडीआईसी के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित परिसमापन, जिसके तहत एक एजेंट शुल्क के आधार पर संपत्ति का निपटान करेगा और जमा और अन्य देनदारियों को देय होने पर भुगतान करेगा।

कनाडा में बेल-इन सहित मानक समाधान उपकरण मौजूद हैं। जमानत के तहत शामिल/बहिष्करण के लिए जिन देनदारियों पर विचार किया जाता है, उन्हें क़ानून में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

जापान

6. जमा बीमा अधिनियम (डीआईए) 1971 में पेश किया गया था और जून 2013 में 'व्यवस्थित समाधान' व्यवस्था शुरू करने के लिए संशोधित किया गया था। संशोधनों ने सभी बीमा और प्रतिभूति कंपनियों के साथ-साथ जमा लेने वाली संस्थाओं के आकार या प्रणालीगत महत्व की परवाह किए बिना समाधान व्यवस्था के दायरे का विस्तार किया। यह व्यवस्था इन वित्तीय

[5] आईएमएफ (2014), कनाडा-वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम, संकट प्रबंधन और बैंक समाधान ढांचा-तकनीकी नोट, मार्च।

[6] सीडीआईसी अधिनियम (2016) बैंक पुनर्पूंजीकरण (बेल-इन) रूपांतरण विनियम: एसओआर/2018-57 कनाडा राजपत्र, भाग II: खंड 152, संख्या 8. http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/ 2018/2018-04-18/html/sor-dors57-eng.html

संस्थानों की होल्डिंग कंपनियों और परिचालन सहायक कंपनियों के साथ-साथ विदेशी बैंकों की घरेलू शाखाओं तक भी फैली हुई है, हालांकि यह केंद्रीय प्रतिपक्षों जैसे वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे तक विस्तारित नहीं है। असफल बैंकों के प्रबंधन के लिए जापान में अधिकारियों द्वारा परचेज एंड एसम्पशन विधियों, अस्थायी राष्ट्रीयकरण या पूंजी इंजेक्शन का उपयोग किया गया था। जापान वित्तीय सेवा एजेंसी (जेएफएसए), समाधान प्राधिकरण के रूप में, समाधान रणनीति और कार्यों को निर्धारित करती है। व्यवस्थित समाधान व्यवस्था के मामले में, यह उम्मीद की जाती है कि जापान का जमा बीमा निगम (डीआईसीजे) एक रिसीवर बन जाएगा और जेएफएसए की देखरेख में समाधान कार्रवाई को लागू करेगा, इसके कुछ कार्यों (जैसे वित्तीय सहायता प्रदान करना) के लिए जेएफएसए और वित्त मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी। । बैंक ऑफ जापान (बीओजे), कुछ परिस्थितियों में, डीआईसीजे[7] को समाधान निधि प्रदान कर सकता है।

7. डीआईए में दिया गया समाधान ढांचा तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है, जैसे (i) सीमित कवरेज के तहत विफलता समाधान, (ii) वित्तीय संकट के खिलाफ उपाय, और (iii) व्यवस्थित समाधान के उपाय।

(i) सीमित कवरेज के तहत विफलता समाधान: इसके तहत समाधान जमा लेने वाली संस्थाओं पर लागू होता है और इसमें जमा बीमा निधि का उपयोग बीमाकृत जमाराशियों के भुगतान और असफल बैंक के परिसमापन की सुविधा के लिए, या कुछ वित्तीय सहायता (पी एंड ए) के साथ अधिग्रहणकर्ता बैंक को बीमाकृत जमाराशियों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए प्रयोग होता है। यह विकल्प तब लागू होता है जब संस्था की विफलता प्रणालीगत जोखिम पैदा नहीं करती है।

(ii) वित्तीय संकट के खिलाफ उपाय: यह व्यवस्था लागू होती है जहां प्राधिकरण यह निर्धारित करते हैं कि जमा लेने वाली संस्था की विफलता एक प्रणालीगत जोखिम पैदा करती है और वित्तीय संकट प्रतिक्रिया परिषद (एफसीआरसी) द्वारा विचार-विमर्श के बाद प्रधान मंत्री द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था में तीन अलग-अलग उपाय शामिल हैं: एक जमा लेने वाली संस्था का पुनर्पूंजीकरण जो दिवालिया नहीं है; बीमित जमा पे-आउट लागत से अधिक राशि में वित्तीय सहायता; और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले मामलों में दिवालिया जमा स्वीकार करने वाली संस्था का अस्थायी राष्ट्रीयकरण।

(iii) व्यवस्थित समाधान के उपाय: व्यवस्थित समाधान व्यवस्था में दो उपाय शामिल हैं: विशेष समाधान व्यवस्था I, जहां एक वित्तीय संस्थान जो दिवालिया नहीं है, अपने संचालन को बनाए रखता है और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाता है (विशेष निरीक्षण और डीआईसीजे द्वारा धन के ऋण/पूंजी इंजेक्शन के माध्यम से); और विशेष समाधान व्यवस्था II, जहां एक दिवालिया (या दिवालिया होने की संभावना) वित्तीय संस्थान को व्यवस्थित तरीके से परिसमाप्त किया जाता है। विभिन्न उपायों के बीच निर्धारण वित्तीय संस्थान की शोधन क्षमता और जापान की वित्तीय प्रणाली पर इसकी विफलता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एफसीआरसी द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। ऊपर उल्लिखित तीन समाधान व्यवस्थाएं देनदारियों (जमानत) को लिखने और परिवर्तित करने के लिए एक वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं करती हैं।

(iv) न्यायालय की भूमिका: डीआईए के तहत समाधान प्राधिकरण पर व्यापक शक्तियां प्रदान करने के बावजूद, अदालतें समाधान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। व्यवस्थित समाधान के उपायों के तहत, शेयरधारक की सहमति के बिना डीआईए में समाधान शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि, शेयरधारक की सहमति के विकल्प के रूप में अदालत की अनुमति आवश्यक है।

[7] जापान में वित्तीय संस्थानों का संकल्प मुख्य रूप से 'वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2016), जापान की सहकर्मी समीक्षा', दिसंबर पर आधारित है।

केन्या

8. केन्या में, केन्या डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (केडीआईसी) केन्या डिपॉज़िट इंश्योरेंस एक्ट (डीआईए), 2012 के तहत स्थापित, विफल / असफल संस्थानों के समय पर और कुशल समाधान के लिए समाधान प्राधिकरण है। डीआईए के अनुसार समाधान उपकरण में परिसमापन और जमाकर्ता पुनर्भुगतान, संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण और / या बिक्री, एक अस्थायी ब्रिज संस्थान की स्थापना और ऋण का राइट-डाउन या इक्विटी में रूपांतरण शामिल है। समाधान में समाधान शक्तियों के प्रयोग के संयोजन के साथ, समाधान में एक इकाई के कुछ हिस्सों के लिए दिवाला कानून के तहत प्रक्रियाएं का आवेदन भी शामिल हो सकता है। डीआईए सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या (सीबीके) को केडीआईसी को किसी भी संस्थान[8] के एकमात्र और अनन्य रिसीवर के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है। डीआईए के अनुसार, केडीआईसी को समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप के निम्नलिखित उपायों का प्रयोग करने का अधिकार है:

ओपन बैंक सहायता (ओबीए): इस योजना के तहत, केडीसी, सीबीके या केन्या सरकार संकटग्रस्त संस्था को ऋण या योगदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सरकारी हस्तक्षेप: केन्या सरकार सीधे हस्तक्षेप करती है और संकटग्रस्त इकाई को अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण के माध्यम से राहत देती है।

विलय और अधिग्रहण: विलय योजना के तहत आवश्यक सावधानी बरतने के बाद एक कमजोर बैंक को एक मजबूत बैंक में विलय कर दिया जाएगा।

ब्रिज बैंक: एक ब्रिज बैंक केडीआईसी या सीबीके द्वारा स्थापित एक तदर्थ संस्था है जो प्रणालीगत जोखिम से बचने और संकटग्रस्त इकाई के व्यवस्थित परिवर्तन के लिए रास्ता बनाती है, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं होता है।

स्थानांतरण और बहिष्करण / परचेज एंड एसम्पशन: इस योजना के तहत, केडीआईसी एक स्वस्थ वित्तीय इकाई के साथ एक बंद बैंक लेनदेन में प्रवेश करता है, जिसे आम तौर पर ग्रहण करने वाला संस्थान (एआई) कहा जाता है, जहां एआई असफल की कुछ या सभी संपत्ति खरीदता है। बैंक और सभी बीमित जमा सहित कुछ या सभी देनदारियों को ग्रहण करता है।

परिसमापन: डीआईए के अनुसार, सीबीके केडीआईसी को एक संस्था के परिसमापक के रूप में नियुक्त करता है। परिसमापन में केडीआईसी को एक असफल इकाई का अधिग्रहण करना, बीमित जमा के भुगतान की सुविधा, असफल इकाई की संपत्ति का पता लगाना और संरक्षण, ऋण वसूली, संपत्ति की वसूली, परिसमापन लाभांश का भुगतान और समापन प्रक्रिया शामिल है।

समापन: डीआईए के अनुसार, परिसमापन के पर्याप्त समापन के बाद, केडीआईसी परिसमापन को समाप्त करने और समापन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है।

मलेशिया

9. पीआईडीएम द्वारा प्रबंधित जमा बीमा ढांचा व्यापक रूप से प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। अन्य सुरक्षा-नेट खिलाड़ियों के साथ सहयोग की संस्कृति के साथ, जीएफसी के जवाब में अपनाई गई व्यापक जमा गारंटी से बाहर निकलने में एक मजबूत प्रदर्शन, एक मजबूत जन जागरूकता कार्यक्रम, और संभावित वित्तीय संस्थान समाधान[9] के लिए चल रही योजना के साथ कुल मिलाकर, पीआईडीएम एक मजबूत संस्था है । पर्यवेक्षक के रूप में बैंक नेगारा मलेशिया और मलेशियाई जमा बीमा निगम (एमडीआईसी) के रूप में भी जाने जाने वाले पेरबदानन बीमा जमा मलेशिया (पीआईडीएम) ने दिवालिया होने के लिए ट्रिगर के एक सेट पर सहमति व्यक्त की है जो एमडीआईसी को हस्तक्षेप करने और विफल बैंकों का समाधान करने की अनुमति देगा। बैंक नेगारा मलेशिया, जो देश का केंद्रीय बैंक और पर्यवेक्षक है, पीआईडीएम को सूचित करता है जब संकटग्रस्त संस्था बंद हो जाती है या व्यवहार्य होने

[8] केन्या जमा बीमा अधिनियम 2012।

[9] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2013), मलेशिया: वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन, फरवरी।

की संभावना है। एमडीआईसी अधिनियम (जिसे अक्ता पेरबदानन बीमा जमा मलेशिया यानी अक्ता पीआईडीएम के रूप में भी जाना जाता है) संकटग्रस्त सदस्य संस्था के समाधान के लिए पीआईडीएम की कुल जिम्मेदारी और जवाबदेही को बाध्य करता है। इसका मतलब पर्यवेक्षक द्वारा जिम्मेदारी का परित्याग नहीं है और यह बैंक बंद होने तक पर्यवेक्षक के रूप में बना रहता है। पीआईडीएम के पास विशेष परीक्षा शक्तियाँ भी हैं। वित्तीय संकट का शीघ्र पता लगाना एक प्रभावी समाधान व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। उस प्रारंभिक पहचान प्रक्रिया में पीआईडीएम की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि यह संकट में उचित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है।

10. पीआईडीएम में विफलता समाधान के लिए एक विस्तृत टूल किट है। इनमें बैंक का नियंत्रण लेने और उसकी संपत्ति हासिल करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने, बैंक को बंद करने और परचेज एंड एसम्पशन लेनदेन करने, पुनर्गठन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने और यदि आवश्यक हो, तो बैंक के परिसमापन के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार शामिल है। पीआईडीएम के पास एक देनदार की संपत्ति की वसूली प्राप्त करने के लिए संरक्षक नियुक्त करने की शक्तियां हैं। इसे एक समाधान उपकरण के रूप में एक ब्रिज संस्थान को शामिल करने और कार्यान्वित करने का अधिकार है और संकटग्रस्त वित्तीय संस्थान की कुछ संपत्तियों और देनदारियों को ब्रिज संस्थान में स्थानांतरित करने का अधिकार है।

फिलीपींस

11. फिलीपींस जमा बीमा निगम (पीडीआईसी) बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर काम करता है। पीडीआईसी अपने चार्टर को लागू करने के लिए विनियम जारी करने, बैंकों की वित्तीय सुरक्षा और सुदृढ़ता का आकलन करने और बैंकिंग और जमा बीमा नियमों और विनियमों के पालन के लिए बैंक की जांच करने के लिए अधिकृत है, और पात्र संकटग्रस्त बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और बंद बैंकों के वैधानिक रिसीवर और परिसमापक के रूप में भी कार्य करता है। । सेंट्रल बैंक के मौद्रिक बोर्ड के आदेश पर, पीडीआईसी बंद बैंकों का अधिग्रहण करता है; उनकी संपत्ति, रिकॉर्ड और मामलों का प्रबंधन करता है; और बंद बैंकों के लेनदारों के लाभ के लिए इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। पीडीआईसी चार्टर के अनुसार, एक बंद बैंक निर्बाध रूप से समापन से परिसमापन तक संक्रमण करता है, जिससे पीडीआईसी को संपत्ति का निपटान और वितरण करने और क्रेडिट की वरीयता और सहमति के अनुसार लेनदारों के दावों का निपटान करने में सक्षम बनाता है जैसा कि फिलीपींस के नागरिक संहिता द्वारा प्रदान किया गया है।

12. फिलीपींस में कानून स्पष्ट रूप से संकल्प प्राधिकरण को अलग नहीं करता है। जबकि बैंकिंग संस्थान सेंट्रल बैंक और फिलीपींस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की संकल्प शक्तियों के अधीन हैं, पीडीआईसी प्रमुख समाधान प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। मौजूदा पी एंड ए टूल अबीमाकृत लेनदारों और खराब संपत्तियों को पीछे नहीं छोड़ने देता है। कानून को ब्रिज बैंकों के लिए और संभावित रूप से वैधानिक बेल-इन टूल्स के साथ-साथ हानि अवशोषित क्षमता आवश्यकताओं को बढ़ाने और संभावित डी-एसआईबी विफलताओं को दूर करने के लिए पी एंड ए टूल को मजबूत करने के लिए प्रावधान करना चाहिए। संशोधित समाधान ढांचे में बैंक हितधारकों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, प्रारंभिक हस्तक्षेप और उपचारात्मक कार्रवाई ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकता है और इसमें एक स्पष्ट वृद्धि प्रक्रिया शामिल की जा सकती है ताकि गंभीर रूप से कमी वाले बैंक लंबे समय तक परिचालन जारी रख सकें, जैसा कि वर्तमान में कभी-कभी देखा जाता है। पीडीआईसी को खुली बैंक सहायता प्रदान करके एक कमजोर बैंक के शेयरधारकों को जमानत देना बंद कर देना चाहिए। अधिकारियों को सरकार/कोषागार से जमा बीमा कोष के लिए एक समर्पित बैकस्टॉप स्थापित करने पर भी विचार करना चाहिए ताकि धन[10] की त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके।

[10] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2021), वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन - फिलीपींस, अप्रैल।

दक्षिण कोरिया

13. कोरिया में वित्तीय संस्थानों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा 1991 में लाए गए 'वित्तीय उद्योग के संरचनात्मक सुधार पर अधिनियम (एएसआईएफआई) और 1995 में अधिनियमित जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम (डीपीए) के तहत स्थापित किया गया है। संकल्प की शक्तियां हैं वित्तीय सेवा आयोग (एफ़एससी) और कोरिया जमा बीमा निगम (केडीआईसी)[11] में निहित है। एफएससी प्रमुख समाधान प्राधिकरण के साथ-साथ पर्यवेक्षी नीतियों और सुधारात्मक उपायों को लागू करने सहित प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार है।केडीआईसी कोरिया का एकीकृत जमा बीमाकर्ता है और एफ़एससी द्वारा निर्धारित समाधान कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकरण है, और एफएससी के मार्गदर्शन में कार्य करता है। एएसआईएफआई के तहत वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था बैंकों (राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, विदेशी बैंकों की घरेलू शाखाओं और वित्तीय होल्डिंग कंपनियों सहित), बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर लागू होती है।

14. एफ़एससी वित्तीय क्षेत्र और पर्यवेक्षी नीतियों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शुरुआती हस्तक्षेप और संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों का समाधान करने का निर्णय शामिल है। एफ़एससी की शक्तियों में संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई और समाधान तंत्र का निर्धारण शामिल है। एफ़एससी को सुधारात्मक और समाधान उपायों को लागू करने का अधिकार है, जैसे कि अधिकारियों को निलंबित करना, नए प्रबंधन की नियुक्ति करना, व्यावसायिक लाइनों को निलंबित करना, या शेयरधारक इक्विटी को लिखना।

15. केडीआईसी, एफएससी के साथ संयुक्त रूप से समाधान के लिए जिम्मेदार है। केडीआईसी एक एकीकृत जमा बीमा प्रणाली संचालित करता है और एफएससी की निगरानी में संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों का समाधान जमा बीमा कोष में कम से कम लागत के सिद्धांत के अनुसार ऋण, गारंटी और योगदान देकर करता है। यह किसी बीमाकृत वित्तीय संस्थान या उसकी जननी वित्तीय होल्डिंग कंपनी भी को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। पूर्व-वित्त पोषित जमा बीमा निधि के प्रबंधन के अलावा, केडीआईसी के पास कुछ सहायक पर्यवेक्षी शक्तियां हैं और यदि बीमाकृत वित्तीय संस्थानों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए आवश्यक समझा जाता है तो एफएसएस से एक बीमित संस्थान और उसकी वित्तीय होल्डिंग कंपनी की संयुक्त जांच आयोजित करने का अनुरोध कर सकता है। केडीआईसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जमा बीमा समिति है।

16. एफएससी और केडीआईसी के पास एएसआईएफ़आई और डीपीए के तहत उनके निपटान में कई समाधान उपकरण हैं। उपकरण में एक फर्म को नियंत्रित करने और संचालित करने, प्रबंधन को बदलने और अनुबंधों को स्थानांतरित करने और अस्थायी ब्रिज संस्थान और परिसंपत्ति प्रबंधन वाहन स्थापित करने की शक्तियां शामिल हैं। सभी समाधान उपकरण शेयरधारकों की सहमति के बिना उपयोग किए जा सकते हैं।

i) ब्रिज इंस्टीट्यूशन: केडीआईसी के पास समाधान के तहत संस्थाओं का अस्थायी सार्वजनिक स्वामित्व लेने की शक्ति है। समाधान में एक फर्म से संपत्ति, अधिकार और देनदारियों को लेने के लिए एक अस्थायी ब्रिज बैंक स्थापित करने की शक्ति, और ब्रिज बैंक की बिक्री या समापन की व्यवस्था करने के लिए, या इसकी कुछ या सभी देनदारियों की बिक्री की शक्ति है । ब्रिज बैंक की स्थापना केडीआईसी द्वारा एफएससी के अनुमोदन से की जाएगी। एक असफल वित्तीय संस्थान के व्यवसाय के एक नए स्थापित ब्रिज संस्थान या किसी तीसरे पक्ष के अधिग्रहणकर्ता को हस्तांतरण के मामले में केडीआईसी स्थानांतरित की जाने वाली संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देते हुए एक योजना तैयार करता है और एफएससी अंतिम निर्णय लेता है । देनदारियों का हस्तांतरण 'परिसमापन से बदतर कोई लेनदार नहीं' सुरक्षा के अधीन नहीं है। केडीआईसी के पास स्थापित किसी भी ब्रिज

[11] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2017), कोरिया की पीयर रिव्यू, दिसंबर से तैयार दक्षिण कोरिया में संकल्प ढांचा।

संस्थान का पूर्ण स्वामित्व है। ब्रिज बैंक के संचालन को पांच साल के बाद समाप्त किया जाना चाहिए।

ii) बेल-इन: समाधान किट में गैर-बीमित जमाकर्ताओं और असुरक्षित लेनदारों के दावों को लिखने या उन्हें विफल फर्म या समाधान में किसी उत्तराधिकारी की इक्विटी में बदलने के लिए वैधानिक जमानत शामिल नहीं है।

iii) एसेट मैनेजमेंट व्हीकल: केडीआईसी के पास एफएससी की मंजूरी के साथ एसेट मैनेजमेंट व्हीकल स्थापित करने की शक्ति है।

iv) वित्तीय समाधान क्रियाएँ: केडीआईसी एक असफल वित्तीय संस्थान या किसी तीसरे पक्ष के अधिग्रहणकर्ता या ब्रिज संस्थान को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। अधिकारियों द्वारा चुने गए रिज़ॉल्यूशन टूल के अनुसार फंडिंग प्रदान की जा सकती है। वित्त पोषण का प्रावधान डीपीए के तहत स्थापित न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुपालन के अधीन है।

17. आईएमएफ के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (2014)[12] ने पाया कि प्राधिकरण वित्तीय संकट के प्रबंधन के लिए कई उपकरणों से सुसज्जित थे, जिनमें शामिल हैं: मुद्रा और सुरक्षा बाजारों में प्रणालीगत तरलता को प्रभावित करने की क्षमता; व्यापक जमाकर्ता बीमा और निवेशक संरक्षण; और संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों में हस्तक्षेप और समाधान करने के लिए तंत्र। समाधान शक्तियों के तहत दक्षिण कोरिया के पास वैधानिक जमानत नहीं है।

ताइवान (चीनी ताइपे)

18. केंद्रीय जमा बीमा निगम (सीडीआईसी) की स्थापना सितंबर 1985 में वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक द्वारा संयुक्त रूप से निवेश की गई पूंजी के साथ की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गए शेयरों को 1 जनवरी, 2011 में वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया था। सीडीआईसी ताइवान में एकमात्र संस्थान है जो विशेष रूप से जमा बीमा प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और देश की वित्तीय सुरक्षा नेट के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग (एफएससी) से अनुमोदन के आधार पर सीडीआईसी समाधान कार्यों की संचालन प्रक्रियाओं का उल्लेख नीचे[13] किया गया है:

परचेज एंड एसम्पशन: सीडीआईसी उन बीमाकृत संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अन्य बीमाकृत संस्थानों का अधिग्रहण या ग्रहण करेंगे जिन्होंने संचालन बंद कर दिया है इसे परचेज एंड एसम्पशन के रूप में भी जाना जाता है। वित्तीय सहायता के लिए सीडीआईसी द्वारा प्रदान की गई धनराशि लक्षित संस्थान की संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर की भरपाई के लिए सीमित होगी। जब सीडीआईसी ऋण या जमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो सहायता की राशि लक्षित संस्थान की कवर जमा राशि के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। यह विफल संस्थानों का समाधान करने के लिए सीडीआईसी द्वारा प्रयोग की जा रही महत्वपूर्ण समाधान शक्तियों में से एक है।

ब्रिज बैंक: ब्रिज बैंकों को अर्थव्यवस्था या क्रेडिट बाजारों के लिए प्रणालीगत वित्तीय जोखिम से बचने और नकारात्मक प्रभावों, जैसे कि घबराहट और बैंक रन से बचने के प्रयास में लेनदारों और जमाकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ब्रिज बैंक एक अस्थायी उपाय है जो एक दिवालिया बैंक को खरीदार खोजने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है ताकि दिवालिया बैंक को एक नई स्वामित्व संरचना के तहत अवशोषित किया जा सके। इस मामले में कि एक दिवालिया बैंक खरीदार नहीं ढूंढ पा रहा है, ब्रिज बैंक उपयुक्त दिवालियापन अदालत की मदद से इसके परिसमापन की व्यवस्था करेगा। सीडीआईसी के पास दिवालिया बैंक के समाधान तक ब्रिज बैंक स्थापित करने या संचालित करने का अधिकार है।

[12] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2014), दक्षिण कोरिया : वित्तीय क्षेत्र का आकलन, जून।

[13] सीडीआईसी वेबसाइट में परचेज एंड एसम्पशन, ब्रिज बैंक की स्थापना और वित्तीय सहायता के प्रावधान जैसे समाधान कार्यों की संचालन प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय सहायता: सीडीआईसी अस्वस्थ बीमाकृत संस्थानों को ऋण, जमा या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जमाकर्ताओं को भुगतान के दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका

19. वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए डोड-फ्रैंक अधिनियम (डीएफए) 2010 में अधिनियमित किया गया था। इसने एफ़डीआईसी को तनावग्रस्त संस्थाओं, विशेष रूप से व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (एसआईएफ़आई) का इस तरह से समाधान करने के लिए और मजबूत किया कि यह कम से कम विघटनकारी और नुकसान को कम करने वाला हो। सभी असफल बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थान (बैंकों और बचत और बचत संस्थानों सहित) का संघीय जमा बीमा अधिनियम के तहत समाधान किया जाता है। व्यवस्थित परिसमापन प्राधिकरण (ओएलए) जिसे डीएफ़ए के शीर्षक II के रूप में भी जाना जाता है, अधिकारियों को अधिकांश वित्तीय संस्थानों के समाधान की सुविधा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें गंभीर प्रणालीगत व्यवधान पैदा करने और उनकी विफलता की स्थिति में करदाताओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। शीर्षक II एक बड़ी, जटिल वित्तीय कंपनीजो विफल होने के करीब है को, जल्दी और कुशलता से समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है । यह दिवालियापन कोड का एक विकल्प प्रदान करता है, जिसमें एफ़डीआईसी को कंपनी के परिसमापन और समापन के लिए एक रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जाता है। समाधान नियमपुस्तिका के अनुसार, जब किसी संस्थान का प्राथमिक नियामक संभावित विफलता के बारे में एफ़डीआईसी को सूचित करता है, तो समाधान गतिविधियाँ शुरू होती हैं। अधिसूचना पर, एफ़डीआईसी विफल संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करता है और संभावित समापन[14] की तैयारी में जानकारी एकत्र करने के लिए विशेषज्ञों के संस्थान में जाने की व्यवस्था करता है।

20. समाधान प्रक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य जमाकर्ताओं को उनकी बीमित निधि तक समय पर पहुंच प्रदान करना और असफल संस्थान को कम से कम खर्चीले तरीके से विभिन्न उपकरणों के साथ समाधान प्रदान करना है। असफल वित्तीय संस्थानों को हल करने के लिए दो बुनियादी तरीके उपलब्ध हैं, 'एक परचेज एंड एसम्पशन (पी एंड ए)' और 'जमा भुगतान'।

परचेज एंड एसम्पशन: पी एंड ए के तहत, एक स्वस्थ संस्थान एक असफल संस्थान की कुछ या सभी संपत्ति खरीदता है और सभी बीमाकृत जमाओं सहित कुछ देनदारियों को ग्रहण करता है। पी एंड ए एक असफल संस्थान का समाधान करने के लिए एफडीआईसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि है और इसे स्थानीय समुदायों के लिए कम से कम विघटनकारी माना जाता है। अलग-अलग परिस्थितियों में एफ़डीआईसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पी एंड ए लेनदेन हैं:

क) *मूल पी एंड ए:* मूल पी एंड ए में, संपत्ति जो अधिग्रहणकर्ताओं को दी जाती है, वह आम तौर पर नकद, नकद समकक्ष और विपणन योग्य प्रतिभूतियों तक सीमित होती है। वैकल्पिक ऋण पूल की पेशकश की जा सकती है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ग्रहण की गई देनदारियों में एफ़डीआईसी बीमा द्वारा कवर की गई जमा देनदारियों का हिस्सा शामिल होगा और इसमें सभी जमा राशियां भी शामिल हो सकती हैं, यदि यह कम से कम खर्चीली बोली है।

ख) *संपूर्ण बैंक पी एंड ए:* पूरे बैंक के तहत पी एंड ए बोलीदाताओं को असफल संस्थान की सभी संपत्तियों पर जैसा है छूट के आधार पर (बिना गारंटी के) बोली लगाने के लिए कहा जाता है।

ग) *वैकल्पिक साझा हानि के साथ पी एंड ए :* वैकल्पिक साझा हानि पी एंड ए एक समाधान लेनदेन है जहां एफ़डीआईसी, रिसीवर के रूप में, एआई के साथ कुछ प्रकार की परिसंपत्तियों पर नुकसान साझा करने के लिए सहमत होता है।

[14] संघीय जमा बीमा निगम (2014), संकल्प पुस्तिका, दिसंबर।

घ) *ब्रिज बैंक पी एंड ए:* ब्रिज बैंक लेनदेन एक पी एंड ए है जिसमें एफडीआईसी अस्थायी रूप से एआई के रूप में कार्य करता है।

जमा भुगतान: एक जमा अदायगी तब निष्पादित की जाती है जब एफडीआईसी को पी एंड ए लेनदेन के लिए सबसे सस्ती बोली प्राप्त नहीं होती है या यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।

21. सबसे बड़े वैश्विक एसआईएफ़आई के लिए एफ़डीआईसी द्वारा विकसित एकल बिंदु प्रविष्टि समाधान रणनीति के रूप में जानी जाने वाली समाधान रणनीति को क्लोज्ड फर्म बेल-इन कहा जा सकता है। आईएमएफ के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (2015) के अनुसार, डीएफए में वैधानिक जमानत शक्तियां[15] शामिल नहीं हैं।

भारत

22. भारत में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम मुख्य रूप से एक पे बॉक्स इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी, विफल सदस्य बैंकों के जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति, हालांकि इसकी समाधान में कुछ भूमिका है जिसे उसने कमजोर बैंकों के जमाकर्ताओं को अपनी वित्तीय सहायता का निर्वहन करके किया जो मजबूत बैंकों के साथ विलय/नियामक द्वारा अनुमोदित योजना द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है । 1990 के दशक के उत्तरार्ध से डीआईसीजीसी के अधिदेश को मजबूत करने के लिए भारत में विभिन्न प्रयास शुरू किए गए। भारत में जमा बीमा में सुधार पर सलाहकार समूह (अध्यक्ष: श्री जगदीश कपूर, 1999) ने सिफारिश की कि डीआईसीजीसी को परिसमापक और रिसीवर की भूमिका सौंपी जानी चाहिए, इस प्रकार निगम को समाधान कार्य की एक प्राथमिक भूमिका प्रदान की जानी चाहिए, हालांकि इसमें समाधान प्रशासन[16] के सभी महत्वपूर्ण तत्व नहीं हैं। एक सौ छोटे कदम: वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. रघुराम जी. राजन, 2009) ने जोखिम की निगरानी और एक असफल बैंक का समाधान करने के लिए डीआईसीजीसी की क्षमता को मजबूत करने की सिफारिश की जो त्वरित सुधारात्मक की एक अधिक स्पष्ट प्रणाली की आवश्यकता और जमा बीमा प्रीमियम को अधिक जोखिम-आधारित[17] बनाने पर बल देता है । डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (अध्यक्ष: श्री एच.एन. प्रसाद/श्री जी. गोपालकृष्ण, 2012) में संशोधन सहित जमा बीमा में सुधार पर कार्य समूह की रिपोर्ट ने देखा गया कि विभिन्न समितियों ने बैंक समाधान में डीआईसीजीसी के लिए केवल एक 'पे-बॉक्स' प्रणाली होने के बजाय एक बड़ी भूमिका की कल्पना की थी। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) (अध्यक्ष: श्री बीएन श्रीकृष्ण, 2013) ने वित्तीय फर्मों, बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और भुगतान प्रणालियों को कवर करते हुए एक समाधान निगम आरसी की स्थापना की सिफारिश की। एफएसएलआरसी ने आरसी के माध्यम से बड़ी वित्तीय फर्मों की विफलता से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। वैश्विक स्तर पर, नियामक बैंकों, होल्डिंग कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों और भुगतान, निपटान और समाशोधन प्रणाली जैसे एफएमआई सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को शामिल करने के लिए समाधान प्राधिकरणों के अधिदेश को व्यापक बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तदनुसार, एफएसएलआरसी ने भारत[18] में आरसी के लिए समान गुंजाइश की परिकल्पना की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों के समाधान पर एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया जिसमें श्री आनंद सिन्हा, पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई अध्यक्ष और डॉ अरविंद

[15] आईएमएफ (2015), संयुक्त राज्य का वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम - बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं के प्रमुख गुणों की समीक्षा - तकनीकी नोट, जुलाई।

[16] भारतीय रिजर्व बैंक डीआईसीजीसी (1999), भारत में जमा बीमा में सुधार पर कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री जगदीश कपूर), अप्रैल।

[17] भारत सरकार (2009), ए हंड्रेड स्माल स्टेप्स: वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. रघुराम जी. राजन), योजना आयोग।

[18] वित्त मंत्रालय (2013), वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग पर रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री बी.एन. श्रीकृष्ण)।

मायाराम, पूर्व सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के सह-अध्यक्ष के रूप में थे । कार्य समूह ने जनवरी 2014 में, वर्तमान डीआईसीजीसी को एफआरए में परिवर्तित करके या एक नया प्राधिकरण स्थापित करके जो डीआईसीजीसी[19] को समाहित करेगा, एक वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) की स्थापना की सिफारिश की। आरसी की स्थापना का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने सितंबर 2014[20] में एक टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्री एम दामोदरन) का गठन किया। टास्क फोर्स ने सरकार को एक व्यापक ढांचा प्रदान किया। इन प्रयासों से एक समाधान निगम की स्थापना के लिए वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक (एफआरडीआई) 2017 की शुरूआत की परिणति हुई। एफआरडीआई विधेयक का मसौदा बाद में 2018 में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। वर्तमान में, सरकार डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है जिसमें जमा राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में बीमित जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करना शामिल है। डीआईसीजीसी द्वारा सहायता प्राप्त/दावे का निपटान करने वाले बैंकों की सूची वार्षिक रिपोर्ट की परिशिष्ट तालिका 8 में उपलब्ध है।

निष्कर्ष

23. चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में जमा बीमा एजेंसियों की समाधान शक्तियों की जांच से पता चलता है कि ये सेंट्रल बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकरण में निहित हैं या जमा बीमाकर्ताओं के समर्थन से संयुक्त रूप से निष्पादित हैं। पर्याप्त धन के लिए समर्थन की रेखा विधियों में उपलब्ध कराई गई थी। असफल या असफल संस्थानों के समाधान के लिए बड़े बड़े क्षेत्राधिकारों में समाधान शक्तियां या उपकरण उपलब्ध हैं। ये शक्तियां मोटे तौर पर वित्तीय संस्थानों के समाधान के लिए एफएसबी प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश को जब कोई बैंक विफल होता है/अपना व्यवसाय बंद करता है तो बीमाकृत जमाकर्ताओं को अधिदेश, वित्त पोषण तंत्र और त्वरित प्रतिपूर्ति के संदर्भ में मजबूत किया गया है। जमाकर्ताओं की विफलता/हानि को रोकने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से कमजोर/असफल बैंकों की सहायता करने के लिए जमा बीमाकर्ताओं के पास भी विभिन्न उपकरण हैं जो बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय स्थिरता में विश्वास सुनिश्चित करते हैं। भारत में, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन द्वारा डीआईसीजीसी के अधिदेश को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं।

[19] भारतीय रिजर्व बैंक (2014), भारत में वित्तीय संस्थानों के संकल्प पर कार्य समूह, मई।

[20] वित्त मंत्रालय (2014), संकल्प निगम की स्थापना पर कार्य बल (अध्यक्ष: श्री एम दामोदरन), सितंबर।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी जमा बीमा एजेंसी है, जो अपने अधिनियम के अनुसार जमा बीमा के प्रावधान के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय स्थिरता और जनता के विश्वास में योगदान करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और निगम के प्रमुख कार्य हैं, दावों का निपटान, प्रीमियम संग्रह, निपटाए गए दावों की वसूली, धन का निवेश। कोविड-19 से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष के दौरान इन कार्यों को संतोषजनक ढंग से और आदेश के अनुसार किया गया । निगम ने 2020-21 के दौरान नौ बैंकों के दावों को परिसमापकों से प्राप्त होने पर शीघ्र निपटान की मंजूरी प्रक्रिया द्वारा पूरा किया । निगम ने निपटाए गए दावों की परिसमाप्त बैंकों से वसूली में भी सुधार देखा। इसने बीमित बैंकों द्वारा प्रीमियम जमा करने का समय भी एक महीने बढ़ा दिया। वित्तीय खातों के सार के साथ निगम के कामकाज के प्रमुख परिचालन मानकों को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 31 मार्च, 2021 तक 2,058 थी जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक [6 भुगतान बैंक (पीबी), 10 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)] और 1,919 सहकारी बैंक [33 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), 351 जिला सेंट्रल सहकारी बैंक(डीसीसीबी) और 1,535 शहरी सहकारी बैंक] शामिल हैं । पंजीकृत बैंकों की संख्या पिछले वर्ष में 2,067 बैंकों से घटकर 2020-21 में 2,058 हो गई **(परिशिष्ट सारिणी 1)**। संस्थाओं की संख्या के मामले में सहकारी बैंकों का वर्चस्व बना रहा **(परिशिष्ट सारिणी 2)**। वर्ष 2020-21 के दौरान, एक सहकारी बैंक और एक आरआरबी को बीमित बैंकों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जबकि 3 आरआरबी, 5 सहकारी बैंक, एक स्थानीय क्षेत्र के बैंक और 2 वाणिज्यिक बैंकों को विपंजीकृत किया गया **(परिशिष्ट सारिणी 3)**।

I.1 निक्षेप बीमा योजना-मुख्य तथ्य

वर्तमान में निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों (यूटी) में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ

भारत में जमा बीमा से 5 लाख तक की सभी जमाराशियों को कवर करने के साथ, मार्च 2021 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों (₹247.8 करोड़) की संख्या कुल खातों की संख्या (₹252.6 करोड़) का 98.1 प्रतिशत है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 80 प्रतिशत है। राशि के संदर्भ में, मार्च 2021 के अंत तक ₹76,21,251 करोड़ की कुल बीमाकृत जमाराशियां 20-30 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले ₹1,49,67,770 करोड़ की निर्धारणीय जमाराशियों का 50.9 प्रतिशत थीं (सारिणी 1)।

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ

	विवरण	निम्न तिथियों के अनुसार स्थिति[1]	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	खातों की कुल सं. (करोड़ में)	252.6	235.0
2	पूर्णतया संरक्षित खाते[2] (करोड़ में)	247.8	216.1 (231.0)
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	98.1	92.0 (98.3)
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	1,49,67,770	1,34,88,910
5	बीमाकृत जमाराशियाँ[3] (₹ करोड़ में)	76,21,251	36,96,100 (68,71,500)
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	50.9	27.4 (50.9)

1. सितंबर 2020 और सितंबर 2019 के जमा आधार के आधार पर यानी संदर्भ तिथि से छह महीने पहले।
2. जमा बीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है।
3. मार्च 2020 के आकड़े ₹1 लाख जबकि कोष्ठक में ₹68,71,500 करोड़ अनुमानित ₹5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित है।

भुगतान बैंकों के अलावा अन्य प्रमुख बैंक समूहों के बीच बीमा सुरक्षा के तहत कवर की गई जमाराशियों की जांच से पता चलता है कि आरआरबी का हिस्सा लगभग 84 प्रतिशत है, जिसके बाद क्रमशः स्थानीय क्षेत्र के बैंक (80.1 प्रतिशत), सहकारी बैंक (69.4 प्रतिशत) हैं।, भारतीय स्टेट बैंक (59.1 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (54.6 प्रतिशत), लघु वित्त बैंक (44.5 प्रतिशत), निजी क्षेत्र के बैंक (39.6 प्रतिशत) और विदेशी बैंक (6.8 प्रतिशत) हैं **(परिशिष्ट सारिणी 4, परिशिष्ट सारिणी 5 और चार्ट 1)**। ₹5 लाख तक का बीमा कवर सितंबर के अंत 2020 के लिए बैंकों द्वारा जमा किए गए डेटा जमा बीमा रिटर्न पर आधारित है।

चार्ट 1 : मार्च के अंत के अनुसार जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा का विस्तार

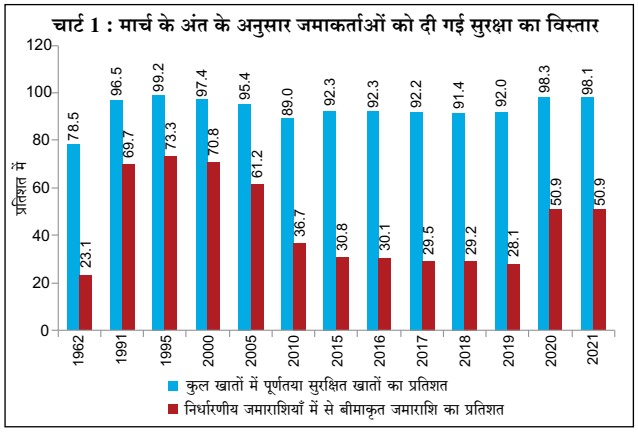

I.1.2 जमा बीमा प्रीमियम

वाणिज्यिक बैंकों ने कुल प्रीमियम का 93.3 प्रतिशत योगदान दिया जबकि सहकारी बैंकों ने शेष 6.7 प्रतिशत का योगदान दिया (सारणी 2)।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एलएबी और आरआरबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234
2018-19	11,192	851	12,043

I.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए,

से निगम को ब्याज देना होगा **(सारिणी 3)**। महामारी की स्थिति, लॉक डाउन और परिणामी लेखापरीक्षा के पूरा होने में देरी को देखते हुए, एक महीने तक की देरी से प्रीमियम जमा करने वाले बैंकों को बोर्ड के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज के भुगतान से छूट दी गई।

सारिणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति

(प्रतिशत)

से	तक	बैंक दर	दंड स्वरूप ब्याज दर	चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर
01.04.2020	21.05.2020	4.65	8.00	12.65
22.05.2020	31.03.2021	4.25	8.00	12.25

I.2 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय से होता है। निगम ने 1 अप्रैल, 2020 से पहले की 10 पैसे की दर से निर्धारणीय जमाराशियों की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 12 पैसे प्रति ₹100 कर दिया है। डीआईएफ में परिसमापकों/प्रशासकों/अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी राशियों का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2021 को यह निधि ₹1,29,904 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह ₹1,10,384 करोड़ थी। इसका आरक्षित अनुपात (डीआईएफ से बीमित जमाओं का अनुपात) 1.70 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

चार्ट 2 : निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

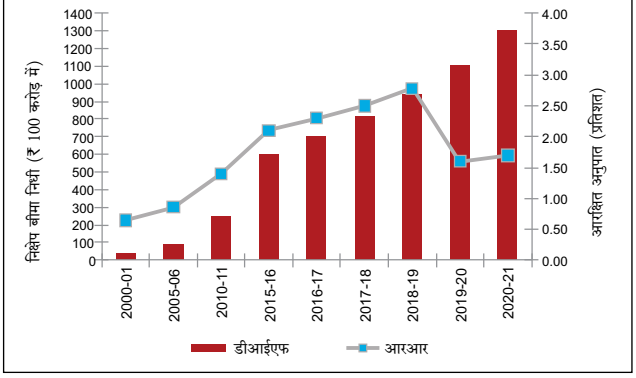

I.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2020-21 के दौरान, निगम ने मौजूदा महामारी की स्थिति के तहत परिसमाप्त बैंकों के बीमित जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2020-21 के दौरान ₹992.9 करोड़ राशि के दावों को संसाधित किया । ₹992.9 करोड़ में से, निगम ने 2020-21 के दौरान नौ सहकारी बैंकों के संबंध में ₹563.9 करोड़ के कुल दावों[4] का निपटान किया, जैसा कि **परिशिष्ट सारिणी 6** में बताया गया है। एक बैंक का मुख्य दावा मार्च 2020 में प्रोसेस किया गया परंतु ₹ 329.6 करोड़ की राशि के लिए इसका निपटान अप्रैल 2021 में किया गया। इसके अलावा, ₹7.1 लाख की राशि परिसमापक द्वारा वापस की गई अवितरित राशि के संबंध में 11 अनुपूरक दावों और ₹98.5 लाख की राशि के 4 रोके गए अनुपूरक दावों पर कार्रवाई की गई। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए निपटाए गए दावों की राशि के साथ विफल बैंकों की राज्य-वार संख्या **चार्ट 3** में दी गई है। दावा की गई राशि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बैंकों के लिए थी।

4 परिशिष्ट तालिका 6 में प्रदान की गई त्वरित दावा निपटान नीति के तहत तीन बैंकों के संबंध में स्वीकृत दावों के कारण ₹40.9 करोड़ शामिल हैं। तुलन पत्र में ₹524.1 करोड़ के डेटा में रोके गए 4 अनुपूरक दावों का निपटान शामिल है और निगम की त्वरित नीति के तहत निपटान किए गए दावों को शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट 3: 2020-21 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

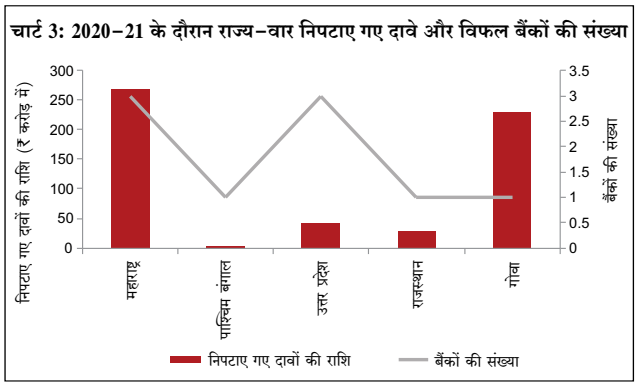

निगम के पास इस श्रेणी में भविष्य के किसी भी दावे के लिए अप्राप्य जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के लिए परिसमापक द्वारा वापस की गई राशि के लिए ₹44.6 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा, अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹208.3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तीन बैंक (जिनके लाइसेंस 4थी तिमाही 2020-21 में रद्द कर दिए गए थे) जहां आकस्मिक देयता बनाई गई थी लेकिन दावों को अभी तक क्रिस्टलीकृत नहीं किया गया **(परिशिष्ट सारिणी 7)**।

परिसमापकों से प्राप्त होने के बाद डीआईसीजीसी द्वारा मुख्य दावों के निपटारे के लिए लिए गए औसत दिन वर्ष 2019-20 के दौरान 10 दिन की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 7 दिन[5] थे और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में निर्धारित अवधि 2 महीने के भीतर बने रहे। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, दावों के सत्यापन के लिए क्षेत्रवार चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति के अलावा, निगम उन सभी 6 बैंकों के दावों का निपटान किया गया जिनके लाइसेंस 2020-21 के दौरान रद्द कर दिए गए थे। पुराने मामलों से लंबित दावों (प्रस्तुत न किए गए दावे) को भी इस अवधि के दौरान नीचे लाया गया है।

I.4 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

जमा बीमा की शुरुआत से 31 मार्च, 2021 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त दावों की संचयी राशि ₹295.9 करोड़ थी। वाणिज्यिक बैंकों के परिसमापकों/अंतरिती बैंकों से प्राप्त संचयी वसूलियाँ ₹153.0 करोड़ थी जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹1.8 करोड़ शामिल हैं। 2020-21 के दौरान 3 बैंकों के संबंध में ₹30.5 मिलियन की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

365 सहकारी बैंकों के संबंध में भुगतान/प्रदान किए गए दावों की संचयी राशि ₹5,466.9 करोड़ रही जिसमें वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹563.9 करोड़ शामिल हैं **(चार्ट 4 और परिशिष्ट सारिणी 8)** । सहकारी बैंकों के मामले में, परिसमापक/अंतरिती बैंकों से संचयी वसूलियां, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹568.5 करोड़[6] सहित कुल मिलाकर ₹ 3,282.1 करोड़ हैं। 2020-21 के दौरान दावों के निपटान में उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि निगम से डीआई निधियों का निवल व्यय शून्य था क्योंकि वसूलियां निपटाए गए दावों की राशि से कुछ अधिक थी।

चार्ट 4: भुगतान किए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि – 2020-21

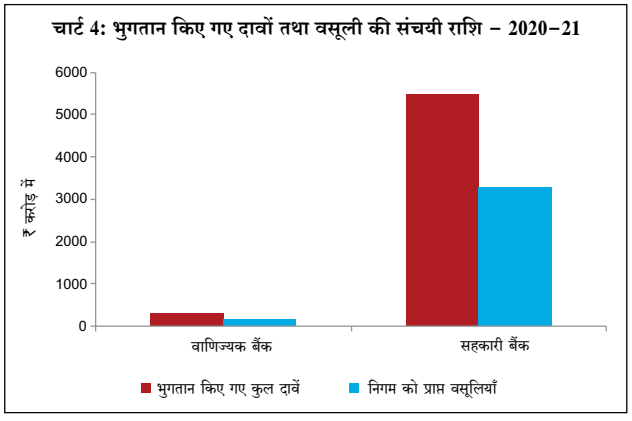

2020-21 के दौरान निपटाए गए दावे पिछले 10 वर्षों के दौरान निपटाए गए/स्वीकृत दावों की राशि से अधिक रहे **(परिशिष्ट सारिणी 8 और चार्ट 5)**।

5. तीन बैंकों के संबंध में दावे त्वरित निपटान नीति के तहत निपटाए गए और इन्हें मुख्य दावों के लिए दिनों की औसत संख्या की गणना से बाहर रखा गया है। उन तीन बैंकों को मिलाकर कुल दिनों की संख्या 13 थी।

6. तरल निधि समायोजन (एलएफए) के तहत रिपोर्ट किए गए ₹27.5 करोड़ को मिलाकर। दावों को निपटाने के लिए प्रयुक्त परिसमापकों के पास परिसंपत्तियों की प्राप्ति से उपलब्ध धन राशि को इस हद तक डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान माना जाता है ।

चार्ट 5: पे-आउट और परिसमापित बैंकों की संख्या

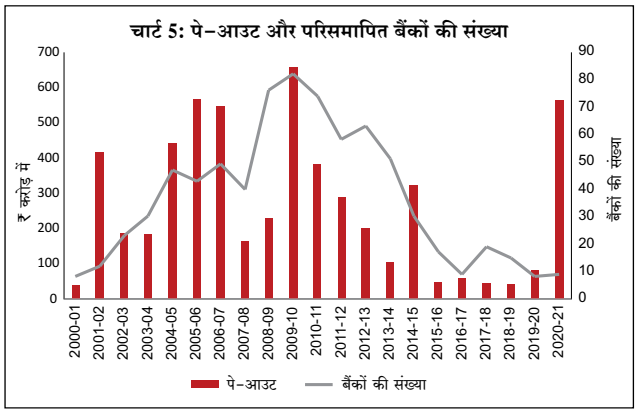

I.5 कोर्ट मामले

31 मार्च, 2021 को निगम की जमा बीमा गतिविधि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों और अन्य मंचों में लंबित अदालती मामलों की संख्या 31 मार्च, 2020 को 44 की तुलना में 49 थी। वर्ष के दौरान, 1 मामला बंद कर दिया गया था, जबकि 6 नए मामले दर्ज किए गए। 49 लंबित मामलों में से, 6 मामले निगम (वसूली) द्वारा दायर किए गए थे, जबकि 43 मामले निगम को पक्ष या प्रतिवादी बनाते हुए (मुख्य रूप से परिसमापन/लाइसेंस रद्द करने/विनियामक कार्रवाई के खिलाफ) दायर किए गए थे। दो बैंक है,पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और रामकृष्णपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं, जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं, जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान की अदालत द्वारा निर्देशित प्रक्रिया शामिल है, जिनके दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

चार्ट 6: न्यायालय वार अलग-अलग मामले 2020-21

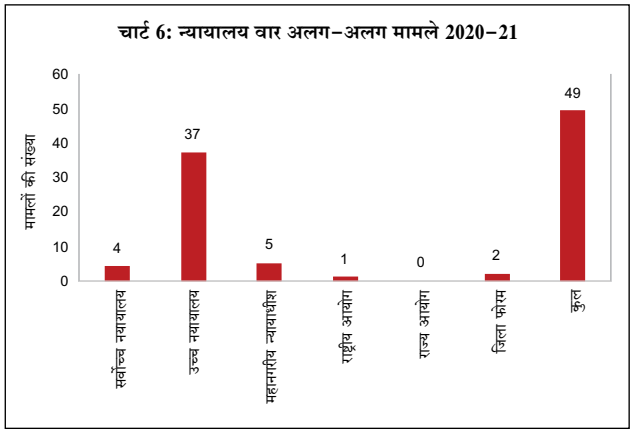

I.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में निगम द्वारा कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.7 लाख की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0.4 लाख की वसूली प्राप्त हुई । 31 मार्च, 2021 तक ऋण गारंटी गतिविधि से संबंधित लंबित न्यायालयी मामलों की संख्या शून्य रही ।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण प्रयास / प्रगति

II.1 दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उपाय

एकीकृत अनुप्रयोग लेखा सॉफ्टवेयर समाधान (आइएएसएस) दिशानिर्देश परिसमाप्त बैंकों को ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए जारी किए गए थे। कुछ विशिष्ट मामलों में दावों में तेजी लाने के लिए एक्सेल आधारित फाइलिंग की अनुमति दी गई थी। निगम ने परिसमापक द्वारा तैयार की गई दावों की सूची के सत्यापन के लिए सीए की नियुक्ति में तेजी लाने के उद्देश्य से, पांच अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पांच चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक, को सूचीबद्ध किया है। यह तंत्र किसी बैंक के परिसमापन के दौरान दावा सूची के शीघ्र सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) से संपर्क करके वर्ष के दौरान बैंक के परिसमापन पर तुरंत परिसमापक नियुक्त किए गए। निगम ने वित्त मंत्रालय के समक्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(5) के तहत लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ लंबित अपील मामलों को उठाया। अपील के तहत सभी लंबित मामलों को वित्त मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया और निगम ने दावों का निपटारा कर दिया (2020 से पहले विपंजीकृत बैंक)।

II.2 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय

आरसीएस अधिकारियों / परिसमापकों के साथ जानकारी साझा करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (आर ओ) ने वर्ष के दौरान सहकारी शहरी बैकों पर कार्यदल (टैफकब) की उप-समिति की 15 बैठकें आयोजित कीं, जिसमें निगम के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से भाग लिया। निगम ने वसूली बढ़ाने और दावों को निपटाने के लिए तरलता प्रदान करने के लिए परिसमापन के तहत 7 बैंकों के लिए मूल्य मुक्त हस्तांतरण के माध्यम से ₹293.7 करोड़ की राशि की सरकारी प्रतिभूतियां भी खरीदीं।

II.3 निबीप्रगानि अधिनियम में संशोधन

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2021 को अपने बजट भाषण में एक घोषणा की कि ''मैं इस सत्र में ही डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन पेश करूंगी ताकि प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया जा सके, जिससे यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है तो ऐसे बैंक के जमाकर्ता जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी जमा राशि तक आसान और समयबद्ध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।'' अधिनियम में संशोधन का इंतजार है।

भाग III : लेखा-विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित प्रपत्र में, तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में निगम के मामलों की लेखा परीक्षा की गई है । इसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यह अलग से संलग्न है।

III.1 बीमा देयताएं

(क) निगम ने 2020-21 के दौरान ₹992.9 करोड़ के दावों को संसाधित किया है। इसमें से ₹524.1 करोड़ (₹70.9 करोड़)[7] का भुगतान बीमा दावों के लिए किया गया था।

(ख) बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के जमा बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹12,275.3 करोड़ (₹12,087.3 करोड़) थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभावित दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) में अधिशेष ₹26,554.9 करोड़ (₹15,486.3 करोड़) था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹11,068.6 करोड़ (₹71.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। इसका कारण मुख्य रूप से प्रीमियम आय (₹4,283.6 करोड़) में वृद्धि, निवेश से आय (₹1,118.4 करोड़), वसूली (₹461.7 करोड़) और बीमा कवर में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष में बीमांकिक देयता (₹6,331.7 करोड़) में वृद्धि के बेस प्रभाव है। यह अंशतः निवल दावों (₹938.9 करोड़) और बीमांकिक देयता (₹188.0 करोड़) में वृद्धि द्वारा ऑफसेट हुई।

(ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹43.4 करोड़ (एक वर्ष पूर्व ₹41.0 करोड़) रहा। अधिक राजस्व अधिशेष का श्रेय निवेश से हुई आय में ₹2.5 करोड़ की वृद्धि को जाता है ।

7. प्रतिशत में दर्शाए गए आँकड़ों को छोड़कर कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की समरूप स्थिति के आँकड़े दर्शाते हैं।

(ग) सामान्य निधि में अधिशेष (जीएफ) ₹10.8 करोड़ (₹6.2 करोड़) था, जो मुख्य रूप से निवेश से आय में ₹1.1 करोड़ की वृद्धि और किराए, स्थापना, यात्रा और ठहराव भत्ते, कानूनी शुल्क, लेखा परीक्षकों की फीस, सेवा अनुबंध / रखरखाव, पेशेवर शुल्क और सीसीआईएल लेनदेन शुल्क में कमी के कारण व्यय में ₹3.5 करोड़ की कमी के कारण था।

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष /रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹1,17,629 करोड़ (₹98,297 करोड़), ₹542 करोड़ (₹510 करोड़) और ₹558 करोड़ (₹550 करोड़) था।

III.4 निवेश

2020-21 के अंत में तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमशः ₹1,32,223 करोड़ (₹1,11,218 करोड़), ₹555 करोड़ (₹530 करोड़) और ₹630 करोड़ (₹610 करोड़) रहा है। वर्ष के अंत में सभी निधियों में अभिमूल्यन हुआ और तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेश का बाज़ार मूल्य क्रमशः ₹1,39,150 करोड़, ₹604 करोड़ और ₹682 करोड़ रहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष क्रमश: ₹25,349 करोड़ (₹18,675 करोड़), ₹61 करोड़ (₹38 करोड़) और ₹18 करोड़ (₹15 करोड़) है । निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹23,658 करोड़ (₹16,975 करोड़), ₹46 करोड़ (₹35 करोड़) और ₹18 करोड़ (₹15 करोड़) रहा ।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹3,156 करोड़ का भुगतान किया गया। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग IV : खजाना परिचालन

IV.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2021 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹1,33,407 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.7 प्रतिशत अधिक है। पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य ₹1,40,436 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2020 को ₹1,20,633 करोड़ की तुलना में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और 31 मार्च, 2020 के बही मूल्य के 1.07 गुना की तुलना में 1.05 गुना है । वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न[8] 2019-20 में 14.6 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत था। यह मुख्य रूप से वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान आय में कमी और कोविड-19 लॉक डाउन के दौरान प्रतिबंधित संचालन के कारण था ।

8. टीडबल्यूआर की गणना डायटज़ विधि का उपयोग करके की जाती है, जैसे टीडबल्यूआर = [एमवीवी-एमवीबी + आई-सी] / [एमवीबी + (0.5 × सी)], जहां एमवीई/ बी = अंत/ शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = नए प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्यों के आधार पर किया जाता है। निवेश पर लेखांकन नीति के संदर्भ में, शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो मान्य होता है। शुद्ध अभिमूल्यन, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। 31 मार्च 2021 के अनुसार सभी निधियों में शुद्ध अभिमूल्यन हुआ। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व निधि (आईएफआर) का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 2020 को ₹5,834 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च, 2021 के अनुसार, मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा परिकलित, ₹6,372 करोड़ की निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) निधि अनुरक्षित थी।

IV.3 वर्ष के अंत में बढ़ने से पहले प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में गिरावट आई और वर्ष के अधिकांश भाग के लिए यह निचले स्तर पर रहा (10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 31 मार्च, 2020[9] को 6.14 की तुलना में 31 मार्च 2021 को 6.18 प्रतिशत था)। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के परिणामस्वरूप विकास दर जीडीपी में संकुचन वर्ष 2020-21 की विशेषता थी। राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के साथ-साथ कम कर राजस्व के कारण सरकार द्वारा लिया गया अधिक उधार, तरलता समर्थन में वृद्धि, मौद्रिक नीति उपाय और रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचालन जैसे कारकों के एक समूह ने वर्ष के दौरान प्रतिफल की गति को प्रभावित किया । वर्ष की पहली छमाही के दौरान, ब्याज दर में कमी और मौद्रिक नीति के उदार रुख के कारण प्रतिफल में नरमी आई, और पहली छमाही के अंत की ओर बढ़ने से पहले निचले स्तर पर बनी रही। इसके बाद, मौद्रिक नीति के निरंतर उदार रुख, खुले बाजार के संचालन के परिणामस्वरूप प्रतिफल में नरमी आई और जनवरी के अंत तक निचले स्तर पर बनी रही। केंद्रीय बजट में घोषित बड़े सरकारी उधार के कारण साथ ही अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिफल में वृद्धि के कारण पिछली तिमाही में प्रतिफल कठोर हो गया जो रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालन और अन्य उपायों से आंशिक रूप से ऑफसेट हुआ ।

भाग V : संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है। निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

डॉ. गोविंद राजुलु चिंतल, अध्यक्ष, नाबार्ड को 13 जुलाई, 2020 से 31 जून 2022 अथवा अगले आदेश, इसमें से जो भी पहले हो, तक डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के साथ पठित धारा 6 (2) (ii) के तहत निदेशक मंडल में नामित किया गया।

डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 24 नवंबर, 2020 से होगा।

9. 31 मार्च, 2020 को 10 साल का बेंचमार्क 6.45 जीएस 2029 था। इसके बाद 2020-21 में तीन और 10 साल सिक्योरिटीज जारी किए गए और 31 मार्च, 2021 को 10 साल बेंचमार्क 5.85 जीएस 2030 था ।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2021 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1. डॉ. गोविंद राजुलु चिंतल,		अध्यक्ष
2. डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	भारत सरकार द्वारा नामिती	निदेशक
3. श्री पम्मि विजय कुमार		निदेशक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए तरलता लागत, विप्रो (आईएएसएस मॉड्यूल) की परियोजना लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखा परीक्षकों, मेसर्स एम एम चितले एंड कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा की। लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था और समीक्षाधीन चालू वर्ष के दौरान कोई बड़ी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान आरबीआईए (2019-20) के कुछ पैरा का आगे का अनुपालन प्रस्तुत किया गया। जबकि इन अधिकांश पैरा के अनुपालन स्वीकार कर लिया गया है।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने स्टाफ के कौशल अपग्रेड करने हेतु निगम उनको विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों, और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन कार्यक्रमों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत और विदेश में विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2020-21 के दौरान 27 अधिकारी और 2 श्रेणी III के स्टाफ सदस्यों सहित कुल 29 कर्मचारियों को कोविड-19 की स्थितियों के चलते वेबेक्स के माध्यम से कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इनके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पूंज़ी बाजार संघ द्वारा डीलरों के लिए फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और निर्माण पाठ्यक्रम पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 अधिकारी नामित किए गए थे।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भा.रि.बैं. से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च 2021 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च 2020 के 56 की तुलना में 52 है। उनका श्रेणीवार विवरण सारिणी 4 में दिया गया है :

सारिणी 4 : 31 मार्च 2021 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		प्रतिशत (%)	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	36 *	4	1	11	3
श्रेणी III	13	2	0	15	0
श्रेणी IV	3	0	0	0	0
कुल	**52**	**06**	**1**	**12**	**2**

अजा -अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

* कार्यपालक निदेशक को छोड़कर

कुल स्टाफ में से श्रेणी I में 69 प्रतिशत, श्रेणी III में 25 प्रतिशत और शेष 06 प्रतिशत श्रेणी IV में थे। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में से 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबन्धित हैं ।

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान निगम द्वारा कुल 48 सूचना का अधिकार संबंधी अनुरोध तथा 1 अपील संबोधित की गई। प्रश्न, जमाकर्ताओं की रक्षा करने में भारतीय रिज़र्व बैंक और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर का विस्तार, विफल बैंकों की जमा राशि पर भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी और बढ़ाए गए जमा बीमा कवर से संबंधित थे। प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में दे दिए गए।

V.7 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2020-21 में निगम का हिन्दी पत्राचार 96.6 प्रतिशत रहा । निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 21 जनवरी 2021 किया गया ।

V.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम के खिलाफ जनता के सदस्यों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष का संचालन किया जाता है। ग्राहक सेवा कक्ष दावा निपटान के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में है। परिसमापकों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और पर्यवेक्षण विभाग /विनियमन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के साथ समन्वय स्थापित करके शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया । शिकायतों से संबंधित मुद्दों को निपटान के लिए विशिष्ट मामलों में टैफकब की उप समिति में भी उठाया गया था।

V.9 जन जागरूकता

निगम जनता को बीमाकृत बैंकों, वेबसाइट, जमा बीमा पर ब्रोशर और पुस्तिकाओं के माध्यम से जमा बीमा के बारे जानकारी प्रदान करता है। प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के मूल सिद्धांतों के सिद्धांत 10 के अनुपालन में, निगम वेबसाइट पर रियल टाइम आधार पर निपटान/लंबित दावों की स्थिति को अद्यतन करता है। वर्ष के दौरान, जमा बीमा कवर की उपलब्धता के संबंध में गुजरात और कर्नाटक राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्टिकर भेजे गए।

डीआईसीजीसी की वेबसाइट जनता की जानकारी के लिए बीमित बैंकों के पंजीकरण को रद्द करने संबंधी जानकारी, मुख्य दावों की प्रस्तुति और दावों के निपटान, परिसमापकों की

नियुक्ति, परिसमापकों के लिए बैंक खाता खोलने के संबंध में निर्देश, सभी बीमित बैंकों द्वारा केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन, परिसमापक द्वारा तैयार किए गए दावों में अज्ञात और अप्राप्य जमाकर्ताओं पर प्रेस विज्ञप्ति, जन जागरूकता फाइलें और पोस्टर, दावा निपटान प्रक्रिया पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और जनता की जानकारी के लिए बीमित बैंकों की सूची की जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

V.10 अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) में भूमिका

निगम के कार्यकारी निदेशक ने 27-29 मई, 2020 के दौरान हुई आईडीआई की 62 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया। एपीआरसी 2020 सर्वेक्षण के लिए सामग्री प्रदान की गई थी। 2020 के लिए आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 31 मार्च, 2020 को निगम की कार्यप्रणाली के आधार पर प्रस्तुत किया गया था।

दावों पर नोट तैयार करने के लिए चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में दावा निपटान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई थी । निगम ने मई-सितंबर 2020 की अवधि के लिए आईएडी एपीआरसी सर्वेक्षण और आईएडी रणनीतिक लक्ष्यों और शुल्क मॉडल पर रणनीतिक योजना कार्य समूह सर्वेक्षण में भाग लिया। आईएडीआई से संबंधित संपर्क कार्य भी किया गया। एजीएम और एक्सको के संबंध में आईएडी की बैठकों से संबंधित कार्य में भाग लिया गया और आईएडीआई के साथ प्रासंगिक संचार किया गया ।

V.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स एन.बी.एस. एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वर्ष 2020-21 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

कृते निदेशक मंडल,

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम,
मुंबई

(एम. डी. पात्र)
अध्यक्ष

दिनांक: 25 जून 2021

परिशिष्ट सारिणी 1:
निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

*पिछले वर्षों में 60 बैंक पंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

परिशिष्ट सारिणी 2-ए:
बीमाकृत बैंक – श्रेणीवार

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109
2016-17	100	56	3	1,966	2,125

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्र के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी:
बीमाकृत सहकारी बैंक – राज्यवार (मार्च 2021 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	21	46	68
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	22	4	27
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	5	6
7.	गुजरात	1	18	218	237
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	22	262	285
12.	केरल	1	1	60	62
13.	मध्य प्रदेश	1	38	49	88
14.	महाराष्ट्र	1	31	491	523
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोरम	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	ओडिशा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	35	65
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	129	154
24.	तेलंगाना	1	0	51	52
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	54	62	117
27.	उत्तराखंड	1	6	5	12
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	43	61
	संघशासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
4.	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
5.	पुडुचेरी	1	0	1	2
कुल		**33**	**351**	**1,535**	**1,919**

परिशिष्ट सारिणी 3:
वर्ष 2020-21 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत (2)

बैंक का प्रकार	क्रम सं.	बैंक का नाम
सहकारी बैंक (1)	1.	जीजामाता महिला सहकारी बैंक लि., सातारा
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1)	1.	बड़ौदा यूपी बैंक

ख. विपंजीकृत (11)

बैंक प्रकार	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (2)	विदेशी बैंक	1.	वेस्टपैक मार्केट्स पीएलसी (ऑपरेशन का स्वैच्छिक समापन)
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.	लक्ष्मी विलास बैंक (डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (3)	उत्तर प्रदेश	1.	पूर्वांचल बैंक (नवगठित बड़ौदा यूपी बैंक के साथ विलय)
		2.	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (नवगठित बड़ौदा यूपी बैंक के साथ विलय)
		3.	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (नवगठित बड़ौदा यूपी बैंक के साथ विलय)
सहकारी बैंक (5)	गोवा	1.	मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	महाराष्ट्र	1.	कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
		2.	शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड
		3.	वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड
		4.	चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु कॉ-ऑप. बैंक लिमिटेड
स्थानीय क्षेत्र के बैंक (1)	महाराष्ट्र	1.	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड

परिशिष्ट सारिणी 4:
जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की (संख्या करोड़ में)*	खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (₹100 करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹100 करोड़ में)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,213	1,49,678	50.9
2019-20	216.1 (231.0)	235.0	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000, 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधिक नहीं थीं। कोष्ठक में आंकड़े ₹5,00,000 बीमा कवर के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि जमा बीमा रिटर्न डेटा में ₹3,00,000 से ऊपर पूर्णतया विभाजित जानकारी नहीं थी।

टिप्पणी: 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

परिशिष्ट सारिणी 5:

बैंकवार श्रेणी – बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹100 करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹100 करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2020-21	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	96	65,410	1,35,088	48.4
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	18,273	30,928	59.1
	ii) सरकारी क्षेत्र के बैंक	11	29,638	54,310	54.6
	iii) विदेशी बैंक	45	480	7,061	6.8
	iv) निजी बैंक	21	16,655	42,022	39.6
	v) भुगतान बैंक	6	36	36	99.5
	vi) लघु वित्त बैंक	10	321	721	44.5
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	7	9	80.1
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	3,915	4,665	83.9
	III. सहकारी बैंक	1,919	6,888	9,925	69.4
	कुल (I + II + III)	**2,058**	**76,213**	**1,49,678**	**50.9**
2019-20	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) सरकारी क्षेत्र के बैंक	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) विदेशी बैंक	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) निजी बैंक	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) भुगतान बैंक	6	16 (16)	16	100.0(100.0)
	vi) लघु वित्त बैंक	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. सहकारी बैंक	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	कुल (I + II + III)	**2,067**	**36,961 (68,715)**	**1,34,889**	**27.4 (50.9)**
2018-19	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	106	27,674	1,07,776	25.7
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	8,130	25,074	32.4
	ii) सरकारी क्षेत्र के बैंक	18	14,114	46,937	30.1
	iii) विदेशी बैंक	46	166	5,586	3.0
	iv) निजी बैंक	21	5,209	29,888	17.4
	v) भुगतान बैंक	7	9	9	100.0
	vi) लघु वित्त बैंक	10	42	275	15.2
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4	7	57.1
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51	2,251	3,783	59.5
	III. सहकारी बैंक	1941	3,775	8,492	44.5
	कुल (I + II + III)	**2,098**	**33,700**	**1,20,051**	**28.1**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ₹5 लाख बीमित जमा के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि जमा बीमा कवर में वृद्धि 4 फरवरी, 2020 से प्रभावी है।

परिशिष्ट सारिणी 6:

2020-21 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र (3)			
1	सीकेपी सहकारी बैंक लि.	मुख्य	43,720	25,06,403.50
2	नवोदय यूसीबीएल, नागपुर	मुख्य	2,125	1,53,640.88
3	श्री साईं यूसीबीएल, मुखेड़	मुख्य	449	9,372.57
	कुल (महाराष्ट्र)	**मुख्य (3)**	**46,294**	**26,69,416.95**
	पश्चिम बंगाल (1)			
1	कसुंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	123	2,789.69
	कुल (पश्चिम बंगाल)	**अनुपूरक (1)**	**123**	**2,789.69**
	उत्तर प्रदेश (3)			
1	ब्रह्मवर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी	मुख्य	26,425	2,51,000.00
2	गाजियाबाद यूसीबीएल	मुख्य	एन/ए	1,16,856.00
3	हरदोई यूसीबीएल	मुख्य	11,918	42,022.68
	कुल (उत्तर प्रदेश)	**मुख्य (3)**	**38,343**	**4,09,878.68**
	राजस्थान (1)			
1	भीलवाड़ा महिला यूसीबीएल, राजस्थान	मुख्य	11,925	2,70,705.51
	कुल (राजस्थान)	**मुख्य (1)**	**11,925**	**2,70,705.51**
	गोवा (1)			
1	मापुसा यूसीबीएल	मुख्य	63,751	22,85,920.07
	कुल (गोवा)	**मुख्य (1)**	**63,751**	**22,85,920.07**
		मुख्य (8)	**1,60,313**	**56,35,921.22**
	कुल (सभी राज्य)	**अनुपूरक (1)**	**123**	**2,789.69**
		कुल	**1,60,436**	**56,38,710.91**

परिशिष्ट सारिणी 7:
आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान
(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
क	**> 10 वर्ष पुराने**		
	–	–	–
	कुल (क)	–	–
ख	**> 5 और 10 वर्ष पुराने**		
	–	–	–
	कुल (ख)	–	–
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**		
1	24 दिसंबर 2020	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (एल/ यू)	7.75
2	11 जनवरी 2021	वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक लि, उस्मानाबाद (एल/ यू)*	45.21
3	29 जनवरी 2021	शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी (एल/ यू)**	6.41
	कुल (ग)	**(3 बैंक)**	**59.37**
कुल योग (क+ख+ग)		**3 बैंक**	**59.37**

* कट ऑफ जमाबीमा – मई 2021 में बुक किए गए ।

** कट ऑफ जमाबीमा अभी परिसमापक से प्राप्त नहीं हुआ है। आकस्मिक देयता के लिए अंतिम उपलब्ध जमाबीमा रिटर्न लिया गया है।

परिशिष्ट सारिणी 8:
निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ – 31 मार्च 2021 तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
ख	**वाणिज्यिक बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)				
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		704.06	704.06	-
	3 लेर्तीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	6 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	7 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	कुल 'क'		**391,139.79**	**391,139.79**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ख)				
	8 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई 1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
	9 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
	10 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	11 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	14 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	15 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	16 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985)*		334,062.25	91,358.30 (242,703.95)	-

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	17 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	18 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,150.63	32,631.51 (317,519.12)	-
	19 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
	20 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	कुल 'ख'		**817,291.74**	**191,403.91** **(625,887.83)**	-
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (ग)				
	21 नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि.,दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	22 बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	23 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	24 बैंक ऑफ तंजावुर लि.,तंजावुर, तमिलनाडु(1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.04
	25 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	कुल 'ग'		**1,750,098.20**	**948,124.75**	**801,973.45**
	कुल (क+ख+ग)		**2,958,529.73**	**1,530,668.45** **(625,887.83)**	**801,973.45**
II	**को-ऑपरेटिव बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)				
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	7 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8 सोलापूर मर्चेंटस कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	9 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'घ'		**47,835.02**	**47,835.02**	-
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ड)				
	10 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1977)		276.50	- (276.50)	-
	11 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई (1978)		60.31	- (60.31)	-
	12 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	13 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	- (26.10)	-
	14 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64 (180.80)	-
	15 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	कुल 'ड'		**7,828.42**	**2,333.77** **(5,494.65)**	**-**
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)				
	16 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	17 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	18 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	19 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	20 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
21	आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
22	कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	400.91	83.99
23	गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
24	मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
25	हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
26	येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48
27	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
28	कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)		1,736.62	963.02	773.59
29	मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
30	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
31	बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
32	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
33	सिटिज़ेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
34	चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
35	बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
36	पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	-	36,545.52

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	37 स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	38 कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	39 धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^		915.79	915.79	-
	40 दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	41 विंकार सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	42 त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	43 आवामी मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	44 रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	45 गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	46 अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	47 इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		157,012.94	59,783.98	97,228.95
	48 नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	49 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	50 शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	17,600.00	9,894.76
	51 दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	52 अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी, कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
	53 नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	54 इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
55	नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
56	इचालकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
57	परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,797.83	148.78
58	माधवपुर मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#)	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	(0.00)
59	कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		232,429.22	73,116.30	159,312.92
60	सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
61	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
62	श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		140,667.57	57,446.41	83,221.16
63	मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
64	लातूर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
65	श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	5,538.62	2,282.62
66	फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
67	भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
68	अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
69	दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	23,896.41	2,657.23

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
70	श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
71	श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
72	मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
73	मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
74	श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
75	खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
76	जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
77	निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
78	दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
79	कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
80	यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
81	प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
82	चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		1,432,344.30	941,695.05	490,649.26
83	राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
84	श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	29,200.33	4,833.14
85	आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
86	दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
87	कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
88	अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	29,185.35	4,144.00
89	थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	30,548.11	2,629.83

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
90	दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मध्य प्रदेश (2003)		141,139.81	140,798.15	341.65
91	मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
92	धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
93	अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	23,594.30	13,749.58
94	दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
95	दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	35,874.52	5,407.10
96	मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
97	भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
98	नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
99	पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,697.97	(0.00)
100	श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
101	संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		115,872.42	24,818.21	91,054.22
102	पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
103	नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
104	जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		715,200.69	425,756.90	289,443.79
105	वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
106	चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
107	प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	25,848.87	8,343.46
108	विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		3,846,162.46	1,527,336.93	2,318,825.53

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	109 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	110 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	111 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	3,018.11	22,423.10
	115 विजया कोऑपरेटि वअर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	116 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	118 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	119 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
	120 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	121 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	122 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	123 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		584,048.60	389,291.83	194,756.77
	124 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	125 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	61,227.40	25,303.13
	126 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	4,774.86	951.00
	127 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		318,925.24	239,158.00	79,767.24
	128 मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	129 डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^		606,403.31	606,403.31	-
	130 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		74,035.72	64,370.29	9,665.43
	131 नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		299,340.86	43,387.32	255,953.54
	132 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		223,150.28	61,781.19	161,369.08
	133 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	134 प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	135 उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	15,349.33	357.03
	136 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
	137 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	138 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	139 दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	18,999.84	-
	140 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	141 श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	142 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		579,896.95	47,863.69	532,033.26
	143 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
	144 पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	24,088.97	652.51
	145 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2005)		120,659.85	103.13	120,556.72
	146 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	147 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.तेहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	148 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	149 दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	150 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		181,637.44	27,645.01	153,992.43
	151 मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
	152 नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		301,592.15	185,179.62	116,412.53
	153 सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		266,452.45	179,888.17	86,564.29
	154 महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2006)		304,703.46	287,369.36	17,334.10
	155 मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	79,455.37	66,206.14
	156 छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	157 श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
	158 श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		434,251.94	317,993.29	116,258.66
	159 जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	160 नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		552,716.70	177,459.84	375,256.86
	161 मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		120,686.51	6,314.48	114,372.03
	162 दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	163 जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		118,895.88	108,619.17	10,276.71
	164 मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		257,956.99	257,956.99	-
	165 कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
	166 आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		371,586.77	170,586.25	201,000.52
	167 कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	168 दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
	169 कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	3,409.57	1,437.14
	170 बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	9,598.01	3,227.47
	171 दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		165,896.38	87,683.34	78,213.04
	172 धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
	173 समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	26,444.24	89,607.27
	174 प्रूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		755,959.06	755,959.06	-
	175 लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
	176 नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
	177 सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	178 श्रीराम सहकारी बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179 परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		367,807.52	227,393.79	140,413.73
	180 पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181 यशवंत सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182 दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183 महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन, मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184 करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		124,758.68	118,047.66	6,711.02

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
185	भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
186	लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
187	वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
188	बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
189	दतिया नागरिक सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
190	आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11
191	उमरेठ पीपल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	2,962.98	19,115.95
192	सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		160,286.13	73,518.98	86,767.15
193	श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
194	ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
195	दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	1,877.84	8,384.52
196	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84
197	आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
198	राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
199	सेवालाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
200	नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
201	सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
202	चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
203	बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि., बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
204	इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
205	तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
206	चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक(2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
207	डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
208	जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा, उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.91
209	मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	185,521.69	171,360.04	14,161.65
210	श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
211	परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
212	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
213	इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.26
214	किट्टूर रानी च्नम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
215	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	53,222.95	46,445.78
216	रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुरी, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	38,581.19	130,644.59
217	श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	229,271.10	38,982.92
218	जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
219	हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
220	वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	7,395.14	17,846.88
221	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	112,933.28	56,013.28	56,920.00
222	श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	75,537.70	3,470.57
223	श्री कमलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले – अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	16,201.67	9,086.82
224	दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	50,852.69	16,807.76
225	प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
226	श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
227	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
228	फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
229	सिद्धपुरी कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
230	नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	128,916.02	56,176.93	72,739.09
231	भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	374,582.84	295,503.72	79,079.12
232	संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
233	श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	234 श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	235 ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236 अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	30,359.23	22,768.76
	237 रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	370,674.45	58,841.14	311,833.31
	238 साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2009)*	56,817	359,787.81	82,690.99	277,096.82
	239 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	238,318.86	190,621.36	47,697.50
	240 अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	292,978.03	127,836.14	165,141.88
	241 श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242 हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	137,345.44	68,680.61	68,664.83
	243 श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,791	566,073.61	35,805.32	530,268.28
	244 चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	300,915.66	288,728.55	12,187.12
	245 दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246 सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247 वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	1,545,360.12	126,699.78
	248 दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.08
	249 मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	420,307.60	334,698.93	85,608.67
	250 फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.44
	251 डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
252	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	91,584.87	33,853.39
253	दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	144,067.26	79,444.96	64,622.30
254	गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,934	436,184.64	107,422.59	328,762.05
255	अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
256	यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.27
257	प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
258	सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.84	287,335.66
259	बेल्ह्राट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
260	श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
261	साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,386	15,629.02	5,040.87	10,588.15
262	प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
263	श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर, गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
264	सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	(0.00)
265	यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज, महाराष्ट्र, (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
266	अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
267	अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	448,117.96	337,966.63	110,151.33
268	सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
269	काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	39,912	146,202.60	48,586.60	97,616.00
270	श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	35,219	403,741.10	347,359.76	56,381.34

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	271 नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	272 राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,424	25,845.79	15,063.13	10,782.66
	273 बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.39
	274 श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	275 विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
	276 अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	277 अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
	278 कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
	279 राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.29	3,509.69
	280 रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281 चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282 श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र, (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
	283 रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	26,422	133,960.02	72,799.93	61,160.09
	284 श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	179.27	0.00	179.27
	285 अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात,2011	71,262	591,664.24	304,181.07	287,483.17
	286 केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	287 रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	44,788.02	22,605.36
	288 श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	289 श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	290 दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	403,178.78	191,001.02	212,177.76

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	291 समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	422,834.49	47,967.79	374,866.70
	292 हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	293 श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
	294 दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	199,311.58	51,833.76	147,477.83
	295 विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	160,023.77	63,071.28	96,952.49
	296 इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	557,696.70	433,022.01	124,674.69
	297 सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298 आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299 श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	2,045.78	19,956.66
	300 रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	301 चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.57
	302 दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	303 श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
	304 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
	305 बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	306 मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)*	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	307 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	308 भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	309 भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
	310 इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57
	311 श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंक लि.,गुजरात (2012)	6,599	45,780.63	29,485.15	16,295.48

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
312	ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा 2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
313	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
314	भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	12,203	101,677.80	79,652.13	22,025.67
315	सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	459,890.08	274,890.08	185,000.00
316	वासो कोऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	20,243.26	51,976.12
317	कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	(0.00)
318	अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
319	अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
320	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
321	अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	28,301.30	33,353.31
322	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
323	वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	(0.00)
324	सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
325	गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	130,638	2,877,206.83	700,451.82	2,176,755.01
326	दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
327	श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	(0.00)
328	दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)&	28,759	301,759.34	301,759.34	(0.00)
329	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
330	म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	156,382.66	156,382.66	(0.00)
331	वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
332	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2016)	14,177	77,392.30	38,211.72	39,180.58
333	बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2015)	19,136	152,029.28	59,538.05	92,491.23
334	तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2011)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
335	मर्चेंटस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00

परिशिष्ट सारिणी 8 *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
336	अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)		318,602.37	318,602.37	0.00
337	धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
338	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
339	श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6,592	21,888.06	21,888.60	(0.54)
340	विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
341	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7,398	109,302.97	12,931.83	96,371.14
342	कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	21,045	242,174.75	167,801.58	74,373.17
343	लमका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	317	261.65	0.00	261.65
344	छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
345	गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
346	जामखेड़ मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)	6,119	52,055.23	52,055.23	(0.00)
347	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)$	-	2,946.90	-	-
348	श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)$	-	27,601.00	-	-
349	मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (मुख्य दावा)&	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
350	दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018)&	6,446	151,659.37	151,659.37	0.00
351	पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
352	गोकुल यूसीबीएल आंध्रा प्रदेश/ तेलंगाना (2017)$		13,579.00	-	-
353	भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2018)$		84,394.67	-	-
354	यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	247,534.55	166,492.73	
355	मर्केंटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2017)	19,087	27,434.83	7,956.74	
356	अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2018)	4,216	101,184.47	20,038.00	

परिशिष्ट सारिणी 8 *(समाप्त)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	357 महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2017)	33,004	301,398.79	20,755.49	280,643.29
	358 सी के पी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	43,720	2,506,403.50	2,139,629.06	366,774.44
	359 नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,125	153,640.88	-	153,640.88
	360 श्री साई यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27
	361 भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	11,925	270,705.51	172,212.00	98,493.51
	362 ब्रह्मवर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी (2021)$	26,425	251,000.00	-	-
	363 गाजियाबाद यूसीबीएल, यूपी (2021)$	एन/ए	116,856.00	-	-
	364 हरदोई यूसीबीएल, यूपी (2021)$	11,918	42,022.68	-	-
	365 मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	63,751	2,285,920.07	1,735,591.57	550,328.50
	कुल 'च'		**54,612,880.94**	**32,770,814.69**	**21,203,666.90**
	कुल (घ + ङ + च)		**54,668,544.37**	**32,820,983.48 (5,494.65)**	**21,203,666.90**
	कुल (क + ख + ग + घ + ङ + च)		**57,627,074.11**	**34,351,651.93 (631,382.48)**	**22,005,640.35**

* समामेलन और पुनर्गठन की योजना।

\# पुनर्निर्माण की योजना।

@ परिसमापित बैंक के निपटाए गए दावे

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

$ शीघ्र निपटान योजना के अंतर्गत निपटाए गए दावे और इसे (₹63.84 करोड़) को चुकौती मे नहीं गिना गया। शून्य शेष राशि पूर्ण चुकौती और निगम द्वारा परिसमापक को एनओसी (पूरी तरह चुकौतियाँ की गई) जारी करना दर्शाता है।

नोट: 1. मूल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2021 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

6. निगम ने 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 12 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के तहत उन बैंकों के मामलों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार /परिसमापकों के साथ उठाया है, जहां भुगतान किए गए दावे की राशि चुकौतियों और असंवितरित जमाकर्ताओं को वापसी के बराबर है ताकि दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार परिसमापकों द्वारा जमाकर्ताओं को ट्रेस न कर पाने के कारण निगम को आगे देयता से मुक्त किया जा सके।

Tel.: (91-22) 22870588/0939/4140/2288/5229
Fax: (91-22) 2288 4910
Email: admin@nbsandco.in
Web: www.nbsandco.in

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का निदेशक मण्डल

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (निगम) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उपरोक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2021 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तविक रूप से वित्तीय विवरणों के और लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तविक रूप से गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख भी निदेशक मण्डल का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का दमन शामिल हो सकते हैं।
- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।

- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

(ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते एनबीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 110100W

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार
एम. नं. 046940
यूडीआईएन : 21046940AAAAAC8115

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25 जून, 2021

निपेक्ष बीमा
(निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी (विनियम 18 – 31 मार्च 2021 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		देयताएं	चालू वर्ष			
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
12,08,730.00		**1. निधि** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में शेष)		**12,27,527.00**		
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:				
87,99,521.56	48,323.92	वर्ष के प्रारंभ में शेष	98,29,709.88		50,986.93	
10,30,188.32	2,663.02	जोड़ें :राजस्व खाते से अंतरित	19,33,193.53		3,248.90	
98,29,709.88	**50,986.94**	वर्ष के अंत में शेष		**1,17,62,903.41**		**54,235.83**
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00		0.00	
0.00	0.00	जोड़ें :राजस्व खाते से अंतरित	0.00		0.00	
0.00	0.00	वर्ष के अंत में शेष		**0.00**		**0.00**
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
4,48,729.65	3,060.66	वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,77,412.68		3,462.16	
1,28,683.03	401.50	राजस्व खाते से अंतरित	53,965.51		0.00	
5,77,412.68	**3,462.16**	वर्ष के अंत में शेष		**6,31,378.18**		**3,462.16**
5,786.58		**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**		**55,641.88**		0.00
0.00		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबन्धित अनुमानित देयताएं**		0.00		0.00
0.00		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		0.00		0.00
7,342.37		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**		**4,456.31**		0.00
		8. अन्य देयताएं				
157.16		(i) फुटकर लेनदार	915.31		0.00	
16,97,478.72	3,522.72	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	23,65,813.37		4,615.42	
89,920.86		(iii) रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	35,798.35		0.00	
171.56		(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	171.56		0.00	
0.87		(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	31.39		0.00	
17,87,729.17	**3,522.72**	**कुल**		**24,02,729.99**		**4,615.42**
1,34,16,710.68	**57,971.82**			**1,60,84,636.77**		**62,313.41**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

और प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष		अस्तियां	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि राशि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि राशि
राशि	राशि		राशि	राशि
18,039.88	**424.95**	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**	105.77	7.25
		2. मार्गस्थ नकदी	0.00	0.00
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
19,416.52		खजाना बिल	0.00	0.00
1,11,02,428.15	52,970.54	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	1,32,22,298.58	55,455.26
1,11,21,844.67	**52,970.54**		**1,32,22,298.58**	**55,455.26**
1,07,86,904.45	52,079.00	अंकित मूल्य	1,28,14,437.65	54,514.15
1,19,39,509.56	57,612.94	बाज़ार मूल्य	1,39,15,041.82	60,432.66
2,07,628.01	730.85	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**	234,096.76	777.05
		5. अन्य आस्तियां		
18,67,464.90	3,845.48	(i) अग्रिम आयकर	25,34,919.76	6,073.84
90,020.00		(ii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	35,812.13	0.00
89,920.86		(iii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	35,798.35	0.00
2,888.00		(iv) वापसी योग्य सेवाकर	2,539.17	0.00
63.60		(v) प्राप्य सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	225.48	
18,840.76		(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	18,840.76	
20,69,198.12	**3,845.48**		**26,28,135.65**	**6,073.84**
1,34,16,710.68	**57,971.82**	**कुल**	**1,60,84,636.77**	**62,313.41**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फार्म
31 मार्च 2021 को
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		व्यय	चालू वर्ष		
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि
		1. दावे:			
7,085.40	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		52,405.31	0.00
108.20	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		49,855.30	0.00
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबन्धित अनुमानित देयताएं			
0.00	0.00	वर्ष के अंत में			
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में			
0.00	0.00				0.00
		(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियाँ			
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00		0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00		0.00
0.00				**0.00**	
(1,794.38)	0.00	(ङ) घटाएँ पता न लगाए जाने योग्य जमकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन		(2,974.49)	0.00
5,399.23	0.00	**निवल दावे**		99,286.12	0.00
12,08,730.00	0.00	**2. वर्ष के अंत में निधि शेष** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		12,27,527.00	0.00
15,48,630.73	4,095.20	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**		26,55,493.69	4,341.59
27,62,759.96	**4,095.20**	**कुल**		**39,82,306.81**	**4,341.59**
		कराधान के लिए प्रावधान			
3,89,759.38	1,030.68	चालू वर्ष		6,68,334.65	1,092.69
0.00	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)			
0.00	0.00	आस्थगित कर			
1,28,683.03	401.50	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)		53,965.51	0.00
10,30,188.32	2,663.02	**अधिशेष खाते में ले जाया गया शेष**		19,33,193.53	3,248.90
15,48,630.73	**4,095.20**			**26,55,493.69**	**4,341.59**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

और प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	आय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
5,75,560.00	0.00	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	12,08,730.00	0.00
13,23,351.23	0.00	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	17,51,716.58	0.00
10,684.93	0.74	**3. भुगतान/निपटान किए गए दावों के संबंध में वसूलियों द्वारा (अतिदेय पुनर्भुगतान पर ब्याज सहित)**	56,853.70	0.37
		4. निवेशों पर आय द्वारा		
8,12,457.57	4,094.46	(क) निवेशों पर ब्याज	9,33,143.16	4,341.22
33,875.52	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	30,407.56	0.00
6,830.71	0.00	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	1,455.81	0.00
8,53,163.80	**4,094.46**		**9,65,006.53**	**4,341.22**
		5. अन्य आय		
0.00	0.00	प्रतिलेखित निवेश का मूल्यह्रास	0.00	0.00
27,62,759.96	**4,095.20**	**कुल**	**39,82,306.81**	**4,341.59**
15,48,630.73	4,095.20	नीचे लाये गए निवल अधिशेष के द्वारा	26,55,493.69	4,341.59
15,48,630.73	**4,095.20**		**26,55,493.69**	**4,341.59**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

निपेक्ष बीमा
(निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 –
31 मार्च 2021 को कारोबार की
II. सामान्य

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू वर्ष	
राशि		राशि	राशि
5,000.00	**1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)**		5,000.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
54,908.20	वर्ष के प्रारंभ में शेष	55,009.58	
101.39	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	809.78	
55,009.59			55,819.36
	ख) निवेश रिज़र्व		
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	
0.00	राजस्व खाते से अंतरित	0.00	
0.00			**0.00**
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
3,668.49	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06	
361.57	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00	
4,030.06			**4,030.06**
	3. चालू देयताएं और प्रावधान		
846.68	बकाया व्यय		869.04
24.67	फुटकर लेनदार		22.60
1,493.20	आयकर के लिए प्रावधान		1,765.41
0.00	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		0.18
2,364.55			**2,657.23**
66,404.20	**कुल**		**67,506.65**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

NBS & CO. MUMBAI FRN 110100W CHARTERED ACCOUNTANTS

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

और प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	अस्तियां	चालू वर्ष
राशि		राशि
	1. नकद	
0.00	(i) हाथ में	0.00
120.37	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	53.49
120.37		**53.49**
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
0.00	खजाना बिल	0.00
17,295.83	दिनांकित प्रतिभूतियां	45,068.43
43,674.15	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य 18,716.00)	17,916.18
60,969.98		**62,984.61**
63,057.35	*अंकित मूल्य :*	62,686.20
66,188.50	*बाजार मूल्य :*	68,152.12
975.95	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**	456.98
	4. अन्य आस्तियां	
772.02	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	10.75
26.20	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	35.48
0.89	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.00
144.98	स्टाफ अग्रिम	11.06
57.65	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	0.00
134.54	फुटकर देनदार	0.00
1,530.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	2,035.00
1,489.61	अग्रिम आय कर/ टीडीएस	1,806.40
182.01	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	112.88
4,337.90		**4,011.57**
66,404.20	**कुल**	**67,506.65**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	
राशि		राशि	राशि	राशि		राशि	राशि
1,282.70	**स्टाफ को भुगतान/प्रतिपूर्ति की लागत**		1,310.86		**निवेशों से आय**		
0.00	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**		0.00	4,496.82	(क) निवेशों पर ब्याज		4,610.82
0.00	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का यात्रा और अन्य व्यय**		0.00	0.00	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)		0.00
454.21	**किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि**		313.66	**4,496.82**			**4,610.82**
475.00	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**		418.67	0.00	**प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास**		0.00
18.32	**मुद्रण, लेखन सामग्री और कम्प्युटर उपभोग्य सामग्री**		16.56				
76.13	**डाक, तार और टेलीफोन**		74.79		**विविध प्राप्तियाँ**		
30.78	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**		21.28	14.43	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.40
34.26	**विधि प्रभार**		21.55	0.00	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (निवल)		2.55
6.11	**विज्ञापन**		22.72	**14.43**			**2.95**
0.00	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		0.00				
	विविध व्यय	0.00					
10.50	व्यावसायिक प्रभार	6.50					
468.75	सेवा करार / अनुरक्षण	387.34					
5.26	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	4.65					
4.51	पुस्तक अनुदान	3.77					
0.26	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.32					
142.01	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	75.40					
93.36	अन्य	74.46					
724.65			**552.43**				
9.74	मूल्यह्रास		7.10				
780.69	आईएएस पर मूल्यह्रास		772.02				
618.66	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया		1,082.12				
4,511.25	**कुल**		**4,613.77**	**4,511.25**	**कुल**		**4,613.77**
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया			618.66	**वर्ष में व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया**		1,082.12
	आयकर के लिए प्रावधान						
155.70	चालू वर्ष		272.35				
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00				
361.57	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)		0.00				
101.39	सामान्य रिज़र्व खाता		809.78				0.00
618.66	**कुल**		**1,082.12**	**618.66**	**कुल**		**1,082.12**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

31-03-2020 को समाप्त पिछला वर्ष		विवरण		31-03-2021 को समाप्त चालू वर्ष	
राशि	राशि			राशि	राशि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि			निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
15,48,630.73	**4,095.20**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**26,55,493.69**	**4,341.59**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(8,19,288.28)	(4,094.46)	निवेशों पर ब्याज		(9,34,598.97)	(4,341.22)
(33,875.52)	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(30,407.56)	0.00
6,33,170.00		निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		0.00	0.00
0.00		निवेश रिज़र्व में अंतरण		0.00	0.00
		प्राप्त धनवापसी पर ब्याज		0.00	0.00
		कर		0.00	0.00
		निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		18,797.00	
(2,19,993.79)	**(4,094.46)**		**(ख)**	**(9,46,209.53)**	**(4,341.22)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(5,53,446.65)	(1,122.77)	अग्रिम आयकर/स्रोत पर कर कटौती में वृद्धि		(6,67,454.85)	(2,228.36)
0.00		फुटकर देनदार		0.00	0.00
552.14		प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी		(161.88)	0.00
(1,23,129.86)		अन्य आस्तियां		1,08,679.21	0.00
0.00		विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता		0.00	
(6,76,024.37)	**(1,122.77)**		**(ग)**	**(5,58,937.52)**	**(2,228.36)**
		देयताएं :			
		(कमी) वृद्धि			
108.20		सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		49,855.30	0.00
		अदावी जमाराशियाँ			
(1,703.89)		फुटकर लेनदार		(2,886.07)	0.00
51.07		फुटकर जमा खाता		758.16	0.00
		सेवाकर देय खाता		0.00	0.00
		रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		0.00	0.00
61,523.19		भुगतान योग्य स्वच्छ भारत		(54,122.51)	0.00
0.00		भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी			
(40.18)				30.52	
59,938.40	**0.00**		**(घ)**	**(6,364.61)**	**0.00**
7,12,550.98	**(1,122.03)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)**	**(क)**	**11,43,982.03**	**(2,227.99)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
7,86,719.37	4,064.44	प्राप्त निवेशों पर ब्याज		9,08,130.22	4,295.02
33,875.52		प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/(हानि)		30,407.56	0.00
		सामान्य निधि में अंतरित		0.00	0.00
		कमी (वृद्धि)			
(15,29,004.71)	(2,518.13)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(21,00,453.92)	(2,484.73)
(7,08,409.83)	**1,546.31**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	**(11,61,916.14)**	**1,810.29**
0.00	**0.00**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	**0.00**	**0.00**
4,141.15	424.29	**नकदी में निवल वृद्धि / कमी**	**(क+ख+ग)**	(17,934.10)	(417.70)
13,898.73	0.67	वर्ष के प्रारंभ में नकदी शेष		18,039.88	424.95
18,039.88	**424.95**	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**105.77**	**7.25**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

31 मार्च 2020 को समाप्त पिछला वर्ष राशि	विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त चालू वर्ष राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
618.66	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	1,082.12
	शुद्ध नकदी के परिचालन से आय से अधिक व्यय का सामंजस्य करने के लिए समायोजन		
9.74	मूल्यह्रास		7.10
780.69	आईएएसएस पर मूल्यह्रास		772.02
(4,496.82)	निवेशों पर ब्याज		(4,610.82)
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		0.00
0.00	निवेश रिज़र्व को अंतरण		0.00
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		0.00
(14.43)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(0.40)
0.00	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		(2.55)
0.00	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		0.00
0.00	आयकर		0.00
(3,720.82)		**(ख)**	**(3,834.65)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
0.01	लेखन सामग्री/ अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		0.89
(72.95)	पूर्वदत्त व्यय/ प्राप्य सेवा कर		69.13
46.14	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		133.92
(430.58)	अग्रिम आयकर		(316.79)
(510.00)	सीसीआईएल के पास उपांत जमा		(505.00)
17.39	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		57.65
(23.63)	फुटकर देनदार		134.53
789.59	परियोजना लागत		761.27
(218.84)		**(ग)**	**335.60**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
	भारतीय रिज़र्व बैंक में		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
176.36	बकाया व्यय		22.36
(60.15)	फुटकर लेनदार		(2.08)
(3.41)	अन्य जमा / स्रोत पर कर कटौती		(0.14)
(1.23)	भुगतान करने योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		0.18
111.57		**(घ)**	**20.32**
(3,209.43)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(क)**	**(2,396.60)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
4,588.44	निवेशों से प्राप्त ब्याज		5,129.79
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		0.00
14.43	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.40
0.00	डीआईएफ से प्राप्त निधि		0.00
0.00	अन्य		0.00
	कमी (वृद्धि)		
(783.30)	अचल आस्तियाँ		(785.85)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
0.00	खजाना बिल		0.00
33,775.30	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(2,7772.60)
(34,343.96)	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		25,757.97
3,250.91	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	2,329.72
	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	**(ग)**	0.00
41.49	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(क+ख+ग)**	(66.88)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
	हाथ में		0.00
78.88	भारिबैं के पास		120.37
120.37	**वर्ष के अंत में नकद शेष**		**53.49**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 046940)
मुंबई
25 जून 2021

एम डी पात्र
अध्यक्ष

वी जी चलपती
मुख्य महाप्रबंधक

मदनेश कुमार मिश्रा
निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम

(क) बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बीमाकृत जमा की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बीमाकृत बैंक के रूप में विपंजीकरण पर तैयार किया जाता है।

(ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के संदर्भ में दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा (i) में बनाई गई आकस्मिक देयता को उलट दिया है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का

सम्पूर्ण निपटान अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।

(घ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के बाद 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या 1060100) खाताशीर्षों को रिवर्स किया गया और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) वापस लिखी गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया । यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन) ,यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

(iii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंटस के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा

से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

(v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है।

(vi) रेपो/रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन अनुषंगिक / उधार कार्य विधि जैसे कि पुन: खरीद के करार, के अनुसार किया जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। इसके साथ ही, जैसा कि मामला हो, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफटवेयर आदि	33.33 %
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 %

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियाँ (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टबल इलैक्टॉनिक आस्तियां जिनकी लागत 10,000 से अधिक है को छोडकर) को आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा ।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्त अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आय पर कराधान

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आंकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर-योग्य आय में तथा एक ही समयावधि में शुरू लेखा आय/ व्यय में अंतर होने के कारण आस्थगित कर एक या एक से अधिक

आगामी वर्षों में पलटने में सक्षम हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति से वसूल की जाने वाली राशि इसकी रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) से कम है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है।आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

(i) लेखा मानक 29 आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

(ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

(iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

(iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

(v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया

क. सेवा कर:

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा कर	175.51	175.51

स्पष्टीकरण टिप्पणी:

I. 1 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़):

निक्षेप बीमा निगम की गतिविधियों को सामान्य बीमा व्यवसाय की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में ₹5,367.42 करोड़ की मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है और निगम की गतिविधि को साधारण बीमा कारोबार की श्रेणी के अंतर्गत रखा है और निगम 20 सितंबर, 2011 से पहले की अवधि के लिए सेवा कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। निगम ने अतः गतिविधि के साधारण बीमा कारोबार की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण की पुष्टि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष 9 सितंबर 2015 को अपील दायर की है। विभाग ने सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकारने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को संपर्क किया है। निगम ने 20 जुलाई, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी शपथ-पत्र भी दर्ज किया है। मामले की सुनवाई अभी बाकी है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 की अवधि के लिए दंड संहिता की धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के अनुसार निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है।

[धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

II. 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 (₹118.64 करोड़ धन विलंब हेतु ब्याज ₹56.87 करोड़):

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर रहित मानते हुए अतिरिक्त कर देयता के रूप में निगम से ₹118.64 करोड़ की मांग की है। निगम ने उक्त

अवधि में प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना है। निगम ने आपत्ति के अधीन 8 जनवरी 2015 को ₹88.44 करोड़ तथा 30 जून 2015 को ₹30.2 करोड़ का भुगतान किया है। सेवा कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 31 मार्च और 6 अक्टूबर के स्थान पर प्रीमियम प्राप्त होने पर (अर्थात क्रमशः मई और नवंबर) अगले महीने की 6 तारीख (क्रमशः जून 6 और दिसंबर 6) को सेवा कर के भुगतान की तिथि मानते हुए निगम ने ₹39.6 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान किया है।

आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। विभाग ने तदनुसार आयुक्त सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी आयुक्त (अपील) के फैसले के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

विभाग ने ₹17.4 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था (डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹39.6 करोड़ के भुगतान को छोड़कर)। कमिश्नर ने 16 अगस्त, 2018 को दिए गए आदेश द्वारा मांग की पुष्टि की है। निगम ने 26 नवंबर, 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की है।

ख. दावे

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित से संबन्धित दावे	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
ए) विपंजीकृत बैंक	59.37(3)*	653.54 (12)*
बी) लापता जमाकर्ता	149.59	119.84
सी) अज्ञात जमाकर्ता	87.65	87.10

* बैंकों की संख्या दर्शाता है

2. निवेश अस्थिरता रिज़र्व

निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2021 को ₹6,389 करोड़ आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2020 को यह ₹5,849 करोड़ था)।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक दिवसीय चलनिधि व्यवस्था

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई आरटीजीएस के अंतर्गत एक दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

4. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ करोड़ में)

प्रकटीकरण :	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
क) प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
क) प्रतिभूतियाँ	1	6,818	392	358
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5. आयकर

चालू वित्त वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) से निगम ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 की धारा 115बीएए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया है।

6. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक

श्री. पम्मि विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, 05 मार्च 2020 से कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होने अपना वेतन और अनुलाभ भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया है।

7. खण्ड वार रिपोर्ट

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

8. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

59th Annual Report of the Board of Directors
Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2021

MISSION

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors

VISION

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders

CONTENTS

1. Letters of Transmittal ..... i-ii
2. Board of Directors iii
3. Organisation Structure iv
4. Contact information of the Corporation v
5. Principal officers of the Corporation vi
6. Abbreviations vii
7. Highlights ..... viii-xi
8. An Overview of DICGC 1-5
9. Management Discussion and Analysis 6-14
10. Directors' Report 15-23
11. Appendix Tables 24-50
12. Auditors' Report 51-53
13. Balance Sheet and Accounts 54-67

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

CO.DICG.SECD.No.S28/ 01.01.016/ 2021-22 June 28, 2021

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2021

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2021 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2021.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

CO.DICG.SECD.No.S29/ 01.01.016 /2021-22 June 28, 2021

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2021

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2021 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2021.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (*i.e.,* Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz*., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.* The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: as above

प्रधान कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजील, मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई – 400 008.
दूरभाष : 23084121 ई–मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai - 400 008
Tel: 23084121 E-mail: dicgc@rbi.org.in

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Dr. M. D. Patra **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 31.03.2020)

DIRECTORS

Shri Pammi Vijaya Kumar **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.03.2020 to 31.05.2021)
Dr. Shashank Saksena **Adviser** **Ministry of Finance** **Department of Economic Affairs** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008 to 05.11.2020)
Dr. Madnesh Kumar Mishra **Joint Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 06.11.2020)
Dr. Harsh Kumar Bhanwala **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 08.03.2019 to 17.06.2020)
Dr. Govinda Rajulu Chintala **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 13.07.2020)

ORGANISATION STRUCTURE

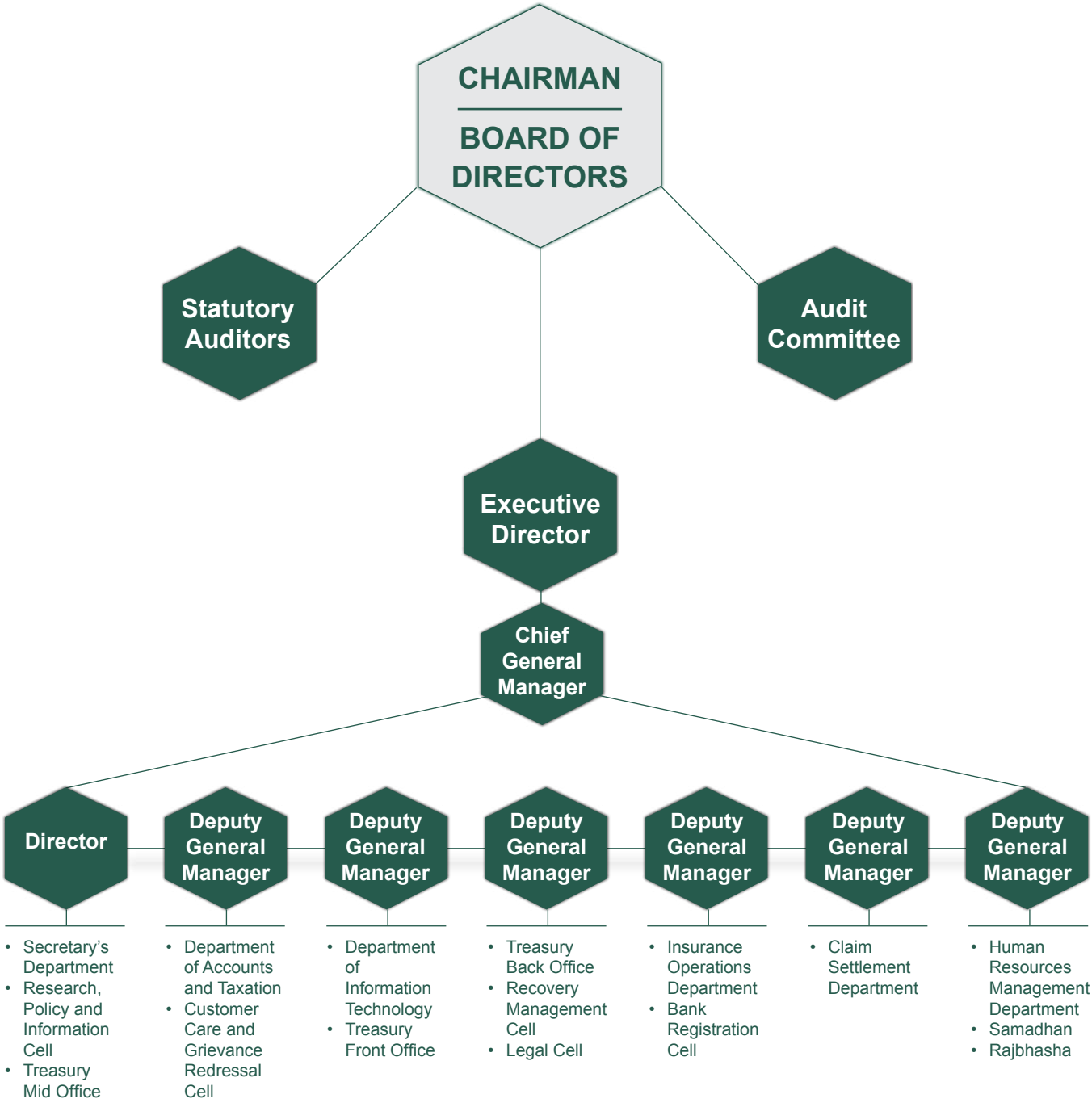

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Tel. Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-2302 1624	Claims
022-2306 2162	RMC
022-2301 1991	RTI
022-2301 9570	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India Building,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Chief General Manager	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(ii)	Director	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(iii)	Deputy General Manager	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204
(iv)	Deputy General Manager	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8243
(v)	Deputy General Manager	shoda@rbi.org.in	022-2302 8201
(vi)	Deputy General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 1146
(vii)	Deputy General Manager	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
(viii)	Deputy General Manager	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 8206

Email : dicgc@rbi.org.in

Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

CHIEF GENERAL MANAGER
Shri V. G. V. Chalapathy

SECRETARY & DIRECTOR
Shri M. Ramaiah

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER
Shri M. Ramaiah

DEPUTY GENERAL MANAGERS
Shri Deepak Narang
Shri Mangesh Y Sorte
Shri Shariq Hoda
Smt Pawanjeet Kaur Rishi
Smt Sangita E
Shri C.M. Samuel

BANKERS
RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS
M/s. NBS & Co.,
Chartered Accountants
14/2, Western India House
Sir P.M. Road, Fort
Mumbai 400 001, India

* As on August 1, 2021

ABBREVIATIONS

AI	:	Assuming Institution
AS	:	Accounting Standards
ASIFI	:	Act on Structural Improvement of the Financial Industry
CA	:	Chartered Accountant
CBK	:	Central Bank of Kenya
CDIC		Canada Deposit Insurance Corporation
CDIC	:	Central Deposit Insurance Corporation
CESTAT	:	Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGS	:	Credit Guarantee Scheme
CPs	:	Core Principles
CPPY	:	Corresponding Position in Previous Year
DFA	:	Dodd-Frank Act
DIA	:	Deposit Insurance Act
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICJ	:	Deposit Insurance Corporation of Japan
DIS	:	Deposit Insurance System
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
DPA	:	Depositor Protection Act
DSIBs	:	Domestic Systemically Important Banks
ED	:	Executive Director
EU	:	European Union
FCRC	:	Financial Crisis Response Council
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FRA	:	Financial Resolution Authority
FRDI	:	Financial Resolution and Deposit Insurance
FSB	:	Financial Stability Board
FSC	:	Financial Services Commission
FSI	:	Financial Stability Institute
FSLRC	:	Financial Sector Legislative Reforms Commission
FSS	:	Financial Supervisory Service
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GDP	:	Gross Domestic Product
GF	:	General Fund
GFC	:	Global Financial Crisis
GoI	:	Government of India
GST	:	Goods and Services Tax
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
IASS	:	Integrated Application Software Solution
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IMF	:	International Monetary Fund
JFSA	:	Japan Financial Services Agency
KA	:	Key Attributes
KDIC	:	Kenya Deposit Insurance Corporation
KDIC	:	Korea Deposit Insurance Corporation
LABs	:	Local Area Banks
MDIC	:	Malaysian Deposit Insurance Corporation
NABARD	:	National Bank for Agriculture and Rural Development
P&A	:	Purchase and Assumption
PDIC	:	Philippines Deposit Insurance Corporation
PIDM	:	Perbadanan Insurans Deposit Malaysia
PBs	:	Payment Banks
RBI	:	Reserve Bank of India
RCS	:	Registrar of Co-operative Societies
RO	:	Regional Office
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTGS	:	Real Time Gross Settlement
RTI	:	Right to Information
SFBs	:	Small Finance Banks
SIFI	:	Systemically Important Financial Institutions
SLGS	:	Small Loan Guarantee Scheme
TAFCUB	:	Task Force on Co-operative Urban Banks
UTs	:	Union Territories

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in 100 Crore)

At year-end$	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2017-18	2018-19	2019-20#	2020-21
1 **CAPITAL***	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 **DEPOSIT INSURANCE**									
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	814.3	937.5	1,103.8	1,299.0
(ii) Insured Banks (Nos. in actual)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,109	2,098	2,067	2,058
(iii) Assessable Deposits@	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,12,020	1,20,051	1,34,889	1,49,678
(iv) Insured Deposits@	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	32,753	33,700	36,961 (68,715)	76,213
(v) Total number of Accounts (in crore)	0.77	3.41	15.98	35.43	64.95	194.09	217.40	235.00	252.63
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in crore)	0.60	3.28	15.81	33.95	61.95	177.50	200.00	216.10 (231.00)	247.80
(vii) Claims paid since inception	-	0.01	0.03	1.8	14.9	50.8	51.2	52.0	57.6

* Under General Fund of the Corporation.

** Consists of actuarial fund and fund surplus.

@ Data are as per new reporting format since 2009-10.

$ As at end March from 1992-93 onwards.

Data in parentheses relates to estimates for deposit insurance cover of ₹ 5 Lakh.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in 100 Crore)

PARTICULARS	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
REVENUE STATEMENTS							
Premium Income	175.17	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29
Investment Income	96.5	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32
Net Claims	9.93^	0.54	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)
Revenue Surplus Before Tax	265.55	154,86	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89
Revenue Surplus After Tax	193.32	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96
BALANCE SHEET							
Fund Balance (Actuarial)	122.75	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07
Fund Surplus	1,176.29	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46
Outstanding Liability for Claims	Nil	Nil	Nil	0.04	2.22	2.52	3.14
PERFORMANCE METRICS							
1. Average No. of days between receipt of a claim at DICGC and claim settlement@	7	11	11	12	23	28	25
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@$	500	508	1,425	2,075*	634	269	4,856
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.20	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.10	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

^ Comprises 1,023.16 crore on account of claims processed and ₹30.3 crore on account of reversal of provisions.

* Sharp increase was due to a bank deregistered in 2003, whose claim was settled in 2017.

$ The date of court order/appellate authority (MoF) order is considered for computation of number of days during 2019-20. The delay in receipt of claim is mainly due to appeal before Mof/Legal cases.

HIGHLIGHTS - III

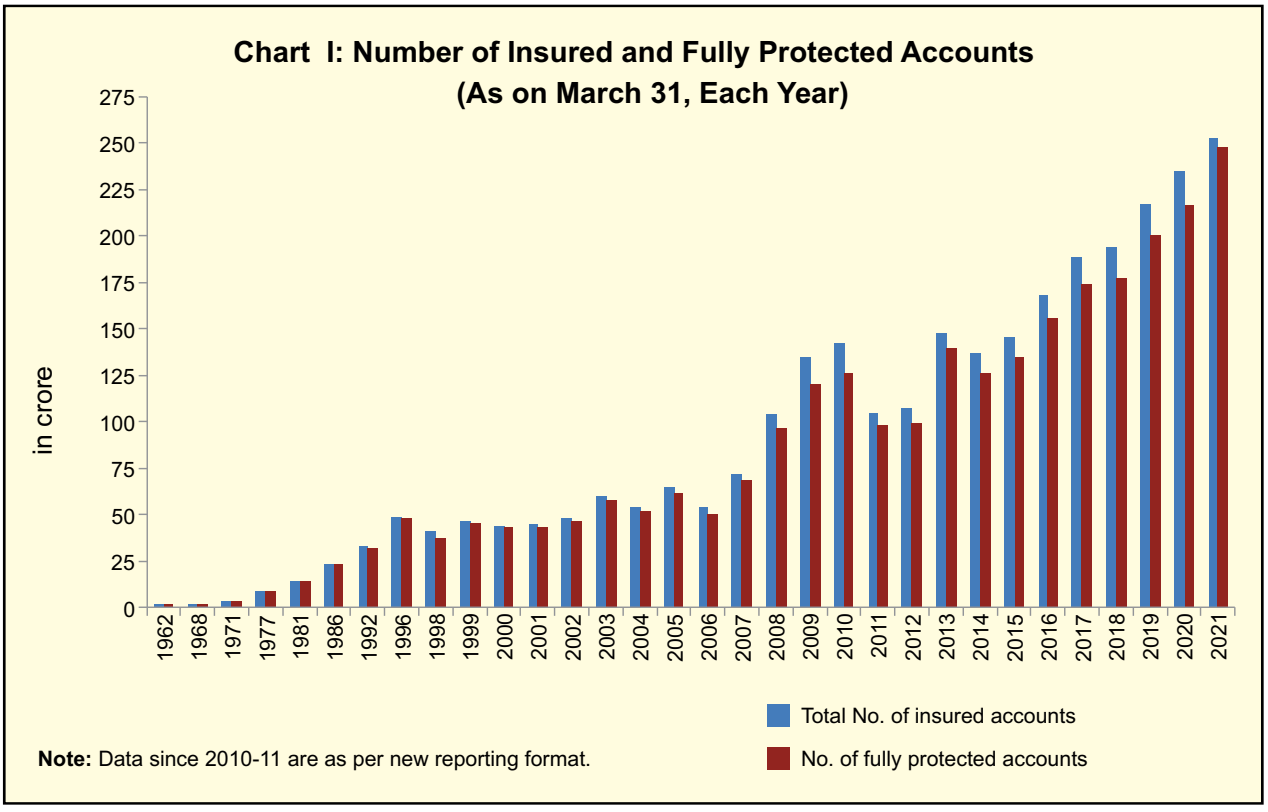

HIGHLIGHTS - IV

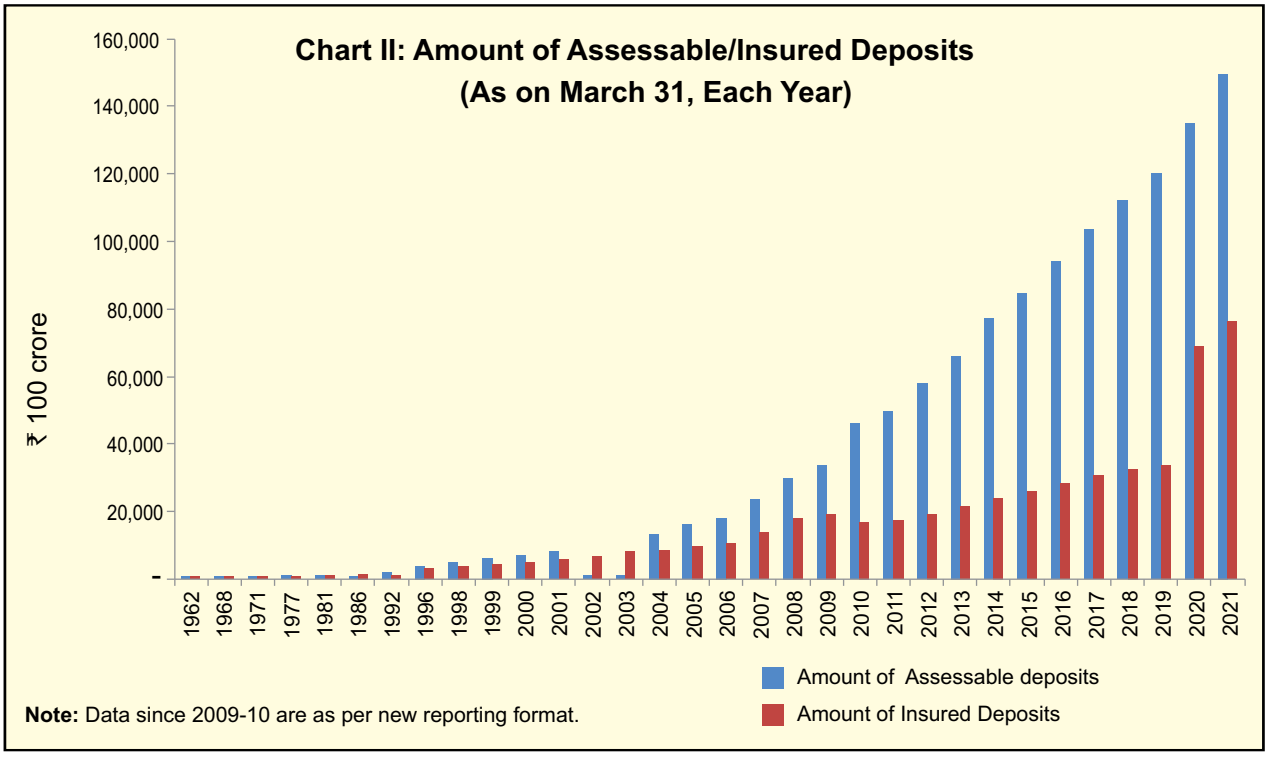

CHART III: EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS (MARCH 31, 2021)

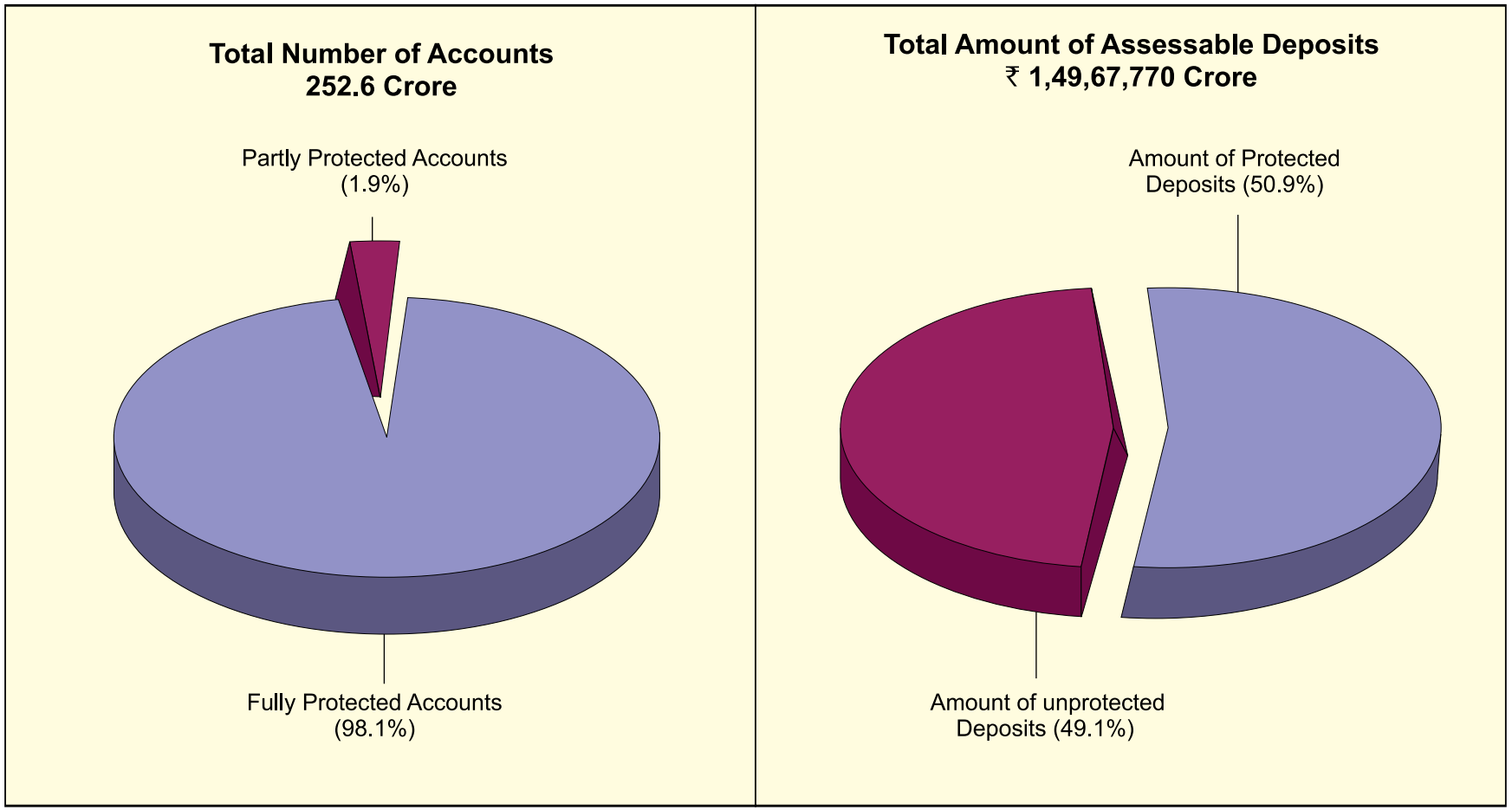

Notes: 1. Data as per new reporting format.
2. Figures relate to ₹5 lakh deposit insurance cover at ₹ 76,21,251 Crore

AN OVERVIEW OF DICGC

1. INTRODUCTION

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

2. HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, *viz*. the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

3. INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All commercial banks including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks and Payment Banks are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible co-operative banks as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories (UTs), which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/UTs to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli do not have any Co-operative Bank.

4. REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) In terms of section 13A of DICGC Act 1961, the Corporation shall register a primary credit society becoming a primary co-operative bank after such commencement within three months of its having made an application for a licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it. In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz*., the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, etc.

5. INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit
February 4, 2020	₹5,00,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5,000/-
January 1, 1962	₹1,500/-

The cover increased to ₹5 lakh is applicable for those banks whose licenses are cancelled/de-registered with effect from February 4, 2020.

6. TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, etc. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/ State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of the Reserve Bank.

7. INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

PREMIUM RATES PER DEPOSIT OF ₹100

Date from	Premium (in ₹)
April 1, 2020	0.12
April 1, 2005	0.10
April 1, 2004	0.08
July 1, 1993	0.05
October 1, 1971	0.04
January 1, 1962	0.05

8. CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it was transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

9. SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

In terms of Section 35 of DICGC Act 1961, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

10. SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits

held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (*i.e.*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the Liquidator/Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/ Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

11. RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred.

12. FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz*., (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹50 crore which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment

and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter- Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation was also subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax w.e.f. July 1, 2017.

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

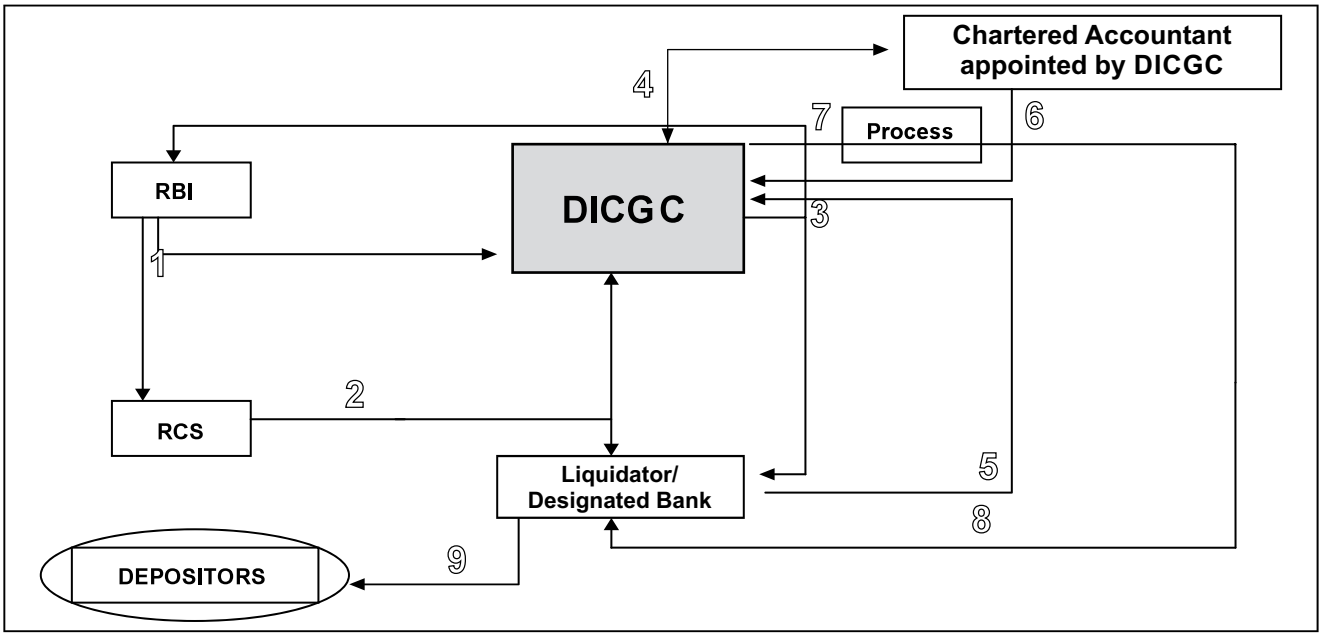

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.
4. DICGC has empanelled 5 CA firms for 5 different zones of India for verification of claim list and compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank. DICGC conducts a familiarisation session for CA for onsite verification of claim list and books of records of the bank.
5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/KYC non-compliant) and submits the list to DICGC in hard and soft form (under Integrated Application Software Solution) for payment to the depositors.
6. The CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental in preparation of the claim list.
7. The Part-A of main claim is processed and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
8. The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of liquidator account maintained with agency bank.
9. The designated bank releases the payment to the depositors through NEFT/DD.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

RESOLUTION POWERS OF DEPOSIT INSURERS IN SELECT JURISDICTIONS

The role of deposit insurance has changed from a mandate of assuring the confidence to bank depositors by paying up to covered limit in case of failure, to an active support in resolving failed financial institutions. There have been amendments made by deposit insurers as resolution vanguards to strengthen the pillars of financial safety net. Furthermore, the unprecedented level of recourse to public funds for the bail out of banks particularly the ones considered to be 'too big to fail' propelled the authorities also to develop a robust resolution framework. Deposit Protection became the key word behind the creation of a resolution regime since Asian financial crisis. The amendments to Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Act, Financial Services Compensation Scheme in the United Kingdom in 2009, the enactment of Dodd-Frank Act in the United Sates in 2010 and European Union Bank Recovery and Resolution Directive 2014 were the major steps adopted in the aftermath of the global financial crisis (GFC). While deposit insurance cover to meet the insured payment upon failure of a bank was adequately enhanced, a common framework for all 28 countries in the region paved the way for setting up/strengthening of resolution authorities in advanced economies. The adoption of Key Attributes (KAs) for effective resolution of financial regimes by the G-20 Financial Stability Board (FSB) in 2011, revised subsequently in 2014 was also a major initiative[1]. The KAs of effective resolution regimes for financial institutions set out the core elements that the FSB considers to be necessary for an effective resolution regime. Deposit Insurers enlarged their mandate, sharpened their role and mission to minimise loss to depositors and stake holders, their ability to resolve banks before insolvency became the primary objective. Cross border financial flows and growth in banking products, brought in fresh challenges to the financial system and the role of deposit insurance. The reserve funds of deposit insurers got adequately supported through the insured banks, government/central banks and borrowings which enabled the deposit insurers meet their liabilities arising due to enhanced mandate.

2. The principal public policy objectives for deposit insurance systems are to protect depositors and contribute to financial stability. The main tenets of the Core Principles (CPs) updated in 2014[2] by International Association of Deposit Insurers are:

(i) The deposit insurer should have in place effective contingency planning and crisis management policies and procedures, to ensure that it is able to effectively respond to the risk of, and actual, bank failures and other events. The development of system-wide crisis preparedness strategies and management policies should be the joint responsibility of all safety-net participants. The deposit insurer should be a member of any institutional framework for ongoing communication and coordination involving financial safety-net participants related to system-wide crisis preparedness and management;

(ii) Where the deposit insurer is not the resolution authority, it has the option, within its legal framework, to authorise the use of its funds for resolution of member institutions other than liquidation. In such situations the following conditions are met: (a) the deposit insurer is informed and involved in the resolution decision making process; (b) the use of the deposit insurer's funds is transparent and documented, and is clearly and formally specified; (c) where a bank is resolved through a resolution process other than liquidation, the resolution results in a viable, solvent and restructured bank, which limits the exposure of the deposit insurer to contribute additional funding in respect of the same obligation; (d) contributions are restricted to the costs the deposit insurer would otherwise have incurred in a payout of insured depositors in a liquidation net of expected recoveries; (e) contributions are not used for the recapitalisation of resolved institutions unless

1 Financial Stability Board (2014), Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, October.

2 International Association of Deposit Insurers (2014), IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, November.

shareholder's interests are reduced to zero and uninsured, unsecured creditors are subject to *parri passu* losses in accordance with the legal claim priority; (f) the use of the deposit insurer's funds is subject to an independent audit and the results reported back to the deposit insurer; and (g) all resolution actions and decisions using the deposit insurer's funds are subject to *ex post* review; and

(iii) An effective failure resolution regime should enable the deposit insurer to provide for protection of depositors and contribute to financial stability. The legal framework should include a special resolution regime.

3. The resolution framework in CPs also specifies certain essential criteria to be put in place by the Deposit Insurer as under:

- The deposit insurer has the operational independence and sufficient resources to exercise its resolution powers consistent with its mandate;
- The resolution regime ensures that all banks are resolvable through a broad range of powers and options;
- Where there are multiple safety-net participants responsible for resolution, the legal framework provides for a clear allocation of objectives, mandates, and powers of those participants, with no material gaps, overlaps or inconsistencies. Clear arrangements for coordination are in place;
- Resolution and depositor protection procedures are not limited to depositor reimbursement. The resolution authority/ies has/have effective resolution tools designed to help preserve critical bank functions and to resolve banks. These include, but are not limited to, powers to replace and remove senior management, terminate contracts, transfer and sell assets and liabilities, write down or convert debt to equity and/or establish a temporary bridge institution;
- One or more of the available resolution methods allows the flexibility for resolution at a lesser cost than otherwise expected in a liquidation net of expected recoveries;
- Resolution procedures follow a defined creditor hierarchy in which insured deposits are protected from sharing losses and shareholders take first losses;
- The resolution regime does not discriminate against depositors on the basis of their nationality or residence;
- The resolution regime is insulated against legal action that aims at the reversal of decisions related to the resolution of non-viable banks. "Resolution" refers to the disposition plan and process for a non-viable bank. Resolution may include the liquidation and reimbursement of insured deposits, the transfer and/or sale of assets and liabilities, the establishment of temporary bridge institutions, and the write-down and/or conversion of debt to equity of the nonviable institution. Resolution may also include the application of procedures under insolvency law to parts of a firm in resolution, in conjunction with the exercise of resolution powers. A jurisdiction's resolution regime may involve multiple resolution authorities. The specific resolution powers assigned to a deposit insurer may vary depending on the deposit insurer's mandate; and
- The resolution regime keeps the period between depositors losing access to their funds and implementation of the selected resolution option (e.g. depositor reimbursement) as short as possible.

4. The IADI classified mandate of deposit insurers into broadly four categories consequent to modifications in the mandate in terms of resolution powers[3]. As per FSI and IADI survey of 32 deposit insurance systems around the major economies in the world, more than

3 i) "Pay box", where the deposit insurer is only responsible for the reimbursement of insured deposits.
ii) "Pay box plus", where the deposit insurer has additional responsibilities, such as certain resolution functions (*e.g.,* financial support).
iii) "Loss minimiser", where the insurer actively engages in a selection from a range of least-cost resolution strategies.
iv) "Risk minimiser", where the insurer has comprehensive risk minimisation functions that include risk assessment/management, a full suite of early intervention and resolution powers, and in some cases prudential oversight responsibilities.

80 per cent fund transfers of insured deposits and other liabilities of the failed bank was to another bank, which took over the liabilities of the failed bank. Deposit insurers also used another important tool of assisting a failing bank's merger/amalgamation with strong bank through a bridge bank. 68 per cent of deposit insurers also provide some form of financial assistance - either capital or liquidity support, or both - to banks in resolution or to stressed banks to prevent failure. Out of the entire sample of 32 DIS, 14 DIAs have a dual mandate as deposit insurer and resolution authority and the vast majority of those use deposit insurance system (DIS) resources for both liability transfers and some form of financial assistance. A bank resolution fund, separate from the DIS, is only available in over 40 per cent of the jurisdictions represented in the survey. A substantial majority of the DIS can provide funds to support the transfer of activities to a solvent bank through purchase and assumption (P&A) transactions. DIs (50%) provide capital to members, either as a measure to prevent insolvency as a preventive measure[4]. A separate resolution framework is in vogue in few jurisdictions for financial co-operatives. The use of deposit insurance fund, separate resolution fee, and the support from Central Bank/Government also exist in resolving banks in European Union.

Deposit Insurers' Role in Resolution Framework: Cross-Country Experience

Canada

5. The Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) is Canada's federal deposit insurer and resolution authority for its member institutions. CDIC has a number of resolution tools that can be used to manage the potential failure of a member institution, including a systemically important bank[5]. The resolution tools are as under:

i) *Purchase and Assumption or Whole Bank Acquisition*: This tool can be used when an acquirer for the troubled institution is available and the institution's shareholders agree to the sale, but some financial assistance from CDIC is needed to facilitate it.

ii) *Forced Sale*: The CDIC can take control of the institution in order to complete a restructuring transaction, which could include: the sale of all/part of the institution's shares and subordinated debt, an amalgamation with another financial institution or the sale of all/part of the institution's assets/liabilities.

iii) *Bridge Bank*: The bank is placed under temporary control of CDIC and CDIC transfers certain assets, liabilities (including at a minimum all insured deposits) and critical functions to a bridge bank, which is temporarily owned by CDIC.

iv) *Bail-in*: In 2016, Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) Act was amended to add the "bail-in power" to the Corporation's resolution tools. This tool is only for use in respect of Canada's six largest banks, known as Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)[6]. The bail-in power is a tool that CDIC can use to recapitalise a domestic systemically important bank that is failing or is about to fail by converting certain debt into common shares.

v) *Liquidation and Payout*: Liquidation and reimbursement of insured deposits, whereby the bank is wound up under a court-supervised liquidation and insured deposits are reimbursed to depositors.

vi) *Agency Agreement*: Managed liquidation by a third party, acting as an agent of CDIC, whereby an agent, on a fee basis, will dispose of the assets and honour deposits and other liabilities as they come due.

The standard resolution tools are in place in Canada including the bail-in. The liabilities which are considered for inclusion/exclusion under bail-in are clearly specified in the statute.

Japan

6. The Deposit Insurance Act (DIA) was introduced in 1971 and was amended in June 2013 to introduce the 'orderly resolution' regime. The amendments expanded the scope of the resolution regime to all insurance and securities companies, along with deposit-taking institutions, regardless of their size or

4 Patrizia Baudino, Ryan Defina, José María Fernández Real, Kumudini Hajra and Ruth Walters (2019), 'Bank failure management – the role of deposit insurance', FSI Insights on Policy Implementation No.17

5 IMF (2014), Canada-Financial Sector Assessment Program, Crisis Management and Bank Resolution Framework -Technical Note, March.

6 CDIC Act (2016) Bank Recapitalization (Bail-in) Conversion Regulations: SOR/2018-57 Canada Gazette, Part II: Volume 152, Number 8. http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-04-18/html/sor-dors57-eng.html

systemic importance. The regime also extends to the holding companies and operating subsidiaries of these financial institutions, as well as to domestic branches of foreign banks, though it does not extend to financial market infrastructures such as central counterparties. The purchase and assumption methods, temporary nationalisation or capital injections were used by the authorties in Japan for managing failing banks. The Japan Financial Services Agency (JFSA), as resolution authority, determines the resolution strategy and actions. In the case of the orderly resolution regime, it is expected that the Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) will become a receiver and implement the resolution action under the supervision of the JFSA, with some of its actions *e.g*. providing financial assistance requiring JFSA and Ministry of Finance (MoF) approval. The Bank of Japan (BOJ) may, in certain circumstances, provide resolution funding to the DICJ[7].

7. The resolution framework as given in DIA prescribes three separate regimes *viz*., (i) failure resolution under limited coverage, (ii) measures against financial crisis, and (iii) measures for orderly resolution.

i) *Failure resolution under limited coverage*: Resolution under this applies to deposit-taking institutions and involves the use of the deposit insurance fund to facilitate a pay-out of insured deposits and the liquidation of the failed bank, or a transfer of insured deposits to an acquiring bank with some financial assistance (P&A). This option is applicable when the failure of institution does not pose systemic risk.

ii) *Measures against financial crisis*: This regime is applicable where the authorities determine that the failure of a deposit-taking institution poses a systemic risk and requires confirmation by the Prime Minister, following deliberations by the Financial Crisis Response Council (FCRC). This regime includes three separate measures: recapitalisation of a deposit-taking institution that is not insolvent; financial assistance in an amount exceeding the insured deposit pay-out cost; and temporary nationalisation of an insolvent deposit-taking institution in cases that threaten financial stability.

iii) *Measures for orderly resolution*: The orderly resolution regime includes two measures: Special Resolution Regime I, where a financial institution that is not insolvent maintains its operations and takes steps to improve its financial condition (through special oversight and loan of funds/capital injection by the DICJ); and Special Resolution Regime II, where an insolvent (or likely to become insolvent) financial institution is liquidated in an orderly manner. The determination between the different measures is made on a case-by-case basis by the FCRC, taking into account the financial institution's solvency and the impact of its failure on Japan's financial system. The three resolution regimes as mentioned above do not provide for a statutory power to write down and convert liabilities (bail-in).

iv) *Role of Court*: Notwithstanding the conferment of extensive powers on resolution authority under DIA, the courts retain an important role in the resolution process. Under the measures for orderly resolution, the resolution powers in the DIA are exercisable without shareholder consent. However, court permission is required as a substitute for shareholder consent.

Kenya

8. In Kenya, the Kenya Deposit Insurance Corporation (KDIC) established under the Kenya Deposit Insurance Act (DIA), 2012, is the resolution authority mandated for timely and efficient resolution of failed/failing institutions. Resolution tools as per the DIA include liquidation and depositor repayments, transfer and/or sale of assets and liabilities, establishment of a temporary bridge institution and the write-down of debt or conversion to equity. Resolution may also involve the application of procedures under insolvency law to parts of an entity in resolution, in conjunction with the exercise of resolution powers. The DIA also empowers the Central Bank of Kenya (CBK) to appoint KDIC as the sole and exclusive receiver of any institution[8]. As per the DIA, KDIC is empowered to exercise the

7 The resolution of financial institutions in Japan is primarily based on 'Financial Stability Board (2016), Peer Review of Japan', December.

8 The Kenya Deposit Insurance Act 2012.

following measures of intervention to ensure timely resolution:

i) *Open Bank Assistance (OBA)*: Under this scheme, KDIC, CBK or the Government of Kenya provides financial assistance to the distressed entity in the form of a loan or contribution.

ii) *Government Intervention*: The Government of Kenya directly intervenes and bails out the distressed entity by means of a take-over or nationalisation.

iii) *Mergers and Acquisitions*: A weak bank will be merged with a strong bank after conduct of necessary due diligence under a merger scheme.

iv) *Bridge Bank*: A bridge bank is an *ad hoc* institution established by KDIC or CBK to avoid systemic risk and make way for orderly transition of the distressed entity, avoiding any risk of contagion.

v) *Transfer and Exclusion/Purchase and Assumption*: Under this scheme, the KDIC enters into a closed bank transaction with a healthy financial entity, generally referred to as the Assuming Institution (AI), where the AI purchases some or all of the assets of a failed bank and assumes some or all of the liabilities, including all insured deposits.

vi) *Liquidation*: As per the DIA, CBK appoints KDIC as the liquidator of an institution. Liquidation involves KDIC taking over a failed entity, facilitation of payment of insured deposits, tracing and preservation of assets of the failed entity, debt recovery, asset realisation, payment of liquidation dividends and winding up procedure.

vii) *Winding up*: As per the DIA, after substantial completion of liquidation, KDIC applies to the High Court for an order of termination of liquidation and initiation of winding up procedure.

Malaysia

9. The deposit insurance framework, managed by PIDM, broadly conforms to the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Overall, PIDM is a strong institution, with a culture of cooperation with other safety-net players, a strong performance in its exit from the blanket deposit guarantee adopted in response to the GFC, a robust public awareness program, and ongoing planning for potential financial institution resolutions[9]. Bank Negara Malaysia as the supervisor and the Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) also known as the Malaysian Deposit Insurance Corporation (MDIC) have agreed on a set of triggers for insolvency that would allow MDIC to intervene and resolve the failed banks. Bank Negara Malaysia, which is the central bank of the country and the supervisor, notifies PIDM when the troubled institution ceases or is likely to cease to be viable. The MDIC Act (also known as the Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia *i.e*. Akta PIDM) obligates the PIDM total responsibility and accountability for the resolution of the troubled member institution. This does not mean an abdication of responsibility by the supervisor and it continues to remain as the supervisor until the bank is closed. The PIDM also has special examination powers. Early detection of financial distress is an essential element of an effective resolution regime. Participation of PIDM in that early detection process ensures that it is ready to respond appropriately in a crisis.

10. PIDM has a wide tool kit for failure resolution. These include authority to take control of the bank and acquire its assets, provide financial assistance, close the bank and conduct Purchase and Assumption transactions, act as restructuring authority and if necessary, use its powers for liquidation of the bank. PIDM has powers to appoint conservator to achieve realization of the assets of a debtor. It has the authority to incorporate and implement a bridge institution as a resolution tool and authority to transfer certain assets and liabilities of troubled financial institution to bridge institution.

Philippines

11. The Philippines Deposit Insurance Corporation (PDIC) works closely with the Central Bank to help maintain stability in the banking system. PDIC is authorized to issue regulations to implement its Charter, conduct bank examinations and investigations to assess financial safety and soundness of banks and their adherence to banking and deposit insurance rules and regulations, and extend financial assistance to

9 International Monetary Fund (2013), Malaysia: Financial Sector Stability Assessment, February.

eligible distressed banks and also acts as the statutory receiver and liquidator of closed banks. Upon order of the Monetary Board of the Central Bank, PDIC takes over closed banks; administers their assets, records and affairs; and manages and preserves these assets for the benefit of the closed banks' creditors. As per the PDIC Charter, a closed bank transitions seamlessly from closure to liquidation, enabling PDIC to dispose and distribute assets and settle claims of creditors in accordance with the preference and concurrence of credits as provided by the Civil Code of the Philippines.

12. The legislation in the Philippines does not explicitly single out the resolution authority. While banking institutions are subject to a resolution powers of Central Bank and Philippines Deposit Insurance Corporation, PDIC serve as the principal resolution authority. The current P&A tool does not allow to leave uninsured creditors and bad assets behind. The law should provide for bridge banks and possibly for statutory bail-in tools along with increasing loss absorbing capacity requirements and strengthen the P&A tool to address potential D-SIB failures. The revised resolution framework should contain safeguards for bank stakeholders. In addition, the early intervention and remedial action framework could be further streamlined and include a clearer escalation process to avoid that severely deficient banks continue operating for long, as currently observed occasionally. The PDIC should discontinue bailing out the shareholders of a weak bank by providing open bank assistance. The authorities should also consider establishing a dedicated backstop for Deposit Insurance Fund from the government/Treasury to ensure prompt access to the funds[10].

South Korea

13. The legal framework for the resolution of financial institutions in Korea is established under the 'Act on Structural Improvement of the Financial Industry (ASIFI) introduced in 1991, and the Depositor Protection Act (DPA) enacted in 1995. The powers of resolution are vested in the Financial Services Commission (FSC) and the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)[11]. The FSC acts as the lead resolution authority as well as responsible for supervisory policies and early intervention, including the imposition of corrective measures. The KDIC is Korea's integrated deposit insurer and is responsible for implementing the resolution actions determined by the FSC. The Financial Supervisory Service (FSS) is the supervisory authority for financial institutions, and acts under the guidance of the FSC. The resolution regime for financial sector entities under the ASIFI applies to banks (including state-owned banks, domestic branches of foreign banks and financial holding companies), insurance companies and other financial institutions.

14. The FSC is responsible for financial sector and supervisory policies, including early intervention and the decision to resolve troubled financial institutions. The FSC's powers include the imposition of prompt corrective actions and determination of resolution mechanisms for troubled financial institutions. The FSC is empowered to impose corrective and resolution measures, such as suspending executives, appointing new management, suspending business lines, or writing down shareholder equity.

15. The KDIC jointly with the FSC, is responsible for resolution. The KDIC operates an integrated deposit insurance system and resolves troubled financial institutions under the oversight of the FSC, by making loans, guarantees and contributions in accordance with the principle of least cost to the Deposit Insurance Fund. It may also provide financial assistance to an insured financial institution or a financial holding company parent thereof. In addition to managing the *ex-ante* funded Deposit Insurance Fund, the KDIC has certain auxiliary supervisory powers and may request the FSS to conduct a joint examination of an insured institution and its financial holding company if deemed necessary for prudential management of insured financial institutions. The highest decision making body of the KDIC is the Deposit Insurance Committee.

16. The FSC and KDIC have a range of resolution tools at their disposal under ASIFI and DPA. The tools include powers to control and operate a firm, replace management and transfer contracts and powers to

10 International Monetary Fund (2021), Financial System Stability Assessment - Philippines, April.

11 The resolution framework in South Korea is drawn from Financial Stability Board (2017), Peer Review of Korea, December.

establish a temporary bridge institution and asset management vehicle. All the resolution tools can be used without the consent of shareholders.

i) *Bridge Institution*: KDIC has the power to take temporary public ownership of entities under resolution. Power to establish a temporary bridge bank to take over assets, rights and liabilities from a firm in resolution, and to arrange the sale or wind down of the bridge bank, or the sale of some or all of its liabilities. The bridge bank shall be established by KDIC with the approval of FSC. In the case of a transfer of the business of a failed financial institution, either to a newly established bridge institution or to a third party acquirer, the KDIC prepares a plan detailing the assets and liabilities that are to be transferred, and the FSC makes the final decision. The transfer of liabilities is not subject to a 'no creditor worse off than in liquidation' safeguard. The KDIC has the full ownership of any bridge institution that is established. The operations of the bridge bank should be terminated after five years.

ii) *Bail-in*: The resolution kit does not include the statutory bail-in to write down the claims of uninsured depositors and unsecured creditors or convert them into equity of the failed firm or of any successor in resolution.

iii) *Asset Management Vehicle*: KDIC has power to set up an asset management vehicle with the approval of FSC.

iv) *Financing Resolution Actions*: The KDIC may provide financial assistance directly to a failed financial institution or to a third party acquirer or bridge institution. Funding can be provided according to the resolution tool that has been selected by the authorities. The provision of funding is subject to compliance with the least cost principle established under the DPA.

17. IMF's Financial Sector Assessment Program (2014)[12] found that authorities were well equipped with several tools for managing financial crisis, including: the ability to influence systemic liquidity in money and security markets; broad depositor insurance and investor protection; and mechanism to intervene and resolve troubled financial institutions. South Korea does not have a statutory bail-in under resolution powers.

Taiwan (Chinese Taipei)

18. The Central Deposit Insurance Corporation (CDIC) was established in September 1985 with capital invested jointly by the Ministry of Finance and the Central Bank. The shares held by the Ministry of Finance was totally transferred to the Financial Supervisory Commission in January 1, 2011. CDIC is the only institution in Taiwan exclusively in charge of managing the deposit insurance system and serves as an integral part of the country's financial safety net. The operating procedures of CDIC resolution actions based on approval from financial supervisory commission (FSC) are mentioned below[13]:

i) *Purchase and Assumption*: The CDIC provides the financial assistance to insured institutions which will acquire or assume other insured institutions that have ceased operations also known as the purchase and assumption. The funds provided by the CDIC for the financial assistance shall be limited to compensate the difference between the target institution's assets and liabilities. When the CDIC provides financial assistance by means of loans or deposits, the amount of assistance shall be limited to 30 per cent of the target institution's covered deposits. This is one of the important resolution powers deployed by the CDIC to resolve the failing institutions.

ii) *Bridge Bank*: Bridge banks are designed to avoid systemic financial risk to the economy or credit markets and to assuage creditors and depositors in an attempt to avoid negative effects, such as panics and bank runs. A bridge bank is meant to be a temporary measure which provides the time needed for an insolvent bank to find a buyer so that the insolvent bank can be absorbed under a new ownership structure. In the case that an insolvent bank is unable to find a buyer, the bridge bank will administer its liquidation with the help of the appropriate bankruptcy court. CDIC has the powers under the statute to establish or operate a bridge bank till the resolution of the insolvent bank.

12 International Monetary Fund (2014), South Korea : Financial Sector Assessment, June.

13 The operating procedures of resolution actions like purchase and assumption, setting up of bridge bank and provision of financial assistance are provided in CDIC Website.

iii) *Financial Assistance*: The CDIC provides loans, deposits or other financial assistance to unsound insured institutions which face difficulties in meeting the obligations of payments to depositors.

United States

19. The Dodd - Frank Act (DFA) was enacted in 2010 to promote financial stability and improve accountability and transparency in the financial system. It further strengthened the FDIC to resolve the stressed entities, especially the systemically important financial institutions (SIFIs) in a manner that would be least disruptive and loss minimising. All failed insured depository institutions (including banks and savings and thrift institutions) are resolved under the Federal Deposit Insurance Act. The Orderly Liquidation Authority (OLA) also known as Title II of DFA, provides the authorities with a robust framework for facilitating the resolution of most financial institutions that have a potential to cause severe systemic disruption and or expose tax payers to loss in the event of their failure. Title II provides a process to quickly and efficiently liquidate a large, complex financial company that is close to failing. It provides an alternative to bankruptcy code, in which the FDIC is appointed as a receiver to carry out the liquidation and winding-up of the company. As per Resolutions Handbook, the resolution activities begin when an institution's primary regulator notifies the FDIC of the potential failure. Upon notification, the FDIC contacts the failing institution's Chief Executive Officer and arranges for specialists to go to the institution to gather information in preparation for potential closing[14].

20. The primary goals of the resolution process are to provide depositors with timely access to their insured funds and resolve the failing institution with various tools in the least costly manner. Two basic methods are available for resolving failing financial institutions *viz*., 'A Purchase & Assumption (P&A)' and 'Deposit Payoffs'.

Purchase and Assumption: Under P&A, a healthy institution purchases some or all of the assets of a failing institution and assumes some of the liabilities, including all insured deposits. The P&A is the most common method used by the FDIC to resolve a failing institution and is considered the least disruptive to local communities. The different P&A transactions used by FDIC under differing circumstances are:

a) Basic P&As: In basic P&As, assets that pass to acquirers generally are limited to cash, cash equivalents, and marketable securities. Optional loan pools may be offered. The liabilities assumed by the acquirer will include the portion of the deposit liabilities covered by FDIC insurance and may also include all deposits, if that is the least costly bid.

b) Whole Bank P&As: Under the whole bank P&A bidders are asked to bid on all assets of the failed institution on an "as is" discounted basis (with no guarantees).

c) P&As with Optional Shared Loss: An optional shared loss P&A is a resolution transaction where the FDIC, as receiver, agrees to share losses on certain types of assets with the AI.

d) Bridge Bank P&As: A bridge bank transaction is a P&A in which the FDIC acts temporarily as the AI.

Deposit Pay-offs: A deposit payoff is executed when the FDIC does not receive a least costly bid for a P&A transaction or if no bids are received at all.

21. The resolution strategy known as single point of entry resolution strategy developed by the FDIC for the largest global SIFIs can be termed as closed firm bail-in. As per IMF's Financial Sector Assessment Program (2015), the DFA does not include statutory bail-in powers[15].

India

22. In India, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation functions primarily as a pay box entity *i.e.*, reimbursing the depositors of failed member banks, although it has some role in resolution which it performed by discharging its financial support to depositors of weak banks that merge with strong banks/ reconstructed by a scheme approved by regulator. Various efforts were initiated in India to strengthen the

14 Federal Deposit Insurance Corporation (2014), Resolution Handbook, December.

15 IMF(2015), Financial Sector Assessment Program of United Sates - Review of the Key Attributes of Effective Resolution regimes for the Banking and Insurance Sectors - Technical Note, July.

mandate of DICGC since late 1990s. The Advisory Group on Reforms in Deposit Insurance in India (Chairman: Shri Jagdish Capoor, 1999) recommended that the DICGC should be assigned the role of liquidator and receiver thus providing a rudimentary role of resolution function to the Corporation though not all important elements of resolution regime[16]. A Hundred Small Steps: Report of the Committee on Financial Sector Reforms (Chairman: Dr. Raghuram G. Rajan, 2009), recommended strengthening the capacity of DICGC to both monitor risk and resolve a failing bank, instilling a more explicit system of prompt corrective action, and making deposit insurance premia more risk-based[17]. The Report of the Working Group on Reforms in Deposit Insurance, including Amendments to DICGC Act, 1961 (Chairman: Shri H.N. Prasad/Shri G. Gopalakrishna, 2012) observed that various committees had visualised a greater role for the DICGC in bank resolution, rather than being merely a 'pay-box' system'. The Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) (Chairman: Shri B.N. Srikrishna, 2013) recommended setting up of a Resolution Corporation (RC) covering financial firms, *viz*., banks, insurance companies, pension funds and payment systems. The FSLRC underscored the necessity of dealing with the failure of large financial firms through RC. Globally, regulators are moving to broaden the mandate of resolution authorities to include systemically important financial institutions including banks, holding companies, non-banking financial corporations and FMI such as payment, settlement and clearing systems. Accordingly, the FSLRC envisaged a similar scope for RC in India[18]. The Reserve Bank of India constituted a High Level Working Group with Shri Anand Sinha, former Deputy Governor, RBI as Chairperson and Dr. Arvind Mayaram, former Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as co-chairperson on resolution of financial institutions. The Working Group recommended, in January 2014, the setting up of a Financial Resolution Authority (FRA) by either transforming the present DICGC into FRA or by setting up a new authority that will subsume DICGC[19]. In order to support the establishment of the RC, the Government of India set up a Task Force (Chairman: Shri M. Damodaran) in September 2014[20]. The Task Force provided a broad framework to the Government. These efforts led to the culmination of introduction of Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill 2017 for setting up of a Resolution Corporation. The draft FRDI Bill was subsequently withdrawn by the Government in 2018. The amendments to DICGC Act are underway which includes reimbursing the insured depositors in the event of imposition of restrictions on withdrawal of deposits. A list of banks assisted/claim settled by DICGC is available in Appendix Table 8 of the Annual Report.

Conclusion

23. An examination of resolution powers of deposit insurance agencies in select jurisdictions suggests that these are vested in Central Bank, Supervisory authority or executed jointly with support of Deposit Insurers. The line of support for adequate funding was made available in the statutes. The resolution powers or tools are available in major jurisdictions for resolution of failing or failed institutions. These powers are broadly in conformity with the FSB Key Attributes for Resolution of Financial Institutions. The mandate of deposit insurers has been strengthened in the aftermath of global financial crisis in terms of mandate, funding mechanism and speedy reimbursement to insured depositors when a bank fails/closes its business. Deposit insurers also resorted to various tools to assist weak/failing banks through financial support for preventing failure/loss to depositors which ensured confidence in the banking system and financial stability. In India, efforts are underway to strengthen the mandate of DICGC by the proposed amendments in the Act.

16 Reserve Bank of India (1999), The Working Group on Reforms in Deposit Insurance in India (Chairman: Shri Jagdish Capoor), April.

17 Government of India (2009), A Hundred Small Steps: Report of the Committee on Financial Sector Reforms (Chairman: Dr. Raghuram G. Rajan), Planning Commission.

18 Ministry of Finance (2013), Report on Financial Sector Legislative Reforms Commission (Chairman: Shri B.N. Srikrishna).

19 Reserve Bank of India (2014), Working Group on Resolution of Financial Institutions in India', May.

20 Ministry of Finance (2014), Task Force on setting up of Resolution Corporation (Chairman: Shri M. Damodaran), September.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is the second oldest deposit insurance agency in the world, contributes to financial stability and public confidence in the banking system through the provision of deposit insurance as per its Act. It is the wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India and the key functions of the Corporation are *viz*., settlement of claims, premium collection, recovery of settled claims, investment of funds. The operations were carried out satisfactorily and as per mandate during the year while adhering to the guidelines issued by the authorities relating to COVID-19. The Corporation could complete the sanction process by early settlement of claims on receipt from liquidators in respect of nine banks during 2020-21. The Corporation also witnessed an improvement in recovery from liquidated banks of the settled claims. It also extended the time for submission of premium by insured banks by one month. The major operational parameters of the working of the Corporation along with the main features of the financial accounts are presented in the Directors' Report.

The number of registered insured banks stood at 2,058 as on March 31, 2021 comprising 139 commercial banks [including 6 payment banks (PBs), 10 small finance banks (SFBs), 43 regional rural banks (RRBs), 2 local area banks (LABs)] and 1,919 co-operative banks [33 State Co-operative Banks (StCBs), 351 District Central Co-operative Banks (DCCBs) and 1,535 Urban Co-operative Banks)]. The number of registered banks declined to 2,058 in 2020-21 from 2,067 banks in the preceding year (***Appendix Table 1).*** The co-operative banks continued to be predominant in terms of number of institutions (***Appendix Table 2)***. During the year 2020-21, one co-operative bank and one RRB were registered as insured banks while 3 RRBs, 5 co-operative banks, one Local Area Bank and 2 commercial banks were deregistered (***Appendix Table 3***).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME - STYLISED FACTS

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all States and Union Territories (UTs).

I.1.1 INSURED DEPOSITS

With deposit insurance in India covering all deposits up to ₹5 lakh, the number of fully protected accounts (₹247.8 crore) at end-March 2021 constituted 98.1 per cent of the total number of accounts (₹252.6 crore), as against the international benchmark of 80 per cent. In terms of amount, the total insured deposits of ₹76,21,251 crore as at end-March 2021 constituted 50.9 per cent of assessable deposits of ₹1,49,67,770 crore as against the international benchmark of 20 - 30 per cent (Table 1).

Table 1: Insured Deposits

Particulars		As at the period end of[1]	
		March 31, 2021	March 31, 2020
1	Total No. of Accounts (in crore)	252.6	235.0
2	Fully Protected Accounts[2] (in crore)	247.8	216.1 (231.0)
3	Percentage of 2 to 1	98.1	92.0 (98.3)
4	Assessable Deposits (₹ in crore)	1,49,67,770	1,34,88,910
5	Insured Deposits[3] (₹ in crore)	76,21,251	36,96,100 (68,71,500)
6	Percentage of 5 to 4	50.9	27.4 (50.9)

1. Based on deposit base of September 2020 and September 2019 *i.e* six months prior to the reference date.
2. Refers to accounts covered by deposit insurance.
3. Data for March 2020 refers to ₹1 lakh deposit insurance cover while those in parentheses relate to ₹5 lakh deposit insurance cover estimated at ₹68,71,500 crore.

An examination of the covered deposits under insurance protection among major bank groups other than payment banks indicate that RRBs account for the highest share of around 84 per cent followed by local area banks (80.1 per cent), co-operative banks (69.4 per cent), State Bank of India (59.1 per cent), public sector banks (54.6 per cent), small finance banks (44.5 per cent), private sector banks (39.6 per cent) and foreign banks (6.8 per cent), respectively (***Appendix Table 4, Appendix Table 5*** and ***Chart 1***). The insured deposits of up to ₹5 lakh insurance cover is based on data of deposit insurance returns submitted by banks for September end 2020.

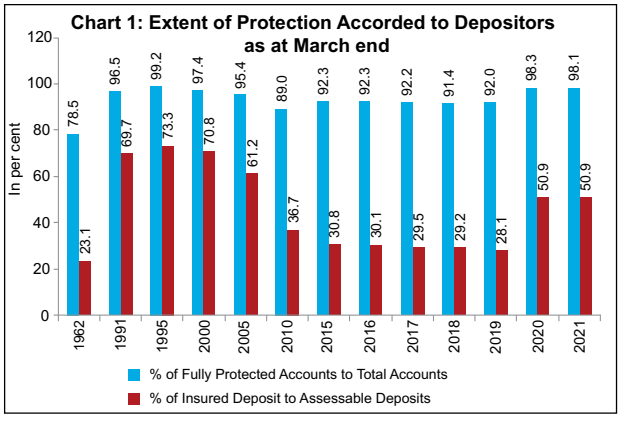

I.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

Commercial banks contributed 93.3 per cent of total premium while co-operative banks accounted the remaining 6.7 per cent (Table 2).

Table 2: Premium Received

(₹ crore)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234
2018-19	11,192	851	12,043

I.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961, any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation interest for the period of such default at a rate not exceeding eight per cent over and above the Bank rate, as may be prescribed (Table 3). In view of the pandemic situation, lock down and resultant delay in completion of audit, banks which submitted premium with delay up to one month were given exemption from payment of penal interest with the approval of the Board.

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(Per cent)

From	To	Bank Rate	Penal Interest Rate	Interest Rate payable by Defaulting Banks
01.04.2020	21.05.2020	4.65	8.00	12.65
22.05.2020	31.03.2021	4.25	8.00	12.25

1.2 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities. The Corporation increased the premium rate to 12 paise per ₹100 of assessable deposits with effect from April 1, 2020 from the earlier rate of 10 paise. The DIF also gets an inflow out of the recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The DIF, is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹1,29,904 crore as on March 31, 2021 as against ₹1,10,384 crore as on March 31, 2020 yielding a Reserve Ratio (RR) (ratio of DIF to Insured Deposits) of 1.70 per cent (Chart 2).

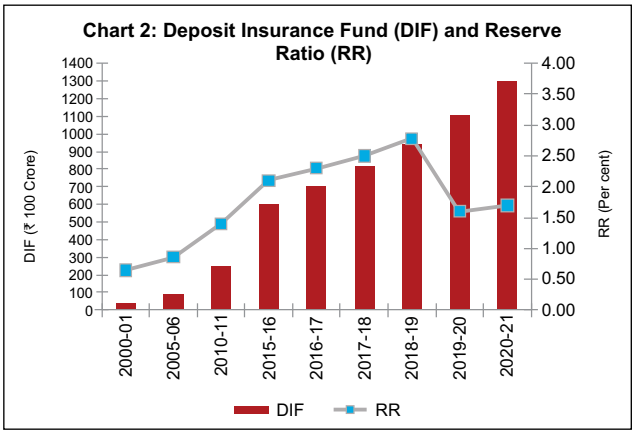

I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During 2020-21, the Corporation has processed claims amounting to ₹992.9 crore with a view to ensuring payment to insured depositors of liquidated banks under the prevailing pandemic situation. Of ₹992.9 crore, the Corporation has settled aggregate claims[4] amounting to ₹563.9 crore in respect of nine co-operative banks during 2020-21 as detailed in ***Appendix Table 6***. The main claim of one bank was processed in March 2020 but settled for an amount of ₹329.6 crore in April 2021. In addition to this, 11 supplementary claims with respect to undisbursed amount refunded by liquidator amounting to ₹7.1 lakh and 4 withheld supplementary claims amounting to ₹98.5 lakh were processed. There were no claims from commercial banks. State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2020-21 is furnished in **Chart 3**. The claimed amount was primarily for banks in Maharashtra, Goa, Uttar Pradesh, Rajasthan, and West Bengal.

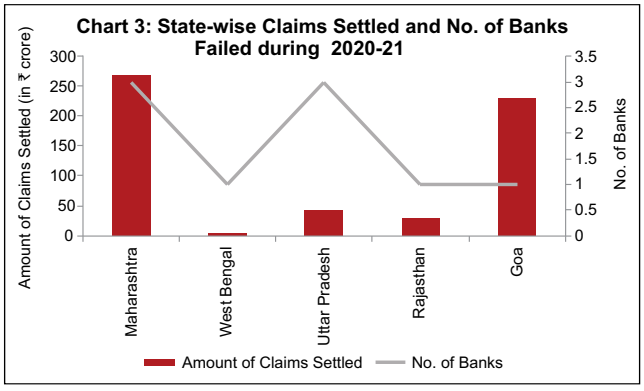

The Corporation is holding a provision of ₹44.6 crore for the amount refunded by liquidators for untraceable depositors (claims sanctioned but depositors not traceable), for any future claims in this category. Further, provision has been made for an

4. Inclusive of ₹40.9 crore on account of claims approved in respect of three banks under expeditious claims settlement policy as provided in Appendix Table 6. The data in balance sheet at ₹524.1 crore is inclusive of settlement of 4 withheld supplementary claims and exclusive of claims settled under Corporation's expedetious policy.

amount of ₹208.3 crore for unidentifiable depositors. There were three banks (whose licenses were cancelled in Q4 2020-21) where the contingent liability was created but claims had not yet been crystallised ***(Appendix Table 7).***

The average number of days taken for settlement of main claims by DICGC after receipt from the liquidators was 7 days[5] during the year 2020-21 as against 11 days during 2019-20 and has remained within 2 months, the period stipulated in the DICGC Act, 1961. Besides regular follow-up, appointment of zone-wise chartered accountants for verification of claims, the Corporation was in a position to settle claims of all 6 banks whose licenses were cancelled during 2020-21. The claims pending from legacy cases (claims not submitted) has also been brought down during the period.

I.4 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)

Up to March 31, 2021, a cumulative amount of ₹295.9 crore was paid towards claims in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance. Cumulative recoveries received from liquidators/transferee of commercial banks aggregated to ₹153.0 crore inclusive of ₹1.8 crore received during the year 2020-21. An amount of ₹30.5 crore has been written off in respect of 3 banks during 2020-21.

The cumulative amount of claims paid/provided for in respect of 365 co-operative banks since inception amounted to ₹5,466.9 crore, including ₹563.9 crore settled during the year ***(Chart 4 and Appendix Table 8).*** In the case of co-operative banks, cumulative recoveries from the liquidators / transferee banks aggregated to ₹3,282.1 crore, including ₹568.5 crore[6] received during the year 2020-21. A notable feature in the settlement of claims during 2020-21 was that the net out go of DI funds from the Corporation was nil as the recoveries were a shade higher than the amount of settled claims.

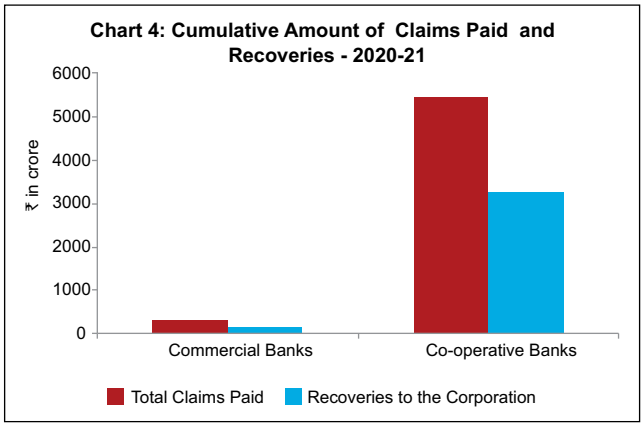

The claims settled during 2020-21 remained higher than the amount of claims settled/sanctioned during the preceding 10 years (***Appendix Table 8 and Chart 5***).

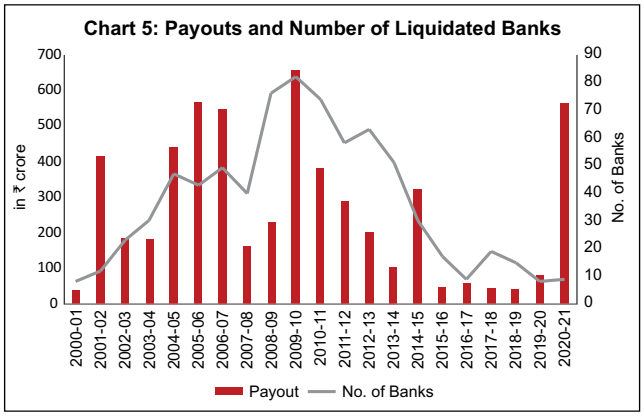

I.5 COURT CASES

As on March 31, 2021, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various Courts and other fora stood at 49 as compared to 44 as on March 31, 2020. During the year, 1 case was closed, while 6 new cases were filed. Out of the 49 pending cases, 6 cases were filed by the Corporation (recovery), while 43 cases were filed making the Corporation as party or respondent

5. In respect of three banks claims were settled under the expeditious settlement policy have been excluded from calculation of average number of days for main claims. The number of days worked out to be 13 inclusive of those three banks.
6. Inclusive of ₹27.5 crore reported under Liquid Fund Adjustment (LFA). The amount of funds available with the liquidators from realisation of assets used to settle the claims and to that extent it is treated as repayment to DICGC under the provisions of its Act.

(mainly against liquidation/cancellation of licence/ regulatory action). There are two banks *viz*., Pen urban co-operative bank and Ramkrishnapur urban co-operative bank which are under litigation, involving court directed process of payment to depositors, whose claims have not been received.

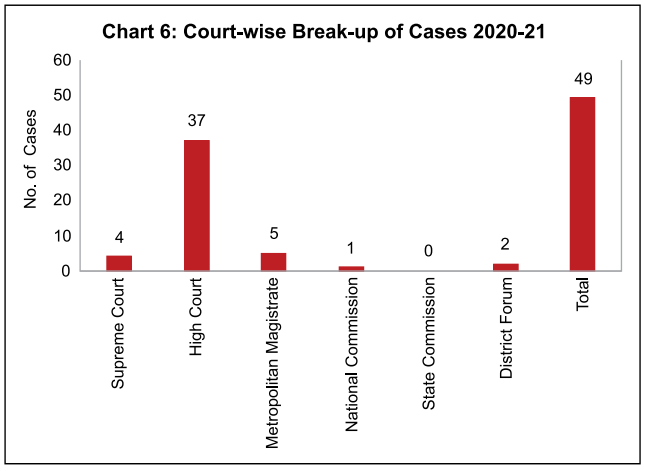

I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) aggregated to ₹0.4 lakh during 2020-21 as against ₹0.7 lakh received during the previous year. As on March 31, 2021, the number of pending court cases relating to credit guarantee activity was NIL.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

II.1 MEASURES TO FACILITATE EARLY SETTLEMENT OF CLAIMS

The Integrated Application Software Solution (IASS) guidelines were issued to liquidated banks for online processing. In certain specific cases to speed up claims, excel based filing was allowed. The Corporation has empanelled five chartered accountant firms, one firm each for five different zones by pooling states, with a view to expedite CA appointment for verification of claims list prepared by liquidator. This mechanism facilitates early verification of claim list as and when a bank goes under liquidation. Liquidators were appointed immediately on liquidation of bank during the year by pursuing with registrar of co-operative societies (RCS). The Corporation took up the pending appeal cases against cancellation of license under Sec 22 (5) of B.R. Act, 1949 with Ministry of Finance. All pending cases under appeal were dismissed by MoF and the Corporation has settled the claims (banks deregistered prior to 2020).

II.2 MEASURES RELATED TO RECOVERY MANAGEMENT

As part of the drive to share information and follow up with RCS officials / liquidators, Regional Offices (ROs) of RBI conducted 15 meetings of the Sub-Committee of Task force on Co-operative Urban Banks. (TAFCUB) during the year which were attended by officials from the Corporation through video conference mode. The Corporation also purchased government securities for an amount of ₹293.7 crore through Value Free Transfer for 7 banks under liquidation to enhance the recoveries and provide liquidity to settle claims.

II.3 AMENDMENT TO DICGC ACT

The Union Finance Minster made an announcement in her budget speech on February 1, 2021 that "I shall be moving amendments to the DICGC Act, 1961 in this Session itself to streamline the provisions, so that if a bank is temporarily unable to fulfil its obligations, the depositors of such a bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. The Amendments to the Act are underway.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The Financial Statements of Corporation comprising Balance Sheet, Revenue Account, and Cash Flow statement for the year and main operations for the year ended March 31, 2021 have been prepared in the form mentioned in Sec 28 of the DICGC Act for each of the three funds *viz*., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of

the Sec 29 of the Act has been audited by the Statutory Auditors.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

(a) The Corporation has processed claims amounting to ₹992.9 crore during 2020-21. Of this, an amount of ₹524.1 crore (₹70.9 crore)[7] was paid towards insurance claims.

(b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) of the Corporation as estimated by the actuary stood at ₹12,275.3 crore (₹12,087.3 crore) at the end of the year registering an increase of 1.6 per cent over the corresponding period of the previous year.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

(a) The surplus in the DIF was ₹26,554.9 crore (₹15,486.3 crore) registering an increase of ₹11,068.6 crore (71.5 per cent) on year-on-year basis primarily on account of increase in income from premium (₹4,283.6 crore), income from investments (₹1,118.4 crore), recovery (₹461.7 crore) as also the base effect of sharp increase in actuarial liability in the previous year (₹6,331.7 crore) due to hike in insurance cover. This was partially offset by increase net claims (by ₹938.9 crore) and actuarial liability (by ₹188.0 crore).

(b) Surplus in the CGF was ₹43.4 crore (₹41.0 crore a year ago), attributed to increase in income from investments by ₹2.5 crore.

(c) Surplus in the General Fund (GF) stood at ₹10.8 crore (₹6.2 crore) primarily on account of increase in income from investments by ₹1.1 crore and decrease in expenditure by ₹3.5 crore due to decrease in rent, establishment, travelling and halting allowances, legal charges, Auditors' fees, service contract / maintenance, professional charges and CCIL transaction charges.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2021, the accumulated surplus/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹1,17,629 crore (₹98,297 crore), ₹542 crore (₹510 crore) and ₹558 crore (₹550 crore), respectively.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, *viz*., DIF, CGF and GF stood at ₹1,32,223 crore (₹1,11,218 crore), ₹555 crore (₹530 crore) and ₹630 crore (₹610 crore), respectively, at the end of 2020-21. All the funds recorded appreciation at the year-end and market value of investments in all the three funds *viz*. DIF, CGF and GF stood at ₹1,39,150 crore, ₹604 crore and ₹682 crore, respectively.

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2021, the accumulated balance (outstanding) in Advance Income Tax (AIT) account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹25,349 crore (₹18,675 crore), ₹61 crore (₹38 crore) and ₹18 crore (₹15 crore) respectively. The accumulated balance in provision for taxation in the DIF, CGF and GF stood at ₹23,658 crore (₹16,975 crore), ₹46 crore (₹35 crore) and ₹18 crore (₹15 crore), respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks and has discharged GST liability in compliance thereof of the order ₹3,156 crore during the year. The same was collected from insured banks.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

IV.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹1,33,407 crore as on March 31, 2021, representing an increase of 18.7 per cent over the previous year. The Market Value of the portfolio stood at ₹1,40,436 crore

7. The figures in bracket adjacent to current year data indicate the corresponding position in previous except those given in per cent.

as compared with ₹1,20,633 crore as on March 31, 2020, registering an increase of 16.4 per cent and 1.05 times of book value *vis-à-vis* 1.07 times as on March 31, 2020. The portfolio return[8] during the year was 6.5 per cent as compared with 14.6 per cent in 2019-20 mainly due to moderation in yields during second half of the year and restricted operations during COVID-19 lock down.

IV.2 The Central Government Securities are valued at model prices published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised. The net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2021, all funds had net appreciation. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2021 IFR of ₹6,372 crore calculated by Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹5,834 crore as on March 31, 2020.

IV.3 Yields on the securities declined and remained at lower levels for major part of the year before increasing towards end of the year (the 10-year bench mark yield was 6.18 per cent as on March 31, 2021 *vis-à-vis* 6.14 per cent on March 31, 2020[9]). The year 2020-21 was characterised by contraction in growth rate of GDP resulting from disruption in economic activity due to Covid-19 pandemic. A set of factors influenced the yield movement during the year *viz*., fiscal stimulus measures coupled with lower tax revenue led to higher borrowing by the Government, enhanced liquidity support, monetary policy measure and open market operations by the Reserve Bank. During first-half of the year, yields softened on account of interest rate reduction and accommodative stance of monetary policy, and remained at lower levels before increasing towards fag end of H1. Thereafter, continued accommodative stance of monetary policy, open market operations resulted in softening of yields and remained at lower levels till end-January. The yields hardened in the last quarter on account of large Government borrowing announced in the Union Budget coupled with rise in US treasury yields, partly offset by open market operations and other measures of the Reserve Bank.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Four meetings of the Board were held during the year ended March 31, 2021.

V.1.1 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Dr. Govinda Rajulu Chintala, Chairman, NABARD, was nominated as Director on the Board under Section 6 (1) (d) read with Section 6 (2) (ii) of the DICGC Act, 1961 from July 13, 2020 up to June 31, 2022 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as Director on the Board of the Corporation by the Central Government under Section 6(1)(c) of the DICGC Act 1961, with effect from November 6, 2020.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2021, the Audit Committee of Board was as under:

1. Dr. Govinda Rajulu Chintala	Chairperson
2. Dr. Madnesh Kumar Mishra	GOI nominee Director
3. Shri Pammi Vijaya Kumar	Director

Four meetings of the Audit Committee of the Board were held during the year ended March 31, 2021.

8. TWR is calculated using the Dietz Method, *viz*. TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)] , where MVE/B = Market value at End/ Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.

9. 10-year benchmark was 6.45 GS 2029 as on March 31, 2020. Thereafter, three more 10-year securities were issued in 2020-21 and 5.85 GS 2030 was 10-year benchmark as on March 31, 2021.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds *viz.*, DIF, CGF and GF through quarterly reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, *viz.*, liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of WIPRO (IASS module); legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments. It is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, *viz*., premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts *vis-a-vis* actual expenditure based on the position as at the end of half year is placed before the Board.

V.3.1 CONCURRENT AUDIT

The Concurrent Auditors, M/s M M Chitale & Co. did the concurrent audit for the financial year. Major findings of audit were placed before the Audit Committee of the Board and no major adverse observations were made during the current year under review.

V.3.2 CONTROL AND SELF-ASSESSMENT AUDIT

Under Control and Self-Assessment Audit, a system has been in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas on a half-yearly basis, with which they are not functionally associated. Report for corrective actions, if any, are submitted.

V.3.3 RISK BASED INTERNAL AUDIT

During the year further compliance to a few RBIA (2019-20) paras were submitted. The compliance to most of these paras have been accepted.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade the skills. These programmes are conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other Foreign Deposit Insurance Institutions. During 2020-21, 29 employees comprising 27 officers and 2 class III staff members were nominated to participate in the programmes through Webex due to the prevalent Covid-19 situation. Besides 2 officers were nominated for participating in a programme on 'Fixed Income Portfolio Management and Construction' course for dealers organised by International Capital Markets Association.

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2021 stood at 52 as against 56 as on March 31, 2020. Category-wise position of staff is given in table 4.

Table 4: Category wise position of staff as on March 31, 2021

Category	Number	Of which		Percentage (%)	
		SC	ST	SC	ST
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Class I	36 *	4	1	11	3
Class III	13	2	0	15	0
Class IV	3	0	0	0	0
Total	**52**	**06**	**1**	**12**	**2**

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes.
*Excluding ED

Out of the total Staff, 69 per cent were in Class I, 25 per cent in Class III and the remaining 6 per cent in Class IV. Out of the total staff 12 per cent belonged to Scheduled Caste and 2 percent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2021.

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right to Information Act (RTI). During 2020-21, a total of 48 RTI requests and 1 appeal were received and replied by the Corporation. They pertained primarily to role of RBI and DICGC in protecting depositors, information on claim settlement, extent of deposit insurance cover, guarantee given by Government of India on deposits of failed banks, and queries on enhanced deposit insurance cover. The queries were disposed off within the prescribe timeframe.

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Languages Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee met on a quarterly basis to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 96.6 per cent of total in 2020-21. The Corporation also organises 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held on January 21, 2021.

V.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation. The Customer Service Cell is under the charge of the Senior Officer in charge of Claims Settlement. The disposal of complaints was made by coordinating with the liquidators, RCS and ROs of Department of Supervision/Department of Regulation, RBI. The issues relating to complaints were also taken up in Sub Committee of TAFCUB in specific cases for disposal.

V.9 PUBLIC AWARENESS

The Corporation disseminates information about deposit insurance to the public through insured banks, its website, brochures and booklets. In compliance with Principle 10 of the Core Principles for Effective Deposit Insurance systems, the Corporation updates the status of claims settled/pending on real time basis on the website. During the year, stickers were sent to RBI Regional Offices in the states of Gujarat and Karnataka regarding the availability of Deposit Insurance cover.

The DICGC website is updated regularly of its all features relating to the information on cancellation of registration of insured banks, submission of main claims and claims settled, appointment of liquidators, instructions regarding opening of a bank account to liquidators, compliance with KYC requirements by all insured banks, press release on unidentifiable and untraceable depositors in claims prepared by liquidators, public awareness files and posters, FAQs on claims settlement process, and the list of insured banks for the information of public.

V.10 ROLE IN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS

Executive Director of the Corporation participated in the 62nd Executive Council meeting of IADI held during May 27-29, 2020 through virtual mode. Material was provided for APRC 2020 Survey. The IADI Annual Survey for 2020 was submitted based on the Working of the Corporation as on March 31, 2020.

The information on claim settlement process in select jurisdictions was obtained for preparation of note on claims settlement procedure. The Corporation participated in the IADI APRC Survey for the period May - September 2020 and the Strategic Planning Working Group Survey on the IADI Strategic Goals and Fee Model. The liaison work relating to IADI was also attended. The work related to IADI meetings in connection with the AGM and EXCO were attended to and relevant communication was made with IADI.

V.11 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s NBS & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2020-21 with the approval of the Reserve Bank.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

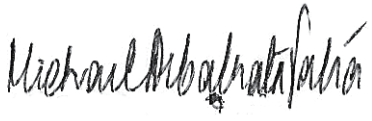

(M. D. Patra)
Chairman

Dated: June 25, 2021

APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE - PROGRESS SINCE INCEPTION

Year/Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS - CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109
2016-17	100	56	3	1,966	2,125

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS - STATE-WISE

(as at end March 2021)

Sr. No.	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	21	46	68
2.	Assam	1	0	8	9
3.	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4.	Bihar	1	22	4	27
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	0	5	6
7.	Gujarat	1	18	218	237
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jharkhand	1	1	1	3
11.	Karnataka	1	22	262	285
12.	Kerala	1	1	60	62
13.	Madhya Pradesh	1	38	49	88
14.	Maharashtra	1	31	491	523
15.	Manipur	1	0	3	4
16.	Meghalaya	1	0	3	4
17.	Mizoram	1	0	1	2
18.	Nagaland	1	0	0	1
19.	Odisha	1	17	9	27
20.	Punjab	1	20	4	25
21.	Rajasthan	1	29	35	65
22.	Sikkim	1	0	1	2
23.	Tamil Nadu	1	24	129	154
24.	Telangana	1	0	51	52
25.	Tripura	1	0	1	2
26.	Uttar Pradesh	1	54	62	117
27.	Uttarakhand	1	6	5	12
28.	West Bengal	1	17	43	61
Union Territories					
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
2.	Chandigarh	1	0	0	1
3.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
4.	NCT Delhi	1	0	15	16
5.	Puducherry	1	0	1	2
	TOTAL	**33**	**351**	**1,535**	**1,919**

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2020-21

A. REGISTERED (2)

Bank Type	Sr. No.	Name of the Bank
Co-operative Banks (1)	1.	Jijamata Mahila Sahakari Bank Ltd, Satara
Regional Rural Banks (1)	1.	Baroda UP Bank

B. DE-REGISTERED (11)

Bank Type	Category/State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Banks (2)	Foreign Bank	1.	Westpac Markets Plc (Voluntary winding up of operations)
	Old Private Sector Bank	2.	Lakshmi Vilas Bank (Merged with DBS Bank India Ltd.)
Regional Rural Banks (3)	Uttar Pradesh	1.	Purvanchal Bank (Merged with newly formed Baroda UP Bank)
		2.	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Merged with newly formed Baroda UP Bank)
		3.	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (Merged with newly formed Baroda UP Bank)
Co-operative Banks (5)	Goa	1.	Mapusa Urban Co-operative Bank Ltd.
	Maharashtra	1.	Karad Janata Sahakari Bank Ltd.
		2.	Shivam Sahakari Bank Ltd.
		3.	Vasantdada Nagri Sahakari Bank Ltd.
		4.	Chandraseniya Kayasatha Prabhu Co-op. Bank. Ltd.
Local Area Banks (1)	Maharashtra	1.	Subhadra Local Area Bank Ltd.

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

Year	Fully Protected Accounts (number in crore)*	Total Accounts (number in crore)	% of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (in ₹100 crore)	Assessable Deposits (in ₹100 crore)	% of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,213	1,49,678	50.9
2019-20	216.1 (231.0)	235.0	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from February 4, 2020 onwards. The figures in parentheses are estimated based on ₹5,00,000 insurance cover as the deposit insurance returns data did not have granular information above ₹3,00,000.

Note: Data from 2009-10 as per new reporting format.

APPENDIX TABLE 5: BANK-WISE CATEGORY : INSURED DEPOSITS

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (in ₹100 crore)	Assessable Deposits (in ₹100 crore)	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2020-21	I. Commercial Banks (i to vii)	96	65,410	1,35,088	48.4
	i) SBI	1	18,273	30,928	59.1
	ii) Public Sector Banks	11	29,638	54,310	54.6
	iii) Foreign Banks	45	480	7,061	6.8
	iv) Private Banks	21	16,655	42,022	39.6
	v) Payment Banks	6	36	36	99.5
	vi) Small Finance Banks	10	321	721	44.5
	vii) Local Area Banks	2	7	9	80.1
	II. RRBs	43	3,915	4,665	83.9
	III. Co-operative Banks	1,919	6,888	9,925	69.4
	Total (I+II+III)	**2,058**	**76,213**	**1,49,678**	**50.9**
2019-20	I. Commercial Banks (i to vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) SBI	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) Public Sector Banks	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) Foreign Banks	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) Private Banks	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) Payment Banks	6	16 (16)	16	100.0(100.0)
	vi) Small Finance Banks	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) Local Area Banks	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. RRBs	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. Co-operative Banks	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	Total (I+II+III)	**2,067**	**36,961 (68,715)**	**1,34,889**	**27.4 (50.9)**
2018-19	I. Commercial Banks (i to vii)	106	27,674	1,07,776	25.7
	i) SBI	1	8,130	25,074	32.4
	ii) Public Sector Banks	18	14,114	46,937	30.1
	iii) Foreign Banks	46	166	5,586	3.0
	iv) Private Banks	21	5,209	29,888	17.4
	v) Payment Banks	7	9	9	100.0
	vi) Small Finance Banks	10	42	275	15.2
	vii) Local Area Banks	3	4	7	57.1
	II. RRBs	51	2,251	3,783	59.5
	III. Co-operative Banks	1941	3,775	8,492	44.5
	Total (I+II+III)	**2,098**	**33,700**	**1,20,051**	**28.1**

Note: Figures in parentheses are estimated for ₹5 lakh deposit insurance coverage as the hike in deposit insurance cover was effected from February 4, 2020.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2020-21

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Maharashtra (3)			
1	C K P Co-operative Bank Ltd	Main	43,720	25,06,403.50
2	Navodaya UCBL, Nagpur	Main	2,125	1,53,640.88
3	Shree Sai UCBL, Mukhed	Main	449	9,372.57
	Total (Maharashtra)	**Main (3)**	**46,294**	**26,69,416.95**
	West Bengal (1)			
1	Kasundia Co-operative Bank Ltd	Supplementary	123	2,789.69
	Total (West Bengal)	**Supplementary (1)**	**123**	**2,789.69**
	Utter Pradesh (3)			
1	Brahmawart Commercial CBL, UP	Main	26,425	2,51,000.00
2	Ghaziabad UCBL	Main	N/A	1,16,856.00
3	Hardoi UCBL	Main	11,918	42,022.68
	Total (Uttar Pradesh)	**Main (3)**	**38,343**	**4,09,878.68**
	Rajasthan (1)			
1	Bhilwara Mahila UCBL, Rajasthan	Main	11,925	2,70,705.51
	Total (Rajasthan)	**Main (1)**	**11,925**	**2,70,705.51**
	Goa(1)			
1	Mapusa UCBL	Main	63,751	22,85,920.07
	Total (Goa)	**Main (1)**	**63,751**	**22,85,920.07**
		Main (8)	**1,60,313**	**56,35,921.22**
	Total (All States)	**Supplementary (1)**	**123**	**2,789.69**
		Total	**1,60,436**	**56,38,710.91**

APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY

(As on March 31, 2021)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (in ₹ crore)
A	**> 10 years old**		
	-	-	-
	Total (A)	**-**	**-**
B	**> 5 years and 10 years old**		
	-	-	-
	Total (B)	**-**	**-**
C	**Between 1 and 5 years old**		
1	December 24, 2020	Subhadra Local Area Bank (U/L)	7.75
2	January 11, 2021	Vasantdada Nagri Sahakari Bank Ltd, Osmanabad (U/L) *	45.21
3	January 29, 2021	Shivam Sahakari Bank Ltd, Ichalkaranji (U/L)**	6.41
	Total (C)	**(3 Banks)**	**59.37**
Grand Total (A+B+C)		**3 Banks**	**59.37**

***** Cut-off Deposit Insurance booked in May 2021.

** Cut-off Deposit Insurance is yet to be received from liquidator. The last available Deposit Insurance return has been taken for Contingent Liability.

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED / AMALGAMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2021

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1 Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
	2 Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
	3 Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
	4 Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	-
	5 Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	6 Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	7 Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	TOTAL 'A'		**391,139.79**	**391,139.79**	**-**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8 Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
	9 Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
	10 Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	11 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12 Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13 Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	14 National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	15 Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	16 Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*		334,062.25	91,358.30 (242,703.95)	-
	17 Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	18 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,150.63	32,631.51 (317,519.12)	-
	19 Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
	20 Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	TOTAL 'B"		**817,291.74**	**191,403.91** **(625,887.83)**	-
	iii) Part repayment received (C)				
	21 National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	22 Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	23 Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	24 Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	25 Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	26 Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27 Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	TOTAL 'C'		**1,750,098.20**	**948,124.75**	**801,973.45**
	TOTAL (A+B+C)		**2,958,529.74**	**1,530,668.45** **(625,887.83)**	**801,973.45**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1 Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
	2 Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan, Maharashtra (1977)		184.00	184.00	-
	3 Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg, Karnataka (1981)		218.99	218.99	-
	5 Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
	8 Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	9 Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)		629.80	629.80	-
	TOTAL 'D'		**47,835.02**	**47,835.02**	-

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	10 Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1977)		276.50	-	-
				(276.50)	
	11 Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai, Maharashtra (1978)		60.31	-	-
				(60.31)	
	12 Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
				(3,385.41)	
	13 Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati, Karnataka (1994)		26.10	-	-
				(26.10)	
	14 Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	-
				(180.80)	
	15 The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18	-
				(1,565.53)	
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.76**	**-**
				(5,494.65)	
	iii) Part repayment received (F)				
	16 Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	17 Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	18 Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	19 Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	20 Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	21 Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	22 Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	400.91	83.99
	23 Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	24 Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	25 Hind Urban Co-operative Bank Ltd., Lucknow, U.P. (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	26 Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48
	27 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	28 Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.59
	29 Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	30 Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	31 Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	32 Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
	33 Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	34 Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	35 Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	36 Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	37 Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	38 Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	39 Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^		915.79	915.79	0.00
	40 Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	41 Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	42 Trimoorti Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	43 Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	44 Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	45 Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	46 Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	47 Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		157,012.94	59,783.98	97,228.95
	48 Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	49 Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	50 Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	17,600.00	9,894.76
	51 The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	52 Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
	53 Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	54 Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	55 Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit, Bilaspur, M.P. (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
	56 Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	57 Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,797.83	148.78
	58 Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	(0.00)
	59 Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)		232,429.22	73,116.30	159,312.92
	60 Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	61 Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	62 Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		140,667.57	57,446.41	83,221.16
	63 Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
	64 Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	65 Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	5,538.62	2,282.62
	66 Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
	67 Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	68 Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
	69 The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	23,896.41	2,657.23
	70 Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank (Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
	71 Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	72 Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	73 Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
	74 Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
	75 Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	76 Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
	77 Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	78 The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	79 Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	80 Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	81 Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	82 Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		1,432,344.30	941,695.05	490,649.26
	83 Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
	84 Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	29,200.33	4,833.14
	85 Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
	86 The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	87 Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
	88 Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	29,185.35	4,144.00
	89 Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	30,548.11	2,629.83
	90 The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		141,139.81	140,798.15	341.65
	91 Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	92 Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	93 Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	23,594.30	13,749.58
	94 The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	95 The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	35,874.52	5,407.10
	96 Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	97 Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	98 Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	99 Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,697.97	(0.00)
	100 Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	101 Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		115,872.42	24,818.21	91,054.22
	102 Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	103 Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	104 General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		715,200.69	425,756.90	289,443.79
	105 Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
	106 Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
	107 Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	25,848.87	8,343.46
	108 Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		3,846,162.46	1,527,336.93	2,318,825.53

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	109 Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	110 Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	111 The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112 The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113 Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114 Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	3,018.11	22,423.10
	115 Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	116 Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117 Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	118 Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	119 Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
	120 Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	121 Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	122 Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	123 Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,048.60	389,291.83	194,756.77
	124 The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	125 Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	61,227.40	25,303.13
	126 Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	4,774.86	951.00
	127 Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	239,158.00	79,767.24
	128 Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93
	129 Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^		606,403.31	606,403.31	-
	130 Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	64,370.29	9,665.43
	131 Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		299,340.86	43,387.32	255,953.54

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	132 Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	61,781.19	161,369.08
	133 Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	134 Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	135 Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	15,349.33	357.03
	136 Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
	137 Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	138 Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	139 Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	18,999.84	-
	140 Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	141 Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	142 Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	47,863.69	532,033.26
	143 Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
	144 Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	24,088.97	652.51
	145 Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	103.13	120,556.72
	146 Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147 Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	148 Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	149 The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	150 Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		181,637.44	27,645.01	153,992.43
	151 Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
	152 Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,592.15	185,179.62	116,412.53
	153 Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	179,888.17	86,564.29
	154 Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		304,703.46	287,369.36	17,334.10

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	155 Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		145,661.51	79,455.37	66,206.14
	156 Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	157 Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
	158 Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,251.94	317,993.29	116,258.66
	159 Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	160 Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		552,716.70	177,459.84	375,256.86
	161 Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,686.51	6,314.48	114,372.03
	162 The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	163 Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	108,619.17	10,276.71
	164 Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		257,956.99	257,956.99	-
	165 Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
	166 Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	170,586.25	201,000.52
	167 Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
	168 The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
	169 Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	3,409.57	1,437.14
	170 Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	9,598.01	3,227.47
	171 Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	87,683.34	78,213.04
	172 Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
	173 Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	26,444.24	89,607.27
	174 Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		755,959.06	755,959.06	-
	175 Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	176 Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
	177 Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	178 Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179 Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	227,393.79	140,413.73
	180 Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182 The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183 Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184 Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	118,047.66	6,711.02
	185 Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
	186 Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
	187 Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
	188 Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
	189 Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
	190 Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11
	191 Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	2,962.98	19,115.95
	192 Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		160,286.13	73,518.98	86,767.15
	193 Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
	194 Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
	195 The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	1,877.84	8,384.52

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	196 Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84
	197 Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
	198 Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	199 Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32
	200 Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	201 Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd., Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202 Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203 Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	204 Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205 Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	206 Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	207 Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	208 Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.91
	209 Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	185,521.69	171,360.04	14,161.65
	210 Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	211 Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
	212 Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
	213 Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.26
	214 Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
	215 Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	53,222.95	46,445.78
	216 Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	169,225.78	38,581.19	130,644.59

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	217 Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	268,254.02	229,271.10	38,982.92
	218 Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	219 Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	220 Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	7,395.14	17,846.88
	221 Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	112,933.28	56,013.28	56,920.00
	222 Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	75,537.70	3,470.57
	223 Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	16,201.67	9,086.82
	224 The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	50,852.69	16,807.76
	225 Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
	226 Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
	227 Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	228 Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
	229 Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	230 Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	128,916.02	56,176.93	72,739.09
	231 Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	374,582.84	295,503.72	79,079.12
	232 Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	233 Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	234 Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	235 Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236 Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	30,359.23	22,768.76

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	237 Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	58,841.14	311,833.31
	238 South Indian Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	359,787.81	82,690.99	277,096.82
	239 Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	238,318.86	190,621.36	47,697.50
	240 Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	127,836.14	165,141.88
	241 Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242 Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	68,680.61	68,664.83
	243 Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	566,073.61	35,805.32	530,268.28
	244 Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	288,728.55	12,187.12
	245 Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246 Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247 Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	1,545,360.12	126,699.78
	248 The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.08
	249 Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	420,307.60	334,698.93	85,608.67
	250 Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.44
	251 Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252 Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	91,584.87	33,853.39
	253 The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	144,067.26	79,444.96	64,622.30
	254 Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	436,184.64	107,422.59	328,762.05
	255 Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
	256 Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.27

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	257 Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
	258 Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.84	287,335.66
	259 Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260 Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261 Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	5,040.87	10,588.15
	262 Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	263 Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264 Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	(0.00)
	265 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
	266 Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
	267 Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	448,117.96	337,966.63	110,151.33
	268 Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
	269 Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	48,586.60	97,616.00
	270 Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	347,359.76	56,381.34
	271 Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	272 Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	15,063.13	10,782.66
	273 Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.39
	274 Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	275 Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
	276 Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	277 Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	278 Kupwad Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
	279 Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.29	3,509.69
	280 Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281 Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282 Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
	283 Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	133,960.02	72,799.93	61,160.09
	284 Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	0.00	179.27
	285 Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	591,664.24	304,181.07	287,483.17
	286 Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	287 Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	44,788.02	22,605.36
	288 Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	289 The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	290 The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	403,178.78	191,001.02	212,177.76
	291 Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	422,834.49	47,967.79	374,866.70
	292 Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	293 Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
	294 Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	51,833.76	147,477.83
	295 Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	160,023.77	63,071.28	96,952.49
	296 Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	557,696.70	433,022.01	124,674.69
	297 Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	298 Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299 Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	2,045.78	19,956.66
	300 Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	301 Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.57
	302 The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	303 Shri Balaji Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
	304 Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (2012)	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
	305 Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	306 Memon Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	307 National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	308 Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	309 Bharat Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
	310 Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57
	311 Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	29,485.15	16,295.48
	312 Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313 Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	314 Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	12,203	101,677.80	79,652.13	22,025.67
	315 Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	459,890.08	274,890.08	185,000.00
	316 Vaso Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	20,243.26	51,976.12
	317 Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	0.00
	318 Abhinav Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
	319 Agrasen Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	320 Swami Samarth Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
	321 Arjun Urban Co-op.Bank Ltd., Maharashtra (2014)	3,530	61,654.61	28,301.30	33,353.31
	322 Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
	323 Veershaiva Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	(0.00)
	324 Silchar Urban Co-operative Bank Ltd., Assam (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325 Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2014)	130,638	2,877,206.83	700,451.82	2,176,755.01
	326 The Srikakulam Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	327 Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	(0.00)
	328 The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2015) &	28,759	301,759.34	301,759.34	(0.00)
	329 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
	330 Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad (2015) &	29,343	156,382.66	156,382.66	(0.00)
	331 Vaishali Urban Co-operative Bank, Rajasthan (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
	332 Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,177	77,392.30	38,211.72	39,180.58
	333 Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,136	152,029.28	59,538.05	92,491.23
	334 Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., A.P Telangana (2016)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
	335 The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2016)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00
	336 Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)$		318,602.37	318,602.37	0.00
	337 Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
	338 Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
	339 Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	21,888.06	21,888.60	(0.54)

APPENDIX TABLE 8 *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	340 Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
	341 Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	109,302.97	12,931.83	96,371.14
	342 Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	242,174.75	167,801.58	74,373.17
	343 Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	261.65	0.00	261.65
	344 Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
	345 Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
	346 Jamkhed Merchants CBL, Maharshtra (2020)	6,119	52,055.23	52,055.23	(0.00)
	347 Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)$	-	2,946.90	-	-
	348 Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)$	-	27,601.00	-	-
	349 Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
	350 The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018) &	6,446	151,659.37	151,659.37	0.00
	351 Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
	352 Gokul UCBL Andra Pradesh / Telangana (2019)$		13,579.00	-	-
	353 Bhopal Nagarik SBL, MP(2019)$		84,394.67	-	-
	354 United Commercial Co-op Bank ltd, Kanpur UP (2019)	24,684	247,534.55	166,492.73	81,041.82
	355 Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	27,434.83	7,956.74	19,478.09
	356 Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,216	101,184.47	20,038.00	81,146.47
	357 Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	301,398.79	20,755.49	280,643.29
	358 C K P Co-operative Bank Ltd, Maharashtra (2020)	43,720	2,506,403.50	2,139,629.06	366,774.44
	359 Navodaya UCBL, Nagpur, Maharashtra (2020)	2,125	153,640.88	-	153,640.88
	360 Shree Sai UCBL, Mukhed, Maharashtra (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27
	361 Bhilwara Mahila Urban Co-operative Bank Ltd, Rajasthan (2020)	11,925	270,705.51	172,212.00	98,493.51
	362 Brahmawart Commercial CBL, UP (2021)$	26,425	251,000.00	-	-
	363 Ghaziabad UCBL, UP (2021)$	N/A	116,856.00	-	-

APPENDIX TABLE 8 *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	364 Hardoi UCBL, UP (2021)$	11,918	42,022.68	-	-
	365 Mapusa UCBL, Goa (2021)	63,751	2,285,920.07	1,735,591.57	550,328.50
	TOTAL 'F'		**54,612,880.94**	**32,770,814.69**	**21,203,666.90**
	TOTAL (D+E+F)		**54,668,544.37**	**32,820,983.48**	**21,203,666.90**
				(5,494.65)	
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)		**57,627,074.11**	**34,351,651.93**	**22,005,640.35**
				(631,382.48)	

*Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

$ Claims Settled under expeditious settlement scheme and the same (₹63.84 crore) has been excluded under the repayment. Nil balance reflect the full repayment and issue of NoC (repayments fully made) by the Corporation to liquidators.

Notes: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2021.

3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims

4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.

5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

6. The Corporation has taken up with Registrar of Co-operative Societies/liquidators in cases of banks under liquidation for over 12 years where repayments and refund of undisbursed depositors equals the claim paid for issue of 'No Dues Certificate' absolving further liability of the Corporation, due to non-traceability of depositors by liquidators as per claim settlement procedure.

Tel.: (91-22) 22870588/0939/4140/2288/5229
Fax: (91-22) 2288 4910
Email: admin@nbsandco.in
Web: www.nbsandco.in

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2021 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2021, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.

- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast

significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Revenue account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the preparation of the financial statements.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

For NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner
M. No. 046940
UDIN: 21046940AAAAAC8115

Place: Mumbai
Date: June 25, 2021

DEPOSIT INSURANCE AND
Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year			Current Year			
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
12,08,730.00		**1. Fund** (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		**12,27,527.00**		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
87,99,521.56	48,323.92	Balance at the begining of the year	98,29,709.88		50,986.93	
10,30,188.32	2,663.02	Add: Transferred from Revenue Account	19,33,193.53		3,248.90	
98,29,709.88	**50,986.94**	Balance at the end of the year		**1,17,62,903.41**		**54,235.83**
		3. (a) Investment Reserve				
0.00	0.00	Balance at the begining of the year	0.00		0.00	
0.00	0.00	Add:Transferred from Revenue Account	0.00		0.00	
0.00	0.00	Balance at the end of the year		**0.00**		**0.00**
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
4,48,729.65	3,060.66	Balance at the begining of the year	5,77,412.68		3,462.16	
1,28,683.03	401.50	Transferred from Revenue Account	53,965.51		0.00	
5,77,412.68	**3,462.16**	Balance at the end of the year		**6,31,378.18**		**3,462.16**
5,786.58		**4. Claims Intimated and Admitted But Not paid**		**55,641.88**		0.00
0.00		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		0.00		0.00
0.00		**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**		0.00		0.00
7,342.37		**7. Insured Deposits remaining unclaimed**		**4,456.31**		0.00
		8. Other Liabilities				
157.16		(i) Sundry Creditors	915.31		0.00	
16,97,478.72	3,522.72	(ii) Provision for Income Tax	23,65,813.37		4,615.42	
89,920.86		(iii) Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	35,798.35		0.00	
171.56		(iv) Amount refundable to Banks	171.56		0.00	
0.87		(v) CGST, SGST & IGST Payable	31.39		0.00	
17,87,729.17	**3,522.72**			**24,02,729.99**		**4,615.42**
1,34,16,710.68	**57,971.82**	**Total**		**1,60,84,636.77**		**62,313.41**

As per our report of even date

For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)

Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

V G Chalapathy
Chief General Manager

Madnesh Kumar Mishra
Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2021
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in lakhs)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	ASSETS	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
18,039.88	**424.95**	**1. Balance with the Reserve Bank of India**	105.77	7.25
		2. Cash in Transit	0.00	0.00
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)		
19,416.52		Treasury Bills	0.00	0.00
1,11,02,428.15	52,970.54	Dated Securities	1,32,22,298.58	55,455.26
1,11,21,844.67	**52,970.54**		**1,32,22,298.58**	**55,455.26**
1,07,86,904.45	52,079.00	Face Value	1,28,14,437.65	54,514.15
1,19,39,509.56	57,612.94	Market Value	1,39,15,041.82	60,432.66
2,07,628.01	730.85	**4. Interest accrued on investments**	2,34,096.76	777.05
		5. Other Assets		
18,67,464.90	3,845.48	(i) Advance Income Tax	25,34,919.76	6,073.84
90,020.00		(ii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	35,812.13	0.00
89,920.86		(iii) Securities purchased under Reverse Repo	35,798.35	0.00
2,888.00		(iv) Service Tax Refundable	2,539.17	0.00
63.60		(v) CGST/SGST/IGST receivable	225.48	
18,840.76		(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	18,840.76	
20,69,198.12	**3,845.48**		**26,28,135.65**	**6,073.84**
1,34,16,710.68	**57,971.82**	**Total**	**1,60,84,636.77**	**62,313.41**

Govinda Rajulu Chintala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		EXPENDITURE	Current Year		
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount
		1.To Claims:			
7,085.40	0.00	(a) Paid during the year		52,405.31	0.00
108.20	0.00	(b) Admitted but not paid		49,855.30	0.00
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
0.00	0.00	At the end of the year			
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year			
0.00	0.00				0.00
		(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered			
0.00	0.00	At the end of the year	0.00		0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00		0.00
0.00				**0.00**	
(1,794.38)	0.00	(e) Less provision in r/o untraceable depositors written back		(2,974.49)	0.00
5,399.23	0.00	**Net Claims**		99,286.12	0.00
12,08,730.00	0.00	**2.To Balance of Fund at the end of the year** (as per Actuarial Valuation)		12,27,527.00	0.00
15,48,630.73	4,095.20	**To Net Surplus Carried Down**		26,55,493.69	4,341.59
27,62,759.96	**4,095.20**	**TOTAL**		**39,82,306.81**	**4,341.59**
		To Provision for Taxation			
3,89,759.38	1,030.68	Current Year		6,68,334.65	1,092.69
0.00	0.00	Earlier Years - Short (Excess)			
0.00	0.00	Deferred Tax			
1,28,683.03	401.50	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		53,965.51	0.00
10,30,188.32	2,663.02	**To Balance Carried to Surplus Account**		19,33,193.53	3,248.90
15,48,630.73	**4,095.20**			**26,55,493.69**	**4,341.59**

As per our report of even date

For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)
Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

V G Chalapathy
Chief General Manager

Madnesh Kumar Mishra
Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended March 31, 2021
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in lakhs)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
5,75,560.00	0.00	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	12,08,730.00	0.00
13,23,351.23	0.00	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	17,51,716.58	0.00
10,684.93	0.74	**3. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	56,853.70	0.37
		4. By income from Investments		
8,12,457.57	4,094.46	(a) Interest on Investments	9,33,143.16	4,341.22
33,875.52	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	30,407.56	0.00
6,830.71	0.00	(c) By Reverse Repo interest income A/c	1,455.81	0.00
8,53,163.80	**4,094.46**		**9,65,006.53**	**4,341.22**
		5. Other Incomes		
0.00	0.00	Depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00
27,62,759.96	**4,095.20**	**TOTAL**	**39,82,306.81**	**4,341.59**
15,48,630.73	4,095.20	By Net Surplus Brought Down	26,55,493.69	4,341.59
15,48,630.73	**4,095.20**		**26,55,493.69**	**4,341.59**

Govinda Rajulu Chintala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year	LIABILITIES	Current Year	
Amount		Amount	Amount
5,000.00	**1. Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		5,000.00
	2. Reserves		
	A) General Reserve		
54,908.20	Balance at the beginning of the year	55,009.58	
101.39	Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	809.78	
55,009.59			55,819.36
	B) Investment Reserve		
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	
0.00	Transferred from Revenue account	0.00	
0.00			**0.00**
	(C) Investment Fluctuation Reserve		
3,668.49	Balance at the beginning of the year	4,030.06	
361.57	Transferred from Revenue Surplus	0.00	
4,030.06			**4,030.06**
	3. Current Liabilities and Provisions		
846.68	Outstanding Expenses		869.04
24.67	Sundry Creditors		22.60
1,493.20	Provision for Income Tax		1,765.41
0.00	CGST & SGST Payable		0.18
2,364.55			**2,657.23**
66,404.20	**Total**		**67,506.65**

As per our report of even date
For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)
Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

V G Chalapathy
Chief General Manager

Madnesh Kumar Mishra
Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2021
FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	ASSETS	Current Year Amount
	1. CASH	
0.00	(i) In hand	0.00
120.37	(ii) With Reserve Bank of India	53.49
120.37		**53.49**
	2. Investments in Central Government Securities (At Cost)	
0.00	Treasury Bills	0.00
17,295.83	Dated Securities	45,068.43
43,674.15	Dated Securities deposited with CCIL(Face Value 18,716.00)	17,916.18
60,969.98		**62,984.61**
63,057.35	Face Value :	62,686.20
66,188.50	Market Value :	68,152.12
975.95	**3. Interest accrued on Investments**	456.98
	4. Other Assets	
772.02	Project IASS Capitalised	10.75
26.20	Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	35.48
0.89	Stock of Stationery	0.00
144.98	Staff Advances	11.06
57.65	Interest Accrued on Staff Advances	0.00
134.54	Sundry Debtors	0.00
1,530.00	Margin Deposit with CCIL	2,035.00
1,489.61	Advance Income Tax / TDS	1,806.40
182.01	CGST, SGST & IGST receivable	112.88
4,337.90		**4,011.57**
66,404.20	**Total**	**67,506.65**

Govinda Rajulu Chintala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2021

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	EXPENDITURE	Current Year Amount	Current Year Amount	Previous Year Amount	INCOME	Current Year Amount	Current Year Amount
1,282.70	**To Payment / Reimbursement of staff cost**		1,310.86		**By Income from Investments**		
0.00	**To Directors' and Committee Memebrs' Fees**		0.00	4,496.82	(a) Interest on Investments		4,610.82
0.00	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses**		0.00	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments		0.00
454.21	**To Rents,Taxes, Insurance , Lightings etc.**		313.66	**4,496.82**			**4,610.82**
475.00	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**		418.67	0.00	**By depreciation on Investment written back**		0.00
18.32	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**		16.56				
76.13	**To Postage, telegrams and Telephones**		74.79		**By Miscellaneous Receipt**		
30.78	**To Auditors' Fees**		21.28	14.43	Interest on advances to staff		0.40
34.26	**To Legal Charges**		21.55	0.00	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)		2.55
6.11	**To Advertisements**		22.72	**14.43**			**2.95**
0.00	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**		0.00				
	To Miscellaneous Expenses	0.00					
10.50	Professional Charges	6.50					
468.75	Service Contract / Maintenance	387.34					
5.26	Books, News Papers, Periodicals	4.65					
4.51	Book Grants	3.77					
0.26	Repair of Office Property-Dead Stock	0.32					
142.01	Transaction Charges-CCIL	75.40					
93.36	Others	74.46					
724.65			**552.43**				
9.74	Depreciation		7.10				
780.69	Depreciation on IASS		772.02				
618.66	**To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down**		1,082.12				
4,511.25	**Total**		**4,613.77**	**4,511.25**	**Total**		**4,613.77**
	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down			618.66	**By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down**		1,082.12
	To Provision for Income Tax						
155.70	Current Year		272.35				
0.00	Earlier Years - Short (Excess)		0.00				
361.57	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**		0.00				
101.39	**To General Reserve Account**		809.78				0.00
618.66	**Total**		**1,082.12**	**618.66**	**Total**		**1,082.12**

As per our report of even date

For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)
Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

Madnesh Kumar Mishra
Director

Govinda Rajulu Chintala
Director

V G Chalapathy
Chief General Manager

Deepak Narang
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) & CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)
Cash Flow Statement for the Period ended 31st March, 2021

(₹ in lakhs)

Previous Year 31-03-2020				Period ended 31-03-2021	
Amount Deposit Insurance Fund	Amount Credit Guarantee Fund			Amount Deposit Insurance Fund	Amount Credit Guarantee Fund
		Cash Flow from Operating Activities			
15,48,630.73	**4,095.20**	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**26,55,493.69**	**4,341.59**
		Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :			
(8,19,288.28)	(4,094.46)	Interest on Investments		(9,34,598.97)	(4,341.22)
(33,875.52)	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(30,407.56)	0.00
6,33,170.00		Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		0.00	0.00
0.00		Transfer to Investment Reserve		0.00	0.00
		Interest on Refund received		0.00	0.00
		Taxes		0.00	0.00
		Provision in fund balance (as per Actuarial valuation)		18,797.00	
(2,19,993.79)	**(4,094.46)**		**(b)**	**(9,46,209.53)**	**(4,341.22)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease/(Increase) in			
(5,53,446.65)	(1,122.77)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(6,67,454.85)	(2,228.36)
0.00		Sundry Debtors		0.00	0.00
552.14		CGST, IGST & SGST receivable		(161.88)	0.00
(1,23,129.86)		Other Assets		1,08,679.21	0.00
0.00		Disputed Service Tax/Interest paid account		0.00	
(6,76,024.37)	**(1,122.77)**		**(c)**	**(5,58,937.52)**	**(2,228.36)**
		LIABILITIES :			
		(Decrease)/Increase in			
108.20		Estimated Liability in respect of claims intimated but not admitted		49,855.30	0.00
(1,703.89)		Unclaimed Deposits		(2,886.07)	0.00
51.07		Sundry Creditors		758.16	0.00
		Sundry Deposit Accounts		0.00	0.00
		Service Tax Payable A/C		0.00	0.00
61,523.19		Securities deliverable under Reverse Repo A/C		(54,122.51)	0.00
0.00		Swachh Bharat Payable			
(40.18)		CGST, SGST & IGST Payable		30.52	
59,938.40	**0.00**		**(d)**	**(6,364.61)**	**0.00**
7,12,550.98	**(1,122.03)**	**Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)**	**(A)**	**11,43,982.03**	**(2,227.99)**
		Cash Flow from Investing Activities			
7,86,719.37	4,064.44	Interest on Investments Received		9,08,130.22	4,295.02
33,875.52		Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		30,407.56	0.00
		Transferred to GF		0.00	0.00
		Decrease/(Increase) in			
(15,29,004.71)	(2,518.13)	Increase in Investments in Central Government Securities		(21,00,453.92)	(2,484.73)
(7,08,409.83)	**1,546.31**	**Net Cash Flow from Investing Activites**	**(B)**	**(11,61,916.14)**	**1,810.29**
0.00	**0.00**	**Cash Flow from Financing Activites**	**(C)**	**0.00**	**0.00**
4141.15	424.29	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	(17,934.10)	(417.70)
13,898.73	0.67	Cash Balance at beginning of period		18,039.88	424.95
18,039.88	**424.95**	**Cash Balance at the end of year**		**105.77**	**7.25**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)
Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

Madnesh Kumar Mishra
Director

Govinda Rajulu Chintala
Director

V G Chalapathy
Chief General Manager

Deepak Narang
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

II. GENERAL FUND (GF)

Cash Flow Statement for the Period ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

Previous Year 31st March 2020 Amount	Particulars		Period ended 31st March 2021 Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
618.66	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	1,082.12
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
9.74	Depreciation		7.10
780.69	Depreciation on IASS		772.02
(4,496.82)	Interest on Investments		(4,610.82)
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.00
0.00	Transfer to Investment Reserve		0.00
0.00	Excess Provision written back		0.00
(14.43)	Interest on Advances to Staff		(0.40)
0.00	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		(2.55)
0.00	Others -Misc Receipts		0.00
0.00	Income Tax		0.00
(3,720.82)		**(b)**	**(3,834.65)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
0.01	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		0.89
(72.95)	Prepaid Expenses/Service Tax receivable		69.13
46.14	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		133.92
(430.58)	Advance Income Tax		(316.79)
(510.00)	Margin Deposit with CCIL		(505.00)
17.39	Interest accured on Staff Advances		57.65
(23.63)	Sundry Debtors		134.53
789.59	Project Cost		761.27
(218.84)		**(c)**	**335.60**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
	With Reserve Bank of India		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
176.36	Outstanding Expenses		22.36
(60.15)	Sundry Creditors		(2.08)
(3.41)	Other Deposits/ TDS		(0.14)
(1.23)	CGST & SGST Payable		0.18
111.57		**(d)**	**20.32**
(3,209.43)	**Net Cash Flow from Operating Activities**	**(A)**	**(2,396.60)**
	Cash Flow from Investing Activities		
4,588.44	Interest on Investments Received		5,129.79
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.00
14.43	Interest on Advances to Staff		0.40
0.00	Funds received from DIF		0.00
0.00	Others		0.00
	Decrease(Increase) in		
(783.30)	Fixed assets		(785.85)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
33,775.30	Dated Securities		(27,772.60)
(34,343.96)	Dated Securities deposited with CCIL		25,757.97
3,250.91	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**2,329.72**
	Cash Flow from Financing Activities	**(C)**	0.00
41.49	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**(66.88)**
	Cash Balance at Beginning of Year		
	In Hand		0.00
78.88	With RBI		120.37
120.37	**Cash Balance at the end of year**		**53.49**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & CO.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 046940)
Mumbai
June 25, 2021

M D Patra
Chairman

Madnesh Kumar Mishra
Director

Govinda Rajulu Chintala
Director

V G Chalapathy
Chief General Manager

Deepak Narang
Deputy General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on de-registration of bank as an insured bank.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into books of account of Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018 the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more

than 10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted.

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. INVESTMENTS

i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.

ii) Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.

iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. FIXED ASSETS

i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.

ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹ 0.1 million and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%
Motor vehicles, furniture, etc.	20%

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year, otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. LEASES

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. EMPLOYEES' BENEFITS / COST

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. TAXATION ON INCOME

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, being difference in taxable income and accounting income/ expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. IMPAIRMENT OF ASSETS

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognized and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv) Contingent Assets are not recognized.

v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES NOT PROVIDED

A. Service Tax:

(₹ in crore)

Nature of Contingent Liability	Current year	Previous year
Service Tax	175.51	175.51

Explanatory Notes

I. October 1, 2006 to September 30, 2011 (₹ 5,367.42 crore)

Service Tax Department (Department) vide order dated January 10, 2013 raised service tax demand of ₹5,367.42 crore for the period October 2006 to Sept. 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance Corporation under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an Appeal on April 8, 2013 in the CESTAT challenging the order. CESTAT vide order dated March 11, 2015 while granting relief to the Corporation by setting aside demand of ₹5,367.42 crore, held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and Corp is not liable to Service Tax for the period prior to Sept 20, 2011. Corporation, therefore, filed an Appeal on September 9, 2015 before Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business". The Department has also approached the Hon'ble Supreme Court for admission of Appeal against CESTAT order. The Corporation has also filed counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016. Matter is yet to come up for hearing.

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Sec 78 for the period April 01, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 crore which was also dismissed vide order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favor of the Corporation on merit vide order dated March 11, 2015. [Sec 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Sec 78 provides for levy of penalty when the Service Tax has not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court has tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 1, 2011 to March 31, 2013 (₹118.64 crore plus interest for delay ₹56.87 crore)

Service Tax Department based on Computer Aided Audit Programme (CAAP), vide letter dated. June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹118.64 crore as 'additional service tax liability' for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by Corporation as 'exclusive of Service Tax'. Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. Corporation paid ₹88.44 crore on January 8, 2015 and ₹30.2 crore on June 30, 2015 'under protest'. Corporation also paid interest of ₹39.6 crore considering the dates of Service tax payment as 6th of following month (June 6 and Dec 6 respectively) on receipt of premium (*i.e.* May and Nov respectively) against March 31st and October 6th determined by Service Tax authorities.

Commissioner (Appeals) vide order dated January 11, 2016 has held that treatment of premium by Corporation as 'inclusive of service tax' is as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. Corporation accordingly filed an Appeal before CESTAT against order on April 18, 2016. Department has also filed Appeal before CESTAT against order of Commissioner (Appeals).

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for interest payment of ₹17.40 crore

(excluding ₹39.6 crore paid by DICGC). Commissioner vide order dated August 16, 2018 has confirmed the demand raised. Corporation has filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018.

B. Claims

(₹ in crore)

Claims pertaining to	March 31, 2021	March 31, 2020
a) Deregistered Banks	59.37 (3)*	653.54 (12)*
b) Untraceable depositors	149.59	119.84
c) Unidentifiable depositors	87.65	87.10

** Represents number of banks*

2. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2021, IFR of ₹6,389 crore was maintained (₹5,849 crore as on March 31, 2020).

3. INTRA DAY LIQUIDITY ARRANGEMENT WITH RBI

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2,500 crore earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

5. INCOME TAX

The Corporation has exercised the option of paying income tax at the rate of 22% as provided in Sec 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 w.e.f. financial year 2019-20 (A.Y. 2020-21).

6. RELATED PARTY DISCLOSURE

Key Management Personnel

Shri. Pammi Vijayakumar, Executive Director, Reserve Bank of India, is holding charge from March 5, 2020. He drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India.

7. SEGMENT REPORTING

Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

8. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

4. REPO TRANSACTIONS (AS PER RBI PRESCRIBED FORMAT)

In Face Value Terms (₹ in Crore)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2021
I. Securities Sold under Repo				
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	1	6,818	392	358
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil